

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का  
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

**उत्तराखण्ड सरकार  
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2020**

विषय-सूची			
क्र. सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सारांश		vii
<b>अध्याय-1: राज्य सरकार के वित्त</b>			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	राज्य की प्राप्तियाँ	1.2	7
5.	राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	9
6.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	16
7.	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	18
8.	संसाधनों का उपयोग	1.6	18
9.	व्यय की गुणवत्ता	1.7	24
10.	सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण	1.8	27
11.	परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	33
12.	ऋण प्रबंधन	1.10	38
13.	राजकोषीय असंतुलन	1.11	45
14.	राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन	1.12	49
15.	निष्कर्ष	1.13	49
16.	संस्तुतियाँ	1.14	51
<b>अध्याय-2: वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण</b>			
17.	प्रस्तावना	2.1	53
18.	विनियोग लेखों का सारांश	2.2	54
19.	वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबन्धन	2.3	56
20.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.4	64
21.	कोषागारों के निरीक्षण के परिणाम	2.5	71
22.	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.6	71

23.	सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी सी सी) बिलों का लम्बित प्रस्तुतिकरण	2.7(अ)	72
24.	असमाधानित व्यय	2.7(ब)	73
25.	बजट प्रक्रिया	2.8	74
26.	निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	2.9	75
<b>अध्याय-3: वित्तीय रिपोर्टिंग</b>			
27.	उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	3.1	77
28.	सरकार द्वारा मूलतः वित्त पोषित संस्थानों से संबंधित सूचनाओं की अप्राप्ति	3.2	78
29.	विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.3	78
30.	लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ तथा ‘अन्य व्यय’ के अधीन इन्द्राज	3.4	79
31.	हानि, गबन आदि	3.5	81
32.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य पेंशनरी दायित्वों का प्रभाजन	3.6	81
33.	उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य अनावंटित शेष	3.7	81
34.	निवेश	3.8	81
35.	भारत सरकार के लेखा मानकों (आई जी ए एस) का कार्यान्वयन	3.9	82
36.	निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	3.10	82

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1	राज्य की रूपरेखा	85
परिशिष्ट 1.1	भाग अ: सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना भाग ब: वित्त लेखे का प्रारूप	86
परिशिष्ट 1.2	भाग अ: राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि भाग ब: राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005	88 89
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	92
परिशिष्ट 1.4	भाग अ: वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार भाग ब: 31 मार्च 2019 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	95 98
परिशिष्ट 1.5	विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण	100
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक का व्ययाधिक्य	101
परिशिष्ट 2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए	101
परिशिष्ट 2.3	कुल व्यय का अंतिम तिमाही (जनवरी 2019 से मार्च 2019) में 50 प्रतिशत या मार्च 2019 में 25 प्रतिशत से अधिक व्यय की तीव्रता	102
परिशिष्ट 2.4	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	104
परिशिष्ट 2.5	निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप ₹ 10 लाख की एवं अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी के कारण)/आधिक्य	106
परिशिष्ट 2.6 (अ)	वर्ष 2018-19 के दौरान दत्तमत अनुदान के किए गए महत्वपूर्ण अभ्यर्पण	110
परिशिष्ट 2.6 (ब)	वर्ष 2018-19 के दौरान भारित विनियोग के किए गए महत्वपूर्ण अभ्यर्पण	113
परिशिष्ट 2.7	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण	113
परिशिष्ट 2.8	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ पाँच करोड़ एवं अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया	114

परिशिष्ट 2.9	₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया	115
परिशिष्ट 2.10	30/31 मार्च 2019 को दत्तमत्त अनुदान की ₹10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण	117
परिशिष्ट 2.11	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ एक करोड़ या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी	118
परिशिष्ट 2.12	वर्ष 2018-19 के दौरान आकस्मिकता निधि से आहरण किये गये अग्रिम की स्थिति (अगस्त 2019 तक) जो वर्ष के अंत तक अप्रतिपूर्ति रही	120
परिशिष्ट 2.13	वर्ष 2017-18 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय जो अप्रतिपूर्ति रहा (अगस्त 2019 तक)	121
परिशिष्ट 2.14	वर्ष 2018-19 तक के वर्षों के लम्बित डी सी बिल (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)	122
परिशिष्ट 3.1	बकाए उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अलग से प्रत्येक वर्ष के लिये मुख्य शीर्ष एवं विभागवार विवरण	123
परिशिष्ट 3.2	विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण	124
परिशिष्ट 4.1	शब्दावली	125

## प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

अध्याय 1 एवं अध्याय 2 में राज्य सरकार के 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न प्रकरणों पर की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं। जहाँ आवश्यक समझा गया उत्तराखण्ड सरकार से सूचना प्राप्त की गयी है।

अध्याय 3 वित्तीय प्रतिवेदन पर चालू वर्ष के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन से संबन्धित सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों में की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा व लेन-देनों की लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों को पृथक से प्रस्तुत किया गया है।



## कार्यकारी सारांश





## कार्यकारी सारांश

### पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के सापेक्ष बजट एवं चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) की सिफारिशों एवं सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की संरचनात्मक रूपरेखा के आंकलन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों और विभिन्न स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना पर आधारित, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध कराता है।

**अध्याय-1** वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2019 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह मुख्य राजकोषीय समग्रों, वचनबद्ध व्ययों, ऋण पद्धति इत्यादि की प्रमुख प्रवृत्तियों और रूपरेखाओं पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

**अध्याय-2** विनियोग लेखे पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान-वार विवरण एवं वह ढंग, जिस प्रकार सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को प्रबन्धित किया गया, प्रदान करता है।

**अध्याय-3** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण का विवरण प्रदान करता है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### अध्याय-1

##### राज्य सरकार के वित्त

- 31 मार्च 2019 को, सांघिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी समितियों में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था और पिछले पाँच वर्षों में निवेश (ऐतिहासिक मूल्य पर) का 0.004 से 0.71 प्रतिशत का प्रसार रहा, जबकि सरकार ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान 8.25 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया था।

[प्रस्तर 1.8.2]

- 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए ₹ 659.48 करोड़ की अग्रिम धनराशि दी। इसी अवधि में सरकार द्वारा ₹ 168.05 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान किया गया। वसूली की राशि 2014-15 में वर्ष के प्रारम्भ में बकाया राशि और वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की धनराशि के चार प्रतिशत से प्रत्येक वर्ष घटते हुए 2018-19 में दो प्रतिशत से कम हो गई। चालू वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान धनराशि ₹ 26.91 करोड़ थी जो

31 मार्च 2019 तक बकाया ऋणों (₹ 1,926.54 करोड़) का 1.40 प्रतिशत थी। क्योंकि ऋणों की वसूली खराब रही है, राज्य सरकार इन ऋणों और अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने और उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखे सही स्थिति दर्शा रहे हैं।

**[प्रस्तर 1.8.4]**

- वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय दायित्वों से स रा घ उ अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात 23.26 प्रतिशत की तुलना में 23.60 प्रतिशत था। वर्ष के लिए यह अनुपात चौ वि आ के निर्धारित मापदण्ड (22.56 प्रतिशत) से 1.04 प्रतिशतता बिन्दु अधिक था।

**[प्रस्तर 1.9.2]**

- लोक ऋण प्राप्ति के उच्च हिस्से का उपयोग उधार ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए किये जाने के कारण राज्य को उपलब्ध निवल ऋण चालू वर्ष में ₹ 2,388 करोड़ (2017-18) से घटकर ₹ 1,388 करोड़ हो गया है। कुल उधार राशि से ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान की प्रतिशतता 2017-18 में 68.27 प्रतिशत के सापेक्ष बढ़कर 2018-19 में 80.92 प्रतिशत हो गयी।

**[प्रस्तर 1.10 (ii)]**

- वर्ष 2014-15 में राज्य को ₹ 917 करोड़ राजस्व घाटा हुआ था जो कि वर्ष 2015-16 में खराब स्थिति तक ₹ 1,852 करोड़ हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य राजस्व घाटे को ₹ 383 करोड़ के निम्न स्तर तक लाने में सक्षम हुआ। तथापि, राज्य इस प्रवृत्ति को बनाए नहीं रख सका और वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटा फिर से हासित होकर ₹ 1,978 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान स्थिति में सुधार हुआ और राजस्व घाटा ₹ 980 करोड़ (स रा घ उ का 0.40 प्रतिशत) तक कम हुआ।

**[प्रस्तर 1.11.1]**

- वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटा ₹ 5,826 करोड़ (स रा घ उ का 3.61 प्रतिशत) था जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर ₹ 6,125 करोड़ (स रा घ उ का 3.46 प्रतिशत) हो गया, परन्तु वर्ष 2016-17 में यह घटकर ₹ 5,467 करोड़ (स रा घ उ का 2.80 प्रतिशत) हो गया। तथापि, वर्ष 2017-18 में यह फिर बढ़कर ₹ 7,935 करोड़ (स रा घ उ का 3.56 प्रतिशत) हो गया। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 7,320 करोड़ (स रा घ उ का 2.98 प्रतिशत) था, जो कि चौ वि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3.25 प्रतिशत से कम था। राज्य अपने पूँजीगत व्यय, जो कुल व्यय (2014-15) के 18.8 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत (2018-19) हो गया है, को बढ़ाने के

लिए उपलब्ध राजकोषीय स्थिति का उपयोग करते हुए और अधिक उधार लेने पर विचार कर सकता है।

[प्रस्तर 1.11.1]

- वर्ष 2014-15 में प्राथमिक घाटा ₹ 3,420 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 3,154 करोड़ हो गया और वर्ष 2016-17 में यह घाटा ₹ 1,744 करोड़ रह गया। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 3,948 करोड़ से घटकर चालू वर्ष के दौरान ₹ 2,845 करोड़ हो गया। इससे पता चलता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। इसका प्राथमिक राजस्व आधिक्य 2017-18 के ₹ 2,009 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 3,495 करोड़ हो गया। प्राथमिक राजस्व आधिक्य से ब्याज दायित्वों का भुगतान, पिछले वर्ष के 50 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 78 प्रतिशत करने में सक्षम था।

[प्रस्तर 1.11.1]

## अध्याय-2

### वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण

- वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 48,037.49 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोगों के सापेक्ष ₹ 1,358.35 का सम्पूर्ण आधिक्य हुआ। पूँजीगत दत्तमत के अंतर्गत दो अनुदानों तथा पूँजीगत भारत अनुभाग के अंतर्गत एक विनियोग में ₹ 8,464.98 करोड़ का आधिक्य था एवं 31 अनुदानों एवं आठ विनियोगों में ₹ 7,106.62 करोड़ की बचत हुई। ₹ 8,464.98 करोड़ के आधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2005-06 से 2017-18 तक की अवधि से सम्बन्धित आधिक्य व्यय की धनराशि ₹ 27,194.15 करोड़ को अभी तक राज्य विधानमण्डल से नियमित नहीं किया गया है।

[प्रस्तर 2.2, 2.3.1, 2.3.2 एवं 2.3.3]

- वर्ष 2018-19 के दौरान आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 107.08 करोड़ की धनराशि 31 मार्च 2019 तक अप्रतिपूर्ति रही।

[प्रस्तर 2.6]

## अध्याय-3

### वित्तीय रिपोर्टिंग

- विभागीय अधिकारियों ने, विशेष उद्देश्यों के लिए मार्च 2018 तक दिये गये अनुदानों ₹ 37.66 करोड़ के 25 उपयोगिता प्रमाण पत्रों (मार्च 2019 तक प्रस्तुत करने हेतु देय) को

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किया। इन प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए अनुदानों का उपयोग किया।

[प्रस्तर 3.1]

- व्यय एवं प्राप्तियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' एवं '800-अन्य प्राप्तियाँ' में इंद्राज की गई, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता प्रभावित हुयी।

[प्रस्तर 3.4]

- सरकार ने वित्तीय लेखों में उचित प्रकटीकरण उपलब्ध नहीं कराया है जैसा कि आई जी ए एस-1 (सरकार द्वारा दी गयी गारंटी), आई जी ए एस-2 (सहायता अनुदान का लेखाकरण एवं वर्गीकरण) और आई जी ए एस-3 (सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम) के अंतर्गत आवश्यक है।

[प्रस्तर 3.9]

# **अध्याय-1**

## **राज्य सरकार के वित्त**



## अध्याय-1

### राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट-1.1** राज्य सरकार के वित्त लेखे की संरचना और लेआउट के को प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट-1.2(भाग-अ)** राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारणार्थ अपनाई गई कार्य पद्धति की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

16 जुलाई 2019 को सचिव, वित्त विभाग के साथ एक प्रवेश गोष्ठी आयोजित की गयी और 10 फरवरी 2020 को एक बहिर्गमन गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। सरकार की प्रतिक्रियाओं को संबन्धित प्रस्तर में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

#### 1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तराखण्ड, भारत सरकार (भा स) द्वारा राज्यों के संवर्गीकरण पर आधारित विशेष श्रेणी राज्य (वि श्रे रा) है। उत्तराखण्ड को प्राप्त विशेषाधिकारों में भा स द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण का अनुपात होता है जो गैर-विशेष श्रेणी राज्यों से भिन्न है जिन्हें केन्द्रीय सहायता 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है।

राज्य में बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुई तथा वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक की अवधि के लिए इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद<sup>1</sup> (स रा घ उ) तथा प्रति व्यक्ति स रा घ उ में प्रचलित दरों पर मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर), विशेष श्रेणी राज्य के मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) 11.55 प्रतिशत तथा 10.93 प्रतिशत के सापेक्ष, 11.42 प्रतिशत तथा 9.94 प्रतिशत क्रमशः मामूली रूप से कम रही। इसके अलावा, उत्तराखण्ड राज्य का प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (9.94 प्रतिशत) अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (10.35 प्रतिशत) से काफी नीचे था।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता और जन्म पर नवजात शिशु मृत्यु दर ने दर्शाया कि राज्य में अखिल भारतीय औसत से बेहतर साक्षरता किन्तु उच्च नवजात शिशु मृत्यु दर है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) जनसंख्या की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी **(परिशिष्ट-1)**।

#### सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)

भारत के स रा घ उ तथा राज्य के स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि की प्रचलित दरों एवं स्थिर दरों पर प्रवृत्ति नीचे तालिका-1.1 में प्रदर्शित है:

<sup>1</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।



तालिका-1.1: प्रचलित एवं स्थिर दरों पर स घ उ और स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि दर


वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17*	2017-18*	2018-19*
<b>प्रचलित दर</b>					
भारत का स घ उ (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
राज्य का स रा घ उ (₹ करोड़ में)	1,61,439	1,77,163	1,95,125	2,22,836	2,45,895
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	8.29	9.74	10.14	14.20	10.35
<b>स्थिर दर</b>					
भारत का स घ उ (₹ करोड़ में)	1,05,27,674	1,13,69,493	1,22,98,327	1,31,79,857	1,40,77,586
स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	7.41	8.00	8.17	7.17	6.81
राज्य का स रा घ उ (₹ करोड़ में)	1,41,278	1,52,699	1,67,703	1,80,844	1,93,273
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	5.29	8.08	9.83	7.84	6.87

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, उत्तराखण्ड शासन।

\*अनंतिम \* त्वरित \*अग्रिम प्राक्कलन।

स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रचलित दर) वर्ष 2014-15 में 8.29 प्रतिशत से 2017-18 में 14.20 प्रतिशत तक निरन्तर बढ़ी। तथापि, वृद्धि दर चालू वर्ष में 10.35 प्रतिशत तक गिरी है। स रा घ उ की वृद्धि दर जो कि वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में अखिल भारतीय वृद्धि दर से कम थी, ने वर्ष 2017-18 में सुधार प्रदर्शित किया परंतु पुनः 2018-19 के दौरान नीचे आ गयी। राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का तुलनात्मक विवरण चार्ट-1.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट-1.1: राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की तुलना



स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखण्ड 2018-19।


राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 जो कि तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) की सिफारिश पर 2011 में संशोधित किया गया, चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) (परिशिष्ट-1.2 भाग-ब) की सिफारिशों के आधार पर दिसम्बर 2016 में पुनः संशोधित किया गया। चौ वि आ द्वारा संस्तुत लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य का राजकोषीय प्रदर्शन प्रस्तर 1.1.2 में

वर्णित है। 18 फरवरी 2019 को तैयार मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) के माध्यम से राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) के आउटकम इंडिकेटर्स भी **परिशिष्ट-1.2 (भाग-ब)** में दिए गए हैं।

### 1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन- देन का सार

सरकारी वित्त में समान्यतः निम्नलिखित शामिल होते हैं:

चार्ट-1.2: सरकारी लेखे की संरचना



स्रोत: बजट मैनुअल पर आधारित।

तालिका-1.2, गत वर्ष (2017-18) के सापेक्ष चालू वर्ष (2018-19) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सार प्रस्तुत करती है। **परिशिष्ट-1.4 (भाग-अ)** गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष

के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका-1.2: चालू वर्ष के राजकोषीय संचालनों का सार


(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2017-18	2018-19	संवितरण	2017-18	2018-19
<b>भाग-अ: राजस्व</b>					
स्वयं के कर राजस्व	10,164.93	12,188.09	सामान्य सेवाएँ	12,408.50	13,524.87
करेत्तर राजस्व	1,769.53	3,309.88	सामाजिक सेवाएँ	10,929.44	12,209.34
संघीय करों/शुल्कों का अंश	7,084.91	8,011.59	आर्थिक सेवाएँ	4,276.21	5,002.49
भारत सरकार से अनुदान	8,085.20	7,706.88	सहायता अनुदान और अंशदान	1,468.54	1,459.32
राजस्व प्राप्तियाँ	27,104.57	31,216.44	राजस्व व्यय	29,082.69	32,196.02
<b>भाग-ब: पूँजीगत और अन्य</b>					
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	0.01	पूँजीगत परिव्यय	5,914.37	6,184.42
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	33.50	26.91	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	76.83	183.48
लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,526.08	7,275.18	लोक ऋणों का पुनर्भुगतान*	1,720.72	2,057.51
आकस्मिकता निधि से विनियोग	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग	(-) 250.00	--
आकस्मिकता निधि	104.66	216.89	आकस्मिकता निधि	481.50	107.08
लोक लेखा प्राप्तियाँ <sup>#</sup>	37,571.25	41,789.74	लोक लेखा संवितरण <sup>#</sup>	35,366.30	39,947.18
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	2,785.95	2,733.60	अंतिम रोकड़ शेष	2,733.60	2,583.08
<b>योग</b>	<b>75,126.01</b>	<b>83,258.77</b>	<b>योग</b>	<b>75,126.01</b>	<b>83,258.77</b>

\* इसमें अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन शामिल नहीं हैं।

# लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में विभागीय शेष और नगद शेष निवेश खाता सम्मिलित नहीं होता है। प्रतिवेदन में अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के निवल आँकड़े राज्य के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए लिखे गए हैं।

2018-19 के दौरान राज्य की समेकित निधि के संसाधनों एवं निधियों के उपयोग की संरचना चार्ट-1.3 और चार्ट-1.4 में दी गई है:



स्रोत: वित्त लेखी।

पिछले वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त के प्रमुख घटकों (चार्ट-1.3 और चार्ट-1.4) की तुलना संक्षेप में नीचे दी गई है:

तालिका-1.3: विभिन्न घटकों का सुधरना/खराब होना

सकारात्मक संकेतक	मापदंड जिनकी सूक्ष्म निगरानी आवश्यक है
<ul style="list-style-type: none"> <li>करेक्टर राजस्व में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>स्वयं के कर राजस्व में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>पूँजीगत व्यय में पाँच प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>लोक ऋण प्राप्तियों में तीन प्रतिशत की कमी हुई।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऋण और अग्रिम की वसूली में 20 प्रतिशत की कमी हुई।</li> <li>राजस्व व्यय में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> </ul>

स्रोत: वित्त लेखे।

### 1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बजट में प्रावधानित मुख्य राजकोषीय चर और चौ वि आ की संस्तुतियाँ तालिका-1.4 में दी गयी हैं। राज्य सरकार द्वारा चौ वि आ की संस्तुतियों के आधार पर एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन (दिसम्बर 2016) किया गया एवं लक्ष्यों को निर्धारित किया गया।

तालिका-1.4: राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय चर	2018-19						
	चौ वि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	एम टी एफ पी एस में प्रक्षेपण	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशतता भिन्नता		
					चौ वि आ के निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	एम टी एफ पी एस प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	शून्य	32.68	27.24	(-979.58)	अगणनीय	(-) 3,097.49	(-) 3,696.11
राजकोषीय घाटा/स रा घ उ (प्रतिशत में)	3.25	2.75	2.32	2.98	(-) 8.31	(+) 8.36	(+) 28.45
सरकार के कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	22.56	24.29	24.26	23.60	(+) 4.61	(-) 2.84	(-) 2.72

\* राजस्व घाटे के लिए चौ वि आ एवं एफ आर बी एम, अधिनियम द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।


राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 पारित होने के समय से राज्य सरकार राजकोषीय सुदृढीकरण की ओर अग्रसर है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान, राज्य सरकार राजस्व आधिक्य अनुरक्षित करने में सफल रही। 2014-15 के दौरान, राजस्व आधिक्य राजस्व घाटे (₹ 917 करोड़) में बदल गया और वर्ष 2015-16 (₹ 1,852 करोड़) में भी जारी रहा। वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य राजस्व घाटे में तेजी से ₹ 383 करोड़ की कमी करने में सक्षम रहा था, परन्तु वर्ष 2017-18 में समान प्रवृत्ति नहीं बनाए रख सका तथा ₹ 1,978 करोड़ के उच्चतर राजस्व घाटे का अनुभव किया।

तथापि, चालू वर्ष में राजस्व घाटा ₹ 979.58 करोड़ (स रा घ उ का 0.40 प्रतिशत) तक कम हुआ है स रा घ उ का राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 2.98 प्रतिशत जो कि चौ वि आ के मापदंड 3.25 प्रतिशत के अन्दर रहा, परन्तु बकाया राजकोषीय दायित्व का स रा घ उ से अनुपात 23.60 प्रतिशत था, जो कि चौ वि आ के मापदंड 22.56 प्रतिशत से अधिक था।

### 1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज विशेष राजकोषीय वर्ष के राजस्व और व्यय के प्रक्षेपों या अनुमानों का विवरण उपलब्ध कराता है। राजस्व और व्यय के प्राक्कलनों की परिशुद्धता की महत्ता राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के सन्दर्भ में सर्वमान्य है। बजट अनुमानों (ब अ) से भिन्नता विविध कारणों से, जिनमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में जबकि अन्य जो नियंत्रण से बाहर हैं, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों के न पाने और अनुकूलतम स्तर न पाने का संकेतक है। वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न संघटकों के सन्दर्भ में बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविकों को नीचे प्रदर्शित किया गया है:

चार्ट-1.5: वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान एवं वास्तविक



स्रोत: बजट अनुमान एवं वित्त लेखों


उपरोक्त चार्ट-1.5 से यह स्पष्ट है कि :

- मुख्यतः कर राजस्व में ₹2,776 करोड़ (18.55 प्रतिशत) और करेत्तर राजस्व में ₹161 करोड़ (4.64 प्रतिशत) की कमी के कारण समग्र राजस्व प्राप्तियाँ ₹4,444 करोड़ (12.46 प्रतिशत) से कम थी।
- राज्य सरकार वर्ष 2018-19 में राजस्व व्यय सीमित करने में काफी हद तक सफल रही और यह चालू वर्ष के लिए ब अ से ₹3,431 करोड़ (9.63 प्रतिशत) कम रहा।
- पूँजीगत व्यय ₹6,184 करोड़ बजटीय अनुमान ₹6,584 करोड़ से ₹400 करोड़ (6.08 प्रतिशत) कम था।
- वर्ष 2018-19 बजट अनुमानों में निर्धारित ₹33 करोड़ के राजस्व आधिक्य के सापेक्ष ₹980 करोड़ के राजस्व घाटे पर समाप्त हुआ।
- वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे (₹6,710 करोड़) एवं प्राथमिक घाटे (₹1,804 करोड़) का लक्ष्य

राज्य द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि दोनों राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा बजट अनुमानों से क्रमशः ₹610 करोड़ एवं ₹1,041 करोड़ अधिक थे।

यह इंगित करता है कि समस्त मापदण्डों में लक्ष्य की प्राप्ति में कमी रही।

## 1.2 राज्य की प्राप्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे, # इसमें अर्थापय अग्रिम शामिल नहीं हैं।


\*निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹ 1,843 करोड़)=लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹ 41,790 करोड़) - लोक लेखा संवितरण (₹ 39,947 करोड़)।

### 1.2.1 राज्य की प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना


राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को गठित करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण) से ऋण की प्राप्तियाँ तथा भा स से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में उपलब्ध निधियों के वितरण के बाद बची निधियों को सरकार द्वारा अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

चार्ट-1.6 वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों

का चित्रण एवं चार्ट-1.7 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना को दर्शाता है।



\*निवल लोक लेखा प्राप्ति = लोक लेखा प्राप्ति - लोक लेखा वितरण।



वर्ष 2018-19 में सरकार की कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों को छोड़कर) वर्ष 2014-15 के ₹26,498 करोड़ से ₹13,863 करोड़ (52 प्रतिशत) बढ़कर, ₹40,361 करोड़ हो गयी। कुल प्राप्ति में से पाँच प्रतिशत (₹1,843 करोड़) निवल लोक लेखे से प्राप्त हुआ जबकि 18 प्रतिशत (₹7,302 करोड़) एवं 77 प्रतिशत (₹31,216 करोड़) क्रमशः पूँजीगत प्राप्तियों एवं राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त हुआ।

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 15.17 प्रतिशत बढ़ गईं। यह मुख्यतः राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹2,023 करोड़ (19.90 प्रतिशत), संघ के कर/शुल्क में राज्यांश के ₹926 करोड़ (13.07 प्रतिशत) और करेत्तर राजस्व के ₹1,540 करोड़ (87.01 प्रतिशत) की वृद्धि के

कारण हुआ। यह वृद्धि भारत सरकार के अनुदान से प्राप्ति ₹ 378 करोड़ (4.68 प्रतिशत) में कमी के कारण प्रतिभारित हो गया। चालू वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों के संघटकों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ 3.82 प्रतिशत बढ़ी जबकि कुल प्राप्तियों में निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ का अंश पूर्व वर्ष की प्राप्ति से 1.41 प्रतिशत घटा। (तालिका-1.2 का संदर्भ लें)।

### 1.2.2 राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियाँ

विगत वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों<sup>2</sup> को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियाँ अन्तरित की गयीं। तथापि, केंद्रीय प्रायोजित योजना/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से संबन्धित सभी सहायता क्रियान्वयन अभिकरणों के स्थान पर राज्य सरकार को देने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 701.50 करोड़ (राज्य बजट से बाहर प्रेषित निधि-बिना जाँचे गए आँकड़े) सीधे उत्तराखण्ड राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए जैसा कि तालिका-1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.5: राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ

			(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	योजना का नाम	अभिकरण का नाम/अभिकरण का प्रकार	अन्तरित निधियाँ
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सी एस	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी संस्था	434.40
2.	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग उत्तराखण्ड	66.56
3.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एम पी एल ए डी एस	विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टर	30.00
4.	जे & के, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी राज्य पैकेज (उत्तरी पूर्वी के अलावा)	राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	24.71
5.	विषय वस्तु आधारित टूरिस्ट सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश)	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड	24.58
6.	प्रसाद-तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिकता संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड	22.21
7.	राष्ट्रीय गोकुल अभियान	उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड	22.13
8.	अन्य (99)	विभिन्न अभिकरण	76.91
<b>योग</b>			<b>701.50</b>

स्रोत: वित्त लेखा-परिशिष्ट-VII।

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को अंतरित कुल धनराशि ₹ 1,778.24 करोड़ (केंद्रीय निकाय एवं अन्य संस्थान जो राज्य सरकार के परिधि के बाहर हैं को सम्मिलित करते हुए) में से ₹ 701.50 करोड़ (39 प्रतिशत) की धनराशि राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गयी।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियाँ


वित्त लेखे का विवरण-14, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता

<sup>2</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।



अनुदान सम्मिलित हैं। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की संरचना और प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.3** में प्रस्तुत किया गया है तथा **चार्ट-1.8** में भी चित्रित किया गया है।

चार्ट-1.8: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



राजस्व प्राप्तियों में 2014-15 से 2018-19 की अवधि में निरंतर वृद्धि देखी गई है। औसतन 12.61 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के साथ यह 2014-15 में ₹ 20,247 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 31,216 करोड़ हो गया, जिसमें राज्य का स्वयं का राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण और सहायता अनुदान क्रमशः ₹ 6,048 करोड़ (64 प्रतिशत), ₹ 4,219 करोड़ (111.26 प्रतिशत) और ₹ 702 करोड़ (10.02 प्रतिशत) उक्त अवधि के दौरान बढ़े। 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 49.65 प्रतिशत राज्य के स्वयं के राजस्व से आया।

2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में लगभग 47.89 प्रतिशत औसतन योगदान राज्य के स्वयं के राजस्व का रहा। सराघउ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि को **तालिका-1.6** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.6: स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) (₹ करोड़ में)	20,247	21,234	24,889	27,105	31,216
रा प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.89	4.87	17.21	8.90	15.17
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)	1,61,439	177,163	1,95,125	2,22,836	2,45,895
रा प्रा/स रा घ उ (प्रतिशत)	12.54	11.99	12.76	12.16	12.69
उत्प्लावकता अनुपात <sup>3</sup>					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	2.04	0.50	1.70	0.63	1.47
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	1.61	1.28	1.60	(-) 0.47	1.92

राजस्व प्राप्तियों की 2014-15 के लिए वृद्धि दर 16.89 प्रतिशत से तेजी से गिरकर 2015-16 में 4.87 प्रतिशत हो गयी। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान यह पुनः तेजी से बढ़कर 17.21 प्रतिशत तक

<sup>3</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ ग्रहण करें।

हो गई, परंतु वर्ष 2017-18 में पुनः घटकर 8.90 प्रतिशत हो गयी। वृद्धि दर चालू वर्ष 2018-19 के दौरान समुचित रूप से बढ़ी है और यह 15.17 प्रतिशत थी।

राजस्व उत्प्लावकता में, जो राजस्व प्राप्तियों तथा स रा घ उ में वृद्धि के प्रत्यक्ष आनुपातिक है, राजस्व प्राप्तियों के वृद्धि अनुपात में उतार-चढ़ाव के कारण 2014-15 से 2018-19 के दौरान उतार-चढ़ाव देखा गया। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 2014-15 में 16.89 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 4.87 प्रतिशत हुई, जिसके कारण यह वर्ष 2014-15 में 2.04 से घटकर 2015-16 में 0.50 हो गयी। वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व उत्प्लावकता में 1.70 तक वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान यह 0.63 तक घटी। तथापि, यह वर्ष 2018-19 के दौरान 1.47 प्रतिशत तक बढ़ी है।

### 1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होता है, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का निर्धारण इसके अपने स्रोतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें निजी कर एवं करेत्तर स्रोतों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं। 2018-19 के दौरान राज्य के अपने संसाधनों के सन्दर्भ में चौ वि आ के अनुमानों, बजट अनुमानों और एम टी एफ पी एस अनुमानों के सापेक्ष वास्तविकों को तालिका-1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.7: राज्य के अपने संसाधन: अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के अपने संसाधन	चौ वि आ अनुमान	बजट अनुमान	एम टी एफ पी एस अनुमान	वास्तविक	वास्तविक में प्रतिशतता का अन्तर		
					चौ वि आ के अनुमान	बजट अनुमान	एम टी एफ पी एस अनुमान
स्वयं का कर राजस्व	22,282	14,964	14,764	12,188	-45.30	-18.55	-17.45
करेत्तर राजस्व	3,418	3,471	3,747	3,310	-3.16	-4.64	-11.66

जैसा कि तालिका-1.7 में प्रदर्शित है, चौ वि आ, ब अ एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष राज्य के स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 10,094 करोड़, ₹ 2,776 करोड़ और ₹ 2,576 करोड़ कम रहा।

करेत्तर राजस्व (करे रा), चौ वि आ प्रक्षेपण, ब अ एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष क्रमशः ₹ 108 करोड़, ₹ 161 करोड़ और ₹ 437 करोड़ कम था।

संक्षेप में राज्य, बजट और एम टी एफ पी एस में अनुमानित अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सका।

### वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) अधिनियम को लागू किया जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार, जी एस टी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार पाँच साल की अवधि तक राज्यों को करेगी। राज्य को देय क्षतिपूर्ति की गणना अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी, जैसा कि भारत के सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा किया गया हो। राजस्व

आँकड़े हेतु एक आधार वर्ष (2015-16) जी एस टी अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया था। उत्तराखण्ड के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹4,961.22 करोड़ था। किसी राज्य में किसी भी वर्ष के लिए प्रक्षेपित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (प्रति वर्ष 14 प्रतिशत) को लागू करके की जाएगी।

आधार वर्ष के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए प्रक्षेपित राजस्व ₹7,350.26 करोड़ था। वर्ष 2018-19 के जी एस टी के अन्तर्गत राजस्व आँकड़ा प्राप्तियों की प्रकृति के अनुसार वित्त लेखों में दर्शाया गया है, अर्थात् राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), एस जी एस टी और आईजीएसटी के मध्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रॉस उपयोग, आईजीएसटी का विभाजन और आईजीएसटी से अग्रिम विभाजन। ₹7,350.26 करोड़ के प्रक्षेपित राजस्व के विरुद्ध, वर्ष 2018-19 के दौरान जी एस टी के अन्तर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹6,902.54 करोड़ थी, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

तालिका-1.8: अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए राज्य के प्रक्षेपित राजस्व के सापेक्ष संग्रहीत पूर्व-जी एस टी एवं एस जी एस टी, आई जी एस टी के अनंतिम आवंटन एवं भारत सरकार से प्राप्त आई जी एस टी की क्षतिपूर्ति

(₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किए जाने वाला मासिक राजस्व	पूर्व संग्रहीत जी एस टी कर संग्रह	संग्रहीत एस जी एस टी	आई जी एस टी का अनंतिम विभाजन	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	कमी (-)/ आधिक्य(+)	टिप्पणी	
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7=(1-(5+6))	8	
अप्रैल 2018	612.522	160.12	351.33	-10.39	501.06	00	111.462	संरक्षित राजस्व की तुलना में क्षतिपूर्ति के घटक को ध्यान में रखते हुए राज्य को कम राजस्व प्राप्त हुआ है।	
मई 2018	612.522	175.68	296.99	-5.51	467.16	149.00	-3.638		
जून 2018	612.522	182.86	296.57	17.00	496.43	00	116.092		
जुलाई 2018	612.522	168.59	315.29	3.59	487.47	265.00	-139.948		
अगस्त 2018	612.522	148.94	290.28	310.10	749.32	00	-136.798		
सितम्बर 2018	612.522	141.59	285.89	94.51	521.99	497.00	-406.468		
अक्टूबर 2018	612.522	152.94	336.66	5.88	495.48	00	117.042		
नवम्बर 2018	612.522	156.75	334.83	252.98	744.56	425.00	-557.038		
दिसम्बर 2018	612.522	155.37	286.62	212.74	654.73	00	-42.208		
जनवरी 2019	612.522	176.08	290.11	40.97	507.16	338.00	-232.638		
फरवरी 2019	612.522	163.19	334.57	-48.01	449.75	00	162.772		
मार्च 2019	612.522	-1,718.79 <sup>4</sup>	353.57	155.65	-1,209.57	363.00	1,459.092		
<b>योग</b>	<b>7350.26</b>	<b>63.32</b>	<b>3,772.71</b>	<b>1,029.51</b>	<b>4,865.54</b>	<b>2,037.00</b>	<b>447.724</b>		

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित आँकड़े।

### आई जी एस टी से अग्रिम विभाजन

भारत सरकार, आई जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य सरकारों को आई जी एस टी का विभाजन करती है। राज्य कर विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भा स) द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान अग्रिम विभाजन के ₹806 करोड़ स्वीकृत किए गए। तथापि, भा स द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान दिये गए अग्रिम विभाजन ₹217 करोड़ के सापेक्ष ₹44 करोड़ समायोजित किया गया। अतः, राज्य सरकार को वर्ष 2018-19 के दौरान अग्रिम विभाजन के रूप में ₹762 करोड़ प्राप्त हुए।

<sup>4</sup> प्रतिकूल प्रविष्टि खातों में सुधार के कारण है।

### जी एस टी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

माल और सेवा कर (जी एस टी) के संग्रह के स्वचालन के साथ, लेखों को प्रमाणित करने हेतु सी ए जी के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए नमूना जाँच से पारगमन कर सभी लेन-देन की व्यापक जाँच किया जाना आवश्यक है। डाटा तक आवश्यक पहुँच प्रदान की जानी बाकी है। सभी जी एस टी लेन-देन से संबंधित डाटा तक पहुँच न होना, जी एस टी प्राप्तियों का व्यापक रूप से लेखापरीक्षा किए जाने के रास्ते में बाधक है। इसलिए, वर्ष 2018-19 के लेखों को एक बार अपवाद के रूप में नमूना जाँच के आधार पर प्रमाणीकृत उसी प्रकार किया गया जैसा कि अभिलेखों को मैनुअल रूप से संरक्षण के समय किया जाता था।

#### 1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के सन्दर्भ में सकल संग्रहण तालिका-1.9 में दिया गया है।

तालिका-1.9: राज्य के स्वयं के संसाधनों के घटक


(₹ करोड़ में)					
राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं एस जी एस टी*	5,465 (11)	6,105 (12)	7,154 (17)	5,675 (-21)	6,685 (18)
राज्य आबकारी	1,487 (17)	1,735 (17)	1,906 (10)	2,262 (19)	2,871 (27)
वाहनों पर कर	394 (7)	471 (20)	556 (18)	816 (47)	909 (11)
स्टॉप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	714 (4)	871 (22)	778 (-11)	882 (13)	1,015 (15)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--
अन्य कर	279 (118)	195 (-30)	503 (158)	530 (5)	708 (34)
<b>योग</b>	<b>8,339 (13)</b>	<b>9,377 (12)</b>	<b>10,897 (16)</b>	<b>10,165 (-7)</b>	<b>12,188 (20)</b>

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की तुलना में बढ़त/घटत की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

एस जी एस टी के आँकड़े 2017-18 और 2018-19 में सम्मिलित किए गए हैं।

राज्य का स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2017-18 में ₹ 10,165 करोड़ से 20 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 12,188 करोड़ हो गया। बिक्री, व्यापार, आदि पर करों से राजस्व जिसमें कर राजस्व (54.85 प्रतिशत चालू वर्ष के दौरान) का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, ने पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान 21 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। चालू वर्ष के दौरान, कर, बिक्री, व्यापार आदि के अन्तर्गत कुल संग्रह 18 प्रतिशत बढ़ कर ₹ 5,675 करोड़ से ₹ 6,685 करोड़ हो गया।


चार्ट-1.9: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के साथ उत्तराखण्ड के स्वयं के कर राजस्व से स रा घ उ की तुलना



उत्तराखण्ड का स्वयं का कर एवं सरा घ उ अनुपात हिमाचल प्रदेश, पड़ोसी पर्वतीय राज्य के अनुपात से कम है। यह अनुपात हरियाणा और पंजाब राज्यों से भी कम होता है।

### 1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व और उसके घटकों की प्रवृत्ति चार्ट-1.10 में दी गई है।



चालू वर्ष के दौरान करेत्तर राजस्व में ₹ 1,540 करोड़ (87.05 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो मुख्यतः वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त पेंशन विभाजन से संबन्धित ₹ 1,656.75 करोड़ के कारण हुई। चालू वर्ष के दौरान वन्य एवं वन्य जीव (₹ 56.54 करोड़; 18.11 प्रतिशत) एवं अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग (₹ 41.05 करोड़; 9.33 प्रतिशत) के कारण भी वृद्धि दर्ज की गई। तदपि, यह वृद्धि ऊर्जा (₹ 99.54 करोड़; 34.78 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 27.37 करोड़; 25.14 प्रतिशत), अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (₹ 55.63 करोड़; 38.75 प्रतिशत) में कमी से कुछ सीमा तक प्रतिभारित हुई।

### 1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भा स से 2014-15 से 2018-19 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान तालिका-1.10 में प्रदर्शित है।

तालिका-1.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आयोजनेत्तर अनुदान	944	1,043	824	714	-
राज्य योजना के लिए अनुदान	4,083	1,173	1,532	1,621	-
केन्द्रीय योजना के लिए अनुदान	99	609	843	76	-
केन्द्रीय सहायतित आयोजना योजना के लिए अनुदान	1,879	2,479	3,035	4,391	-
केन्द्रीय सहायतित योजना के लिए अनुदान	-	-	-	-	4,966
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	-	485
अन्य स्थानांतरण/राज्यों को अनुदान	--	--	--	1,283	2,256
<b>योग</b>	<b>7,005</b>	<b>5,304</b>	<b>6,234</b>	<b>8,085</b>	<b>7,707</b>
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशतता वृद्धि/कमी	38	(-) 24	18	30	(-) 5
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता	35	25	25	30	25

भा स से सहायता अनुदान 2014-15 में ₹ 7,005 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹ 5,304 करोड़ (24 प्रतिशत) हो गया, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान यह ₹ 930 करोड़ (18 प्रतिशत) से बढ़ गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में, भा स से अनुदान प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ ₹ 1,851 करोड़ (30 प्रतिशत) बढ़ी। तथापि, वर्ष 2018-19 के दौरान अनुदान ₹ 378 करोड़ (पाँच प्रतिशत) घट गया।

### 1.3.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

चौ वि आ ने सिफारिश की थी कि केन्द्रीय करों में राज्यांश 2015-16 से 42 प्रतिशत कर दी जाए। फलस्वरूप, केन्द्रीय करों (सेवा कर को छोड़कर) की शुद्ध निवल आय में राज्यांश 1.05 प्रतिशत पर तय किया गया है।

तालिका-1.11: केन्द्रीय कर के राज्यांशों के विभिन्न घटकों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

संघ कर में राज्य के हिस्से का घटक	चौ वि आ की अवधि			2017-18 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि/कमी	
	2016-17	2017-18	2018-19	राशि	प्रतिशत में
निगम कर	2,056.02	2,169.91	2,786.13	616.22	28.40
सीमा शुल्क	884.42	715.10	567.89	-147.21	(-) 20.59
आयकर	1,428.94	1,832.34	2,051.86	219.52	11.98
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	0.02	0	4.14	4.14	--
सेवा कर	1,027.52	804.25	73.45	-730.80	(-) 90.87
संपत्ति कर	4.71	- 0.07	1.02	1.09	1557.14
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,009.94	747.50	377.39	-370.11	(-) 49.51
आय और व्यय पर अन्य कर	00	00	14.51	14.51	--
सी जी एस टी	लागू नहीं	100.52	1,977.40	1,876.88	1867.17
आई जी एस टी	लागू नहीं	715.36	157.80	-557.56	(-) 77.94
<b>कुल योग</b>	<b>6,411.57</b>	<b>7,084.91</b>	<b>8,011.59</b>	<b>926.68</b>	<b>13.08</b>
राज्य के राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में हस्तांतरण	25.76	26.14	25.67		
लागू नहीं: 1 जुलाई 2017 से जी एस टी अधिनियम के लागू होने के कारण लागू नहीं है। स्रोत: वित्त लेख।					

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशतता का हस्तांतरण, गत वर्ष की तुलना में 2017-18 में बढ़ा था, वर्ष 2018-19 के दौरान यह घट गया। तथापि, हस्तांतरण 13.08 प्रतिशत गत वर्ष की तुलना में बढ़ गया है।

### 1.3.4 चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का सदुपयोग

चौ वि आ ने दिसम्बर 2014 में 1 अप्रैल 2015 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि को समाविष्ट करते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत की। भारत सरकार ने चौ वि आ की सिफारिशों पर राज्य सरकार को ₹ 3,856.52 करोड़ का अनुदान स्थानीय निकायों तथा आपदा राहत निधि को 2015-16 से 2019-20

के दौरान उपभोग करने के लिए आवंटित किया। भारत सरकार द्वारा 2018-19 के दौरान अवमुक्त एवं राज्य सरकार द्वारा आगे हस्तांतरण की स्थिति तालिका-1.12 में दर्शायी गयी है।

तालिका-1.12: अनुदान का संस्तुत हस्तांतरण एवं वास्तविक अवमुक्ति

(₹ करोड़ में)

हस्तांतरण	चौ वि आ की संस्तुति 2015-16 से 2019-20	चौ वि आ की संस्तुति 2018-19	2018-19 के दौरान भा स से वास्तविक अवमुक्त	2018-19 के दौरान राज्य द्वारा किया गया हस्तांतरण
<b>1.स्थानीय निकाय</b>				
(अ) पं रा सं के अनुदान	1,882.69	438.32	376.19	376.19
(i) सामान्य अनुदान	1,694.42	376.19	376.19	376.19
(ii) निष्पादन अनुदान	188.27	62.13	00	00
(ब) न स्था नि के अनुदान	815.83	198.74	108.68	108.68
(i) सामान्य अनुदान	652.66	144.90	108.68	108.68
(ii) निष्पादन अनुदान	163.17	53.84	00	00
<b>योग (1)</b>	<b>2,698.52</b>	<b>637.06</b>	<b>484.87</b>	<b>484.87</b>
2.आपदा राहत निधि	1,158.00	243.00	243.00*	141.06
<b>महायोग</b>	<b>3,856.52</b>	<b>880.06</b>	<b>727.87</b>	<b>625.93</b>

स्रोत: चौ वि आ आख्या एवं वित्त लेखे।

(₹ 219 करोड़ के केंद्रान्श के साथ ₹ 24 करोड़ का राज्यांश भी जारी किया गया)।

चौ वि आ द्वारा स्वीकृत अनुदान में से दो भाग-सामान्य अनुदान एवं निष्पादन अनुदान यथावत पंचायती राज संस्थाओं (पं रा सं) एवं नगर स्थानीय निकायों (न स्था नि) को स्वीकृत किए गए। 2018-19 के दौरान, राज्य को न स्था नि के लिए भा स से सामान्य अनुदान का अपना पूर्ण अंश नहीं प्राप्त हुआ और न स्था नि के साथ ही पं रा सं के लिए निष्पादन अनुदान का अंश भी प्राप्त नहीं हुआ। राज्य के विभाग द्वारा पं रा सं एवं न स्था नि द्वारा अनुदान के वास्तविक उपयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया।

#### 1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ या तो गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे सरकारी कम्पनियों/कॉरपोरेशनों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियाँ और ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ अथवा ऋण पूँजी प्राप्तियाँ हैं, जो कि समेकित निधि के लोक ऋण भाग में क्रेडिट की जाती हैं। लोक ऋण प्राप्तियाँ विस्तृत रूप में दो श्रेणियों; (अ) संघ सरकार से ऋण/अग्रिम (ब) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से नेगोसियेटेड ऋण या राज्य विकास ऋण निर्गमों के माध्यम से खुले बाजार की उधारियाँ, में विभाजित हैं। संघ सरकार से ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं ऋणों/अग्रिमों का हिस्सा नगण्य है और पूँजीगत प्राप्तियाँ मुख्यतः बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं खुले बाजार से उधारियाँ शामिल हैं जैसा कि तालिका-1.13 में वर्णित है।

तालिका-1.13: प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

		(₹ करोड़ में)				
राज्य की प्राप्तियों का स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ प्रा)	4,754	6,825	6,536	7,560	7,302	
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	135	--	--	--	--	
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	46	27	35	34	27	
लोक ऋण प्राप्तियाँ	बाजार ऋण	2,400	3,900	5,450	6,660	6,300
	अन्य आंतरिक संसाधन	2,112	2,801	905	752	870
	भारत सरकार से	61	97	146	114	105
	कुल	4,573 (96.19)	6,798 (99.60)	6,501 (99.46)	7,526 (99.55)	7,275 (99.63)

कोष्ठकों में आँकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

पूँजीगत प्राप्तियाँ, राज्य की ऋण एवं गैर ऋण प्राप्तियों<sup>5</sup> से मिलकर बनी होती है जिसकी औसत वृद्धि दर 2014-15 से 2018-19 तक 13.46 प्रतिशत थी। ऋण प्राप्तियों का पूँजीगत प्राप्तियों में प्रमुख भाग है तथा 2014-15 से 2018-19 के दौरान यह 96.19 से 99.63 प्रतिशत के बीच थी।

#### 1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ वर्ष 2014-15 में ₹ 46 करोड़ से 2015-16 में ₹ 27 करोड़ तक घटी। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान वसूलियों में (₹ आठ करोड़) बढ़त देखने को मिली परंतु वर्ष 2017-18 के दौरान इसमें मामूली गिरावट (₹ एक करोड़) आयी। गिरावट की प्रवृत्ति 2018-19 में भी जारी रही क्योंकि इसमें गत वर्ष की तुलना में ₹ सात करोड़ की गिरावट आयी।

#### 1.4.2 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

2014-15 से 2018-19 की अवधि में आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संसाधनों से ऋण इत्यादि, सरकार की प्राप्तियों के लगातार मुख्य स्रोत बने रहे। ये 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹ 2,658 करोड़ (58.91 प्रतिशत) बढ़ गया। तथापि, चालू वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में ₹ 251 करोड़ (3.34 प्रतिशत) कम हुईं। बाजार उधारियों में प्रवृत्ति का विवरण प्रस्तर 1.10.1 में है।

#### 1.4.3 भारत सरकार से ऋण व अग्रिम

उत्तराखण्ड राज्य विशेष श्रेणी राज्य होने के कारण भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं ऋण 90:10 के अनुपात में प्राप्त करता है। भा स से ऋण (₹ 789.91 करोड़) के सन्दर्भ में राज्य सरकार के बकाया दायित्व, कुल लोक ऋण (₹ 46,232.62 करोड़) का केवल 1.71 प्रतिशत है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम की प्राप्तियाँ ₹ 61 करोड़ से बढ़कर ₹ 105 करोड़ हो गईं। चालू वर्ष के दौरान, यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹ नौ करोड़ (7.89 प्रतिशत) घटी है।

<sup>5</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ ग्रहण करें।



## 1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

प्राप्तियाँ एवं वितरण के कतिपय लेन-देनों के सन्दर्भ में यथा लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तों, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते हैं, को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है एवं ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं हैं। यहाँ सरकार लोक धन के लिए बैंकर/ट्रस्टी की तरह कार्य करती है। सरकार के पास वितरण के बाद अवशेष निधि उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है। तालिका-1.14 लोक लेखा के विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत प्राप्तियों तथा वितरणों की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.14: वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं वितरणों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्ति		लोक लेखा से संवितरण		संवितरण से अधिक प्राप्तियाँ (निवल लोक लेखा प्राप्ति)	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
लघुबचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,840.79	2,189.60	1,221.32	1,299.74	619.47	889.86
आरक्षित निधियाँ	232.34	243.00	127.26	131.46	105.08	111.54
जमा एवं अग्रिम	4,727.47	4,502.04	4,008.79	4,513.09	718.68	(-) 11.05
उचन्त एवं विविध <sup>6</sup>	31,936.91	35,287.11	31,206.55	35,114.04	730.36	173.07
प्रेषण	(-) 1,166.25	(-) 432.01	(-) 1,197.62	(-) 1,111.15	31.37	679.14
<b>योग</b>	<b>37,571.26</b>	<b>41,789.74</b>	<b>35,366.30</b>	<b>39,947.18</b>	<b>2,204.96</b>	<b>1,842.56</b>

निवल लोक लेखे प्राप्तियों में कमी प्रथमतः जमा और अग्रिमों के अंतर्गत निवल संग्रहण में कमी के कारण हुई जो कि आंशिक रूप से प्रेषण एवं लघु बचत, भविष्य निधि आदि के निवल संग्रहण में हुई वृद्धि से प्रतिभारित हुई।

## 1.6 संसाधनों का उपयोग


राजकोषीय दायित्व विधायन ढाँचे के अन्तर्गत राज्य सरकार को व्यय करने का दायित्व प्रदान किया जाता है जबकि इसी समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढीकरण प्रक्रिया विशेषकर विकासपरक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो। राज्य में व्यय के आवंटन के विश्लेषण पर चर्चा नीचे की गई है।

### 1.6.1 व्यय की संरचना एवं वृद्धि

चार्ट-1.11, पाँच वर्षों (2014-15 से 2018-19) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है तथा इनकी संरचनाओं को 'क्रियाकलापबद्ध व्यय' के सन्दर्भ में चार्ट-1.11 में चित्रित किया गया है।

<sup>6</sup> विभागीय अवशेष, स्थायी नगद अग्रदाय के अंतर्गत अवशेष तथा नगद शेष निवेश लेखा सम्मिलित नहीं होते हैं।


चार्ट-1.11: पिछले पाँच वर्षों के दौरान व्यय की संरचना



राज्य का कुल व्यय (कु व्य) वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 14.11 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत दर से बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान कुल व्यय में ₹3,489 करोड़ (9.95 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। यह मोटे तौर पर राजस्व व्यय (राव्य) में ₹3,113 करोड़, पूँजीगत व्यय (पूँव्य) में ₹270 करोड़ की वृद्धि, और ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में ₹106 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई है।

**राजस्व व्यय (राव्य):** वर्ष 2018-19 में राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में ₹3,113 करोड़ अधिक रहा था और कुल व्यय (₹38,563 करोड़) का 83.49 प्रतिशत लेखांकित किया गया है जो कि वर्ष 2017-18 के सुसंगत आँकड़े 82.92 प्रतिशत के सापेक्ष अधिक था। राजस्व व्यय में चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की तुलना में (i) सामाजिक सेवाएँ (₹1,280 करोड़) मुख्यतः शिक्षा क्षेत्र (₹829 करोड़) एवं स्वास्थ्य क्षेत्र (₹353 करोड़) में वृद्धि के कारण (ii) सामान्य सेवाएँ (₹1,116 करोड़) जिसमें क्रमशः ब्याज भुगतान एवं पेंशन में हुई ₹488 करोड़ एवं ₹363 करोड़ की वृद्धि शामिल थी (iii) आर्थिक सेवाएँ (₹726 करोड़) जो कि अनुदान एवं अंशदान (₹नौ करोड़) के मामूली कमी से प्रतिभारित हुई, के कारण वृद्धि हुई।

**पूँजीगत व्यय (पूँ व्य):** कुल पूँ व्य 2014-15 में ₹4,939 करोड़ से कम होकर 2015-16 में ₹4,217 करोड़, लेकिन पुनः क्रमशः 2016-17 में ₹4,954 करोड़ और 2017-18 में ₹5,914 करोड़ तक बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में भी वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी थी और यह वृद्धि ₹270 करोड़ (4.57 प्रतिशत) हुई। तथापि, पूँजीगत व्यय का प्रतिशत कुल व्यय के प्रतिशत से 2014-15 में 18.81 प्रतिशत से कम होकर 2018-19 में 16.04 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य द्वारा किए गए पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्य से ₹848 करोड़ अधिक है लेकिन बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹400 करोड़ कम था।



कुल व्यय में व्यय के इन घटकों के संबंधित अंश ने 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शायी। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय का औसतन अंश 82.90 प्रतिशत था, जबकि 2014-15 में पूँजीगत व्यय का अंश 18.81 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 16.04 प्रतिशत हो गया। कुल खर्च में ऋण और अग्रिम का अंश भी 2014-15 में 0.58 प्रतिशत से मामूली घटकर 2018-19 में 0.47 प्रतिशत हो गया।

### 1.6.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन और पारिश्रमिक पर व्यय, पेंशन और उपदान शामिल होते हैं। तालिका-1.15 एवं चार्ट-1.13 वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती हैं।


तालिका-1.15: वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		
					ब अ	वास्तविक	ब अ के सापेक्ष वास्तविक में भिन्नता की प्रतिशतता
वेतन एवं पारिश्रमिक	7,309 (36.10)	7,848 (36.96)	8,670 (34.83)	10,496 (38.72)	13,765	11,525 (36.92)	-16.27
ब्याज भुगतान	2,406 (11.88)	2,971 (13.99)	3,723 (14.96)	3,987 (14.71)	4,906	4,475 (14.34)	-8.79
पेंशन पर व्यय	2,452 (12.11)	2,628 (12.38)	3,170 (12.74)	5,033 (18.57)	5,353	5,396 (17.29)	0.80
उपदान	209 (1.03)	211 (0.99)	208 (0.84)	186 (0.69)	269	174 (0.56)	-35.32
कुल वचनबद्ध व्यय	12,376 (61.13)	13,658 (64.32)	15,771 (63.37)	19,702 (72.69)	24,293	21,570 (69.10)	-11.21
अन्य घटक	8,788 (43.40)	9,428 (44.40)	9,501 (38.17)	9,381 (34.61)	11,334	10,626 (34.04)	-6.25
<b>कुल राजस्व व्यय</b>	<b>21,164</b>	<b>23,086</b>	<b>25,272</b>	<b>29,083</b>	<b>35,627</b>	<b>32,196</b>	<b>-9.63</b>
<b>राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>20,247</b>	<b>21,234</b>	<b>24,889</b>	<b>27,105</b>	<b>35,660</b>	<b>31,216</b>	<b>-12.46</b>

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत को इंगित करते हैं।

चार्ट-1.13: राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय



वर्ष 2014-15 में वचनबद्ध व्यय जो राजस्व प्राप्तियों का 61.13 प्रतिशत था जो कि 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 7.97 प्रतिशतता बिन्दु से बढ़ गया तथा चालू वर्ष के दौरान यह राजस्व प्राप्तियों का 69.10 प्रतिशत था।

2014-15 से 2018-19 की अवधि में इसमें ₹ 9,194 करोड़ की वृद्धि हुई। वचनबद्ध व्यय का स्तर अधिक होने के कारण सरकार द्वारा विकास गतिविधियों पर व्यय करने के लिए बहुत कम गुंजाइश है।

#### वेतन एवं पारिश्रमिक

चालू वर्ष के दौरान वेतन पर व्यय (₹ 11,525 करोड़), राज्य (₹ 32,196 करोड़) का 35.80 प्रतिशत लेखाबद्ध था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान वेतन पर व्यय में औसत 12.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान वेतन पर वास्तविक व्यय, चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट लक्ष्य (₹ 13,765 करोड़) से काफी नीचे था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के अधिअनुमानित ब अ (16 प्रतिशत) को राजकोषीय सुधारपथ में पूर्णतया सही नहीं किया गया तथा एम टी एफ पी एस (₹ 12,752 करोड़) में अनुमानित प्रक्षेपण भी 2018-19 के वास्तविक आँकड़ों की तुलना में अधिअनुमानित (10 प्रतिशत) था।

#### पेंशन भुगतान

वर्ष 2018-19 में पेंशन पर व्यय ₹ 5,396 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 17.29 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान, यह विगत वर्ष 2017-18 की अपेक्षा 7.21 प्रतिशत बढ़ा और चौ वि आ द्वारा, चालू वर्ष के लिए ₹ 3,550 करोड़ के मानकीय निर्धारण से 52 प्रतिशत अधिक था (चौ वि आ के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.5)।

## राष्ट्रीय पेंशन योजना

राज्य सरकार ने भविष्य में बढ़ते पेंशन दायित्व से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 1 अक्टूबर 2005 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की है।

31 मार्च 2019 तक, नई पेंशन योजना (एन पी एस) के अंतर्गत कुल कर्मचारियों के ₹ 382.74 करोड़ के योगदान के सापेक्ष, राज्य सरकार ने केवल ₹ 371.92 करोड़ का योगदान दिया। इस प्रकार, राज्य सरकार ने अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया क्योंकि यह एन पी एस के अंतर्गत सरकार के मैचिंग शेयर के रूप में ₹ 10.82 करोड़ का योगदान करने में विफल रहा। इसके अलावा, 31 मार्च 2019 तक एन पी एस के अंतर्गत ₹ 905.50 करोड़ के कुल संग्रह में से, राज्य सरकार ने एन पी एस के प्रावधान के अनुसार आगे के निवेश के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) को केवल ₹ 746.12 करोड़ हस्तांतरित किए हैं; जिससे, ₹ 159.38 करोड़ का अवशेष छोड़ दिया। इस प्रकार, एन एस डी एल को ₹ 170.20 करोड़ (₹ 10.82 करोड़ का कम अंशदान + ₹ 159.38 करोड़ को हस्तांतरित नहीं किया) का कम अंतरण किया गया और वर्तमान दायित्व आगे के वर्षों के लिए स्थगित कर दी गई। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा एन एस डी एल को हस्तांतरित नहीं की गई राशि पर ब्याज दायित्व का भी सृजन किया गया; अपने कर्मचारियों से संबंधित धन का गलत तरीके से उपयोग किया और सरकार द्वारा भविष्य में कर्मचारियों की प्रभावित/परिहार्य वित्तीय दायित्व में दिए जाने वाले लाभ के संबंध में अनिश्चितता पैदा की, और इस प्रकार, योजना स्वयं ही संभावित विफलता की ओर अग्रसर हो गयी।

## ब्याज भुगतान

जैसा कि तालिका-1.15 में दर्शित है, 2014-15 से 2018-19 के दौरान, ब्याज भुगतान मुख्यतः पुराने ऋणों के कारण 85.99 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2018-19 के दौरान ब्याज भुगतानों में आन्तरिक ऋणों<sup>7</sup> (₹ 3,767 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 578 करोड़), अन्य दायित्वों (₹ 67 करोड़) और भारत सरकार से लिए हुए ऋणों एवं अग्रिमों (₹ 63 करोड़) पर ब्याज शामिल थे। चौ वि आ द्वारा निर्धारित 11.66 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 4,475 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 14.34 प्रतिशत था। तथापि, यह राज्य सरकार के बजट एवं एम टी एफ पी एस द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹ 4,906 करोड़ एवं ₹ 4,905 करोड़ से क्रमशः ₹ 431 करोड़ एवं ₹ 430 करोड़ कम था।

## उपदान

उपदान न केवल स्पष्ट रूप से अपितु अनुमानित उपदानित लोक सेवा प्रदान करते हुये लोगों को बाँटा जाता है। अनुमानित उपदानों में वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहयोग, निवेशों पर अपर्याप्त प्राप्ति और सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ प्रदान करने पर उपभोगित कीमत की कम वसूली भी आती हैं।

<sup>7</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

वित्तीय लेखा, खण्ड-II के परिशिष्ट-II के अनुसार, सरकार द्वारा सीधे तौर पर दिये गये उपदान ₹ 208.71 करोड़ (2014-15), ₹ 211.38 करोड़ (2015-16), ₹ 207.99 करोड़ (2016-17), ₹ 185.93 करोड़ (2017-18) एवं ₹ 173.51 करोड़ (2018-19) थे। कुल राजस्व प्राप्तियों में उपदान का अंश 2014-15 में 1.03 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 0.56 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान दी गयी उपदान की राशि में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 12 करोड़ (6.45 प्रतिशत) की कमी देखी गई। 2015-16 से 2018-19 की अवधि में उपदान राशि का मुख्य प्राप्तकर्ता खाद्य भंडारण और भंडारण था।

### 1.6.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान द्वारा प्रदत्त सहायता की राशि तालिका-1.16 में प्रस्तुत है।

तालिका-1.16: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

क्र सं	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
						ब अ	वास्तविक
1.	शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	714.27	615.73	650.63	464.93	609.01	544.70
2.	नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ	380.17	334.11	397.77	753.33	1,016.91	717.07
3.	जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	301.10	432.46	508.40	715.21	831.72	742.25
4.	विकास अभिकरण	891.07	828.94	953.33	546.93	674.83	555.82
5.	चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	335.89	338.94	319.17	252.98	584.17	436.19
6.	ऊर्जा (ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत)	5.11	18.63	18.12	11.78	13.69	11.69
7.	कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण	245.18	270.21	337.78	476.94	676.96	593.57
8.	सहकारिता	4.64	4.12	5.07	3.73	3.49	2.67
9.	पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य पालन	28.58	27.09	32.00	38.77	51.04	41.80
10.	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ एवं पर्यटन	68.80	1.52	30.69	46.92	66.51	51.12
11.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	412.94	514.86	446.96	232.65	314.31	216.54
12.	अन्य संस्थाएँ	127.67	209.16	150.30	119.64	701.30	552.36
<b>योग</b>		<b>3,515.42</b>	<b>3,595.77</b>	<b>3,850.22</b>	<b>3,663.81</b>	<b>5,543.94</b>	<b>4,465.78</b>
<b>रा व्य की प्रतिशतता के रूप में सहायता</b>		<b>16.61</b>	<b>15.58</b>	<b>15.23</b>	<b>12.60</b>	<b>15.56</b>	<b>13.87</b>

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड के वी एल सी ऑफ़िस।

निकायों और अन्य संस्थानों की सहायता 2014-15 में ₹ 3,515.42 करोड़ से ₹ 950.36 करोड़ (27.03 प्रतिशत) बढ़कर 2018-19 में ₹ 4,465.78 करोड़ हो गयी। चालू वर्ष के दौरान सहायता में

पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 801.97 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ और जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं ने मिलकर कुल वित्तीय सहायता का 32.68 प्रतिशत हिस्सा लिया।

चालू वर्ष के दौरान सहायता में वृद्धि, मुख्यतः अन्य संस्थाओं से (₹ 432.72 करोड़), हॉस्पिटल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ (₹ 183.21 करोड़), कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण (₹ 116.63 करोड़), शैक्षिक संस्थाओं (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि) (₹ 79.77 करोड़) एवं जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएँ (₹ 27.04 करोड़)। तथापि, नगर निगम और नगर पालिकाओं (₹ 36.26 करोड़) एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 16.11 करोड़) के संबंध में अवमुक्त अनुदानों में गिरावट हुई।

## 1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया उसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन पहलुओं को समाहित करता है यथा, व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवार्थे उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान), किये गये व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण)।

### 1.7.1 लोकव्यय की पर्याप्तता

मानव विकास स्तरों की वृद्धि हेतु आवश्यक है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि पर अपने व्यय को बढ़ाएँ।

तालिका-1.17 एवं चार्ट-1.14 वर्ष 2014-15, 2017-18 और 2018-19 में विशेष श्रेणी राज्यों (वि श्रे रा) में विकासपरक व्यय (वि व्य), सामाजिक क्षेत्र व्यय (सा क्षे व्य) और पूँजीगत व्यय (पूँ व्य), शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता<sup>8</sup> को विश्लेषित करती है।

तालिका-1.17: 2014-15, 2017-18 और 2018-19 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता


(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स व्य/ स रा घ उ	वि व्य <sup>#</sup> /स व्य	सा क्षे व्य /स व्य	आ क्षे व्य /स व्य	पूँ व्य /स व्य	शिक्षा/ स व्य	स्वास्थ्य /स व्य
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	26.00	66.76	36.27	30.49	14.46	18.52	5.60
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2014-15	16.26	68.39	39.82	28.57	18.81	19.60	5.73
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2017-18	25.86	64.17	34.99	29.18	15.73	18.04	6.22
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2017-18	15.74	58.14	34.26	23.88	16.86	19.01	4.62
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2018-19	26.73	64.82	35.75	29.08	15.69	18.21	6.48
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2018-19	15.68	59.97	34.49	25.47	16.04	19.29	5.44

स व्य: सकल व्यय, वि व्य: विकासपरक व्यय, सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र में व्यय।  
<sup>#</sup> विकासपरक व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय, विकासपरक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।  
 स्रोत: संबन्धित वर्ष के वित्त लेखे और आर्थिक सलाहकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय।

<sup>8</sup> उस श्रेणी में व्यय का अनुपात सकल व्यय (स व्य) के लिए।

चार्ट-1.14: वर्ष 2018-19 के लिए प्रतिशतता में सार्वजनिक व्यय की प्राथमिकता



उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2014-15 के साथ 2017-18 तथा 2018-19 में औसत व्यय का तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- 2017-18 एवं 2018-19 में राज्य सरकार का सकल व्यय, स रा घ उ के अनुपात में 2014-15 की तुलना में क्रमशः 0.52 एवं 0.58 प्रतिशतता बिन्दु कम था।
- सकल व्यय (स व्य) के अनुपात में 2017-18 एवं 2018-19 में विकासपरक व्यय (वि व्य) 2014-15 के सापेक्ष क्रमशः 10.25 एवं 8.42 प्रतिशतता बिन्दु कम था।
- वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में सामाजिक क्षेत्र व्यय का सकल व्यय के अनुपात में क्रमशः 5.56 एवं 5.33 प्रतिशतता बिन्दु कम हो गया।
- वर्ष 2014-15 के सापेक्ष 2017-18 एवं 2018-19 में आर्थिक क्षेत्र व्यय, सकल व्यय के अनुपात में क्रमशः 4.69 एवं 3.10 प्रतिशतता बिन्दु कम हुआ।
- वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) का सकल व्यय के अनुपात में क्रमशः 1.95 एवं 2.77 प्रतिशतता बिन्दु कम हो गया।

आगे, वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में विशेष श्रेणी राज्यों के औसत एवं उत्तराखण्ड राज्य के औसत का वर्ष 2014-15 से तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- राज्य में स रा घ उ के अनुपात के रूप में सकल व्यय (स व्य) विगत तीन वर्षों में विशेष श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में कम रहा।
- राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय 2014-15 के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था। तथापि, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान यह कम था।
- विशेष श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में 2014-15 के दौरान राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय अधिक था। तथापि, 2017-18 व 2018-19 के दौरान यह कम था।



- सभी तीन वर्षों के दौरान राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप में आर्थिक क्षेत्र का व्यय विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में कम था।
- राज्य सरकार द्वारा 2014-15, 2017-18 और 2018-19 में पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि पूँ व्य का सकल व्यय से अनुपात विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक है।
- सभी तीन वर्षों के दौरान राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप शिक्षा क्षेत्र में व्यय विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था।
- 2014-15 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यय सकल व्यय के अनुपात में विशेष श्रेणी राज्यों के सापेक्ष थोड़ा अधिक था लेकिन यह 2017-18 और 2018-19 के दौरान नीचे था।

### 1.7.2 व्यय करने की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास मर्दों पर लोक व्यय के महत्व के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार के लिए उचित व्यय औचित्यपूर्ण कदम उठाना तथा कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स<sup>9</sup> के प्रावधान पर जोर देना महत्वपूर्ण है। विकासपरक व्यय<sup>10</sup> हेतु धन के आवंटन में वृद्धि के अतिरिक्त, व्यय की दक्षता, पूँजीगत व्यय के कुल व्यय से अनुपात (और/अथवा सराघउ) एवं विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रखरखाव पर होने वाले राजस्व व्यय के समानुपात से भी परिलक्षित होता है। कुल व्यय (और/या सराघउ) के लिए इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, उतना ही व्यय की गुणवत्ता बेहतर होगी। जहाँ, एक ओर **तालिका-1.18** चालू वर्ष व गत वर्ष के दौरान राज्य के कुल व्यय से सम्बन्धित विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है, वहीं **तालिका-1.19**, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किए गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान कुल व्यय (कु व्य) में विकासपरक राजस्व व्यय (वि रा व्य) का अंश औसतन 47 प्रतिशत रहा। गत वर्ष की तुलना में वि रा व्य में 13.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा चालू वर्ष के दौरान भी कुल व्यय में इसकी हिस्सेदारी दो प्रतिशत बढ़ गई। वर्ष 2014-15 (₹ 4,725 करोड़) की तुलना में वर्ष 2015-16 में विकासपरक पूँजीगत व्यय (वि पूँ व्य) में ₹ 619 करोड़ (13.10 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2016-17 के दौरान इसमें ₹ 776 करोड़ (18.90 प्रतिशत), वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 228 करोड़ (4.67 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा वर्ष 2018-19 में भी अपनी प्रवृत्ति (₹ 620 करोड़, 12.13 प्रतिशत) जारी रखी। तथापि, कुल व्यय में वि पूँ व्य का अंश वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में अपरिवर्तित रहा। समग्र विकास परक व्यय में 2014-15 से 2018-19 की अवधि में लगभग 28.79 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और कु व्य में इसका अंश 2014-15 में 68 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 60 प्रतिशत हो गया।

<sup>9</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

<sup>10</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

तालिका-1.18: विकासपरक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासपरक व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					ब अ	वास्तविक
विकासपरक व्यय	17,955 (68)	18,098 (66)	19,477 (64)	20,391 (58)	25,504 (60)	23,125 (60)
(अ) विकासपरक राजस्व व्यय	13,081 (49)	13,910 (50)	14,431 (47)	15,205 (43)	19,482 (46)	17,212 (45)
(ब) विकासपरक पूँजीगत व्यय	4,725 (18)	4,106 (15)	4,882 (16)	5,110 (15)	5,831 (14)	5,730 (15)
(स) विकासपरक ऋण एवं अग्रिम	149 (01)	82 (01)	164 (01)	76 (-)	191 (-)	183 (-)

कोष्ठक के आँकड़े समय व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

तालिका-1.19: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2017-18			2018-19		
	कु व्य पर पू व्य का अनुपात	रा व्य में अंश		कु व्य पर पू व्य का अनुपात	रा व्य में अंश	
		वे एवं पा	परि एवं मर		वे एवं पा	परि एवं मर
<b>सामाजिक सेवाएँ (सा से) मुख्य घटकों पर व्यय</b>						
सामान्य शिक्षा	2.81	79.32	0.03	1.49	79.07	0.03
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3.95	63.03	0.32	8.94	57.00	0.29
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासीय एवं शहरी विकास	54.96	2.44	0.26	54.36	1.69	0.49
<b>सा से पर कुल व्यय</b>	<b>10.62</b>	<b>70.65</b>	<b>0.10</b>	<b>9.34</b>	<b>69.96</b>	<b>0.11</b>
<b>आर्थिक सेवाएँ (आ से) मुख्य घटकों पर व्यय</b>						
कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	27.18	39.34	1.29	28.65	35.16	1.79
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	43.60	78.52	8.85	45.48	74.97	9.70
विद्युत एवं ऊर्जा	87.80	0.66	0.00	94.20	0.76	0.00
परिवहन	86.60	11.32	3.93	81.49	9.64	4.22
<b>आ से पर कुल व्यय</b>	<b>49.42</b>	<b>42.53</b>	<b>2.62</b>	<b>47.44</b>	<b>37.84</b>	<b>3.06</b>
<b>सा से + आ से पर कुल व्यय</b>	<b>24.95</b>	<b>63.64</b>	<b>0.73</b>	<b>23.41</b>	<b>61.82</b>	<b>0.86</b>

कु व्य: कुल व्यय, पू व्य: पूँजीगत व्यय, रा व्य: राजस्व व्यय, वे एवं पा: वेतन एवं पारिश्रमिक, परि एवं मर: परिचालन एवं मरम्मत।

राज्य सरकार ने अपने बजट 2018-19 में, वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 6,583.79 करोड़ पूँजीगत व्यय की वचनबद्धता दर्शायी। तथापि, राज्य सरकार मात्र ₹ 6,184.42 करोड़ का ही पूँजीकरण कर सकी जो कि बजट अनुमानों से ₹ 399.37 करोड़ (6.07 प्रतिशत) कम था। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में पूँजीगत व्यय में ₹ 270.05 करोड़ की वृद्धि हुई।

2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं, दोनों में राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में वेतन एवं भत्तों में क्रमशः 0.69 प्रतिशत तथा 4.69 प्रतिशत बिन्दु की कमी हुई। सामाजिक सेवाओं में परिचालन एवं मरम्मत के अन्तर्गत व्यय में राजस्व व्यय की प्रतिशतता लगभग पूर्ववत रही। आर्थिक सेवाओं में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान मामूली वृद्धि हुई है।

### 1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण

एफ आर बी एम ढाँचे के उपरान्त राज्य से न केवल अपने राजकोषीय घाटे (व उधार) को निम्न स्तर पर रखने अपितु अपने पूँजीगत ऋण एवं अग्रिम सहित व्यय और निवेश की जरूरतों को वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने एवं ऋण से प्राप्त निधियों की लागत को अप्रत्यक्ष उपदान के रूप में अपने बजट से वहन करने के बजाय वसूल किये जाने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए

आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यह खण्ड, पूर्व वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय का व्यापक तौर पर वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

### 1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2019 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना तालिका-1.20 में दी गयी है।

तालिका-1.20: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	*परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	पुनरीक्षित आगणन में लागत वृद्धि	31.03.2019 को संचयी वास्तविक व्यय
लोक निर्माण विभाग	202	716.66	725.12	8.46	480.30
*राज्य सरकार द्वारा 31.03.2019 तक किये गये अन्तिम पुनरीक्षण के अनुसार परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत को इंगित करता है।					

स्रोत: वित्त लेखे।

परियोजनाओं के पूरा होने में देरी ने केवल व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, बल्कि राज्य को अपेक्षित लाभ और आर्थिक विकास से भी वंचित किया।

### 1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2019 को, सांघिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी समितियों (तालिका-1.21) में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था और पिछले पाँच वर्षों में निवेश (ऐतिहासिक मूल्य पर) का 0.004 से 0.71 प्रतिशत का प्रसार रहा, जबकि सरकार ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान 8.25 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया था।

तालिका-1.21: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ऋणों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	2,809	2,914	3,124	3,209	3,402
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज) (₹ करोड़ में)	0.11	5.10	15.21	22.69	18.69
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.004	0.18	0.49	0.71	0.55
सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.73	8.19	8.90	8.27	8.15
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	7.73	8.01	8.41	7.56	7.60
सरकारी उधारों की ब्याज दर और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण काल्पनिक हानि (₹ करोड़ में)	217.14	233.41	262.73	242.60	258.55

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य के पास राज्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सरकार को लाभांश का भुगतान करने के लिए नीति नहीं है। राज्य सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में सरकार की उधार लागत और कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश पर अंतर के कारण निवेश पर ₹ 1,214.43 करोड़ के प्रतिफल का काल्पनिक नुकसान उठाया है। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार ने लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार को लाभांश का भुगतान करने के लिए एक नीति बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

मुख्य निवेश (i) उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 1,321.03 करोड़) (ii) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 1,178.86 करोड़) एवं उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन (₹ 473.88 करोड़) में थे। वर्ष 2018-19 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ₹ 3,121.95 करोड़ की संचित हानि को वहन किया जबकि उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2018-19 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार क्रमशः ₹ 939.86 करोड़ एवं ₹ 202.34 करोड़ का लाभ संचित किया था।

उत्तराखण्ड राज्य में कुल 30 सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिनमें से 22 सार्वजनिक उपक्रम क्रियाशील हैं और आठ अक्रियाशील हैं। क्रियाशील 22 सार्वजनिक उपक्रमों<sup>11</sup> में से, नौ सार्वजनिक उपक्रमों ने हानि वहन की और अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार उन्हें ₹ 4,400.07 करोड़ का संचित घाटा हुआ। चालू वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड सरकार ने अक्रियाशील सार्वजनिक उपक्रमों को न कोई ऋण दिया है और न ही कोई निवेश किया। इसके अलावा, 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में ₹ 15 करोड़ का निवेश किया और वर्ष 2018-19 के दौरान दो राज्य सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात् डोईवाला शुगर कंपनी और किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड को ₹ 123.76 करोड़ का अनुदान दिया। सभी तीन सार्वजनिक उपक्रमों को 31 मार्च 2019 तक संचित हानि हो रही थी।

यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने इक्विटी शेयर पूँजी के रूप में ₹ 0.50 करोड़<sup>12</sup> का निवेश किया तथा चार सार्वजनिक उपक्रमों, जिनके खातों में बकाया थे, को ₹ 125.81 करोड़<sup>13</sup> का अनुदान/उपदान प्रदान किया।

### 1.8.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय प्रबन्धित उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप भी निष्पादित किए जाते हैं। राज्य में तीन विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम हैं। इसमें से केवल एक कंपनी, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रुड़की ने 2011-12 तक अपने खातों को अंतिम रूप दे दिया था। सरकार द्वारा किए गए निवेशों की उस वर्ष तक जिस वर्ष तक के प्रोफार्मा खातों को अंतिम रूप दिया गया है, विभागवार स्थिति शुद्ध लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी का प्रतिफल *परिशिष्ट-1.5* में दिया गया है। तीन कंपनियों के अंतिम लेखाओं की जाँच में पाया गया है कि:

<sup>11</sup> 22 क्रियाशील सार्वजनिक उपक्रमों में से आठ लाभ कमाने वाले थे और शेष पाँच सार्वजनिक उपक्रमों ने पिछले पाँच वर्षों से अपने खातों को अंतिम रूप नहीं दिया था।

<sup>12</sup> उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम।

<sup>13</sup> दो राज्य सार्वजनिक उपक्रमों डोईवाला शुगर कंपनी और किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड को दिये ₹123.76 करोड़ शामिल हैं, जिन्हें 31 मार्च 2019 तक संचित हानि हो रही थी; उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम-₹1.80 करोड़ और उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम-₹ 0.25 करोड़।

- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राज्य सरकार द्वारा 'सरकारी सिंचाई कार्यशाला', रुड़की, में ₹1.92 करोड़ का निवेश किया गया था।
- कुल तीन उपक्रमों, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रुड़की; क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी एवं देहरादून, में से केवल सिंचाई कार्यशाला, रुड़की के 2011-12 तक के खातों को अंतिम रूप दे दिया था। वर्ष 2007-08 तक यह लाभ अर्जित करने वाला उपक्रम था, परन्तु तत्पश्चात शुद्ध हानि दर्ज की गयी।

#### 1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को ऋण एवं अग्रिम राशि भी उपलब्ध कराती रही है। तालिका-1.22, 31 मार्च 2019 को बकाया ऋण एवं अग्रिमों, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.22: राज्य सरकार द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियाँ/ऋण की लागत की मात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	
			ब अ	वास्तविक
राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम का प्रारम्भिक शेष	1,596.45 <sup>#</sup>	1,726.65	--	1,769.97
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम राशि	165.05	76.83	191.98	183.48
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	34.85	33.51	32.74	26.91
अंतिम शेष	1,726.65	1,769.97	--	1,926.54
निवल वृद्धि	130.20	43.33	--	156.57
ब्याज प्राप्तियाँ	0.17	0.08	--	1.13
बकाया ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्तियाँ प्रतिशत के रूप में	0.01	0.005	--	0.06
बकाया शेष जिनकी निबंधन एवं शर्तें नियत की जा चुकी हैं	सूचना उपलब्ध नहीं है			
<b>स्रोत : वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरण (उत्तराखण्ड सरकार)।</b>				
<b># उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य विभाजन न किए गए शेष भाग के कारण गत वर्ष के अन्तिम शेष से भिन्न।</b>				

सरकार ने वर्ष 2017-18 में दिये अग्रिम ऋण ₹76.83 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2018-19 के दौरान ₹183.48 करोड़ का अग्रिम ऋण दिया, जो कि पिछले वर्ष से ₹106.65 करोड़ (138.81 प्रतिशत) अधिक था। यह बढ़ोतरी मुख्यतः कृषि क्षेत्र (₹107.84 करोड़) एवं ऊर्जा क्षेत्र (₹7.89 करोड़) को ऋण एवं अग्रिम के कारण हुई, जो कि शहरी विकास (₹5.80 करोड़) एवं परिवहन क्षेत्र (₹2.97 करोड़) को ऋणों के कम वितरण के फलस्वरूप आंशिक तौर पर प्रतिभारित हुई। गत वर्ष की अपेक्षा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली भी ₹6.60 करोड़ की कमी को दर्शाती है।

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में बकाया ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ में कुछ वृद्धि दिख रही है। वर्ष 2018-19 में ब्याज भुगतान राज्य की राजकोषीय दायित्वों की प्रतिशतता

के रूप में 7.71 प्रतिशत थी जो कि गत वर्ष की अपेक्षा मामूली अधिक थी। जबकि विभिन्न संस्थाओं, निगमों/शासकीय कम्पनियों एवं सरकारी कर्मचारियों, इत्यादि को दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्ति (प्रतिफल), जो कि 2009-10 तक प्राप्त करनी थी, बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य सात प्रतिशत के सापेक्ष केवल 0.06 प्रतिशत रहा।

31 मार्च 2019 तक सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण ₹ 1,926.54 करोड़ थे। मुख्य लाभार्थी कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ (₹ 1,011.24 करोड़), ऊर्जा (₹ 211.59 करोड़) एवं परिवहन क्षेत्र (₹ 153.80 करोड़) थे।

कुल बकाया ऋणों की समीक्षा में पाया गया कि मार्च 2019 के अंत तक तीन क्षेत्रों अर्थात् सामान्य सेवा (अन्य ऋणों), विशेष क्षेत्र परियोजना और परिवहन क्षेत्र के द्वारा जैसा कि तालिका-1.23 में वर्णित है, द्वारा विगत पाँच वर्षों में कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया एवं एक क्षेत्र (कृषि एवं संबन्धित क्रियाकलाप) को अतिरिक्त ऋण आंशिक पुनर्भुगतान के बावजूद बढ़ाया गया। एक अन्य क्षेत्र जलपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास से अल्प वसूली अभिलेखित की गयी है। समग्र बकाया अवशेष वर्ष दर वर्ष में बढ़े ही हैं।

तालिका-1.23: लम्बे समय से लंबित ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	सामान्य सेवायें (अन्य ऋण)	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
2.	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	42.09	42.09	47.89	47.89	42.09
3.	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	795.99	797.92	895.31	899.79	1,011.24
4.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	9.53	9.53	503.68 <sup>#</sup>	503.16	503.16
5.	परिवहन	135.11	136.11	140.29	148.53	153.80
<b>योग</b>		<b>1,002.19</b>	<b>1,005.12</b>	<b>1,606.64</b>	<b>1,618.84</b>	<b>1,729.76</b>

<sup>#</sup>अनावंटन अवशेषों को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य संविभाजित किये जाने के कारण ₹ 494.15 करोड़ की वृद्धि।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को ₹ 659.48 करोड़ की धनराशि का अग्रिम दिया गया था। इसी अवधि के दौरान, ₹ 168.05 करोड़ की धनराशि का पुनर्भुगतान कर दिया गया। वसूली की राशि 2014-15 में वर्ष के प्रारम्भ में बकाया राशि और वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की धनराशि के चार प्रतिशत से प्रत्येक वर्ष घटते हुए 2018-19 में दो प्रतिशत से कम हो गई। चालू वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि ₹ 26.91 करोड़ थी जो 31 मार्च 2019 तक बकाया ऋणों (₹ 1,926.54 करोड़) का 1.40 प्रतिशत थी।

क्योंकि ऋणों की वसूली खराब रही है, राज्य सरकार इन ऋणों और अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने और उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखे सही स्थिति दर्शा रहे हैं।

### 1.8.5 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका-1.24 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों से किये गये निवेश को इंगित करती है।

तालिका-1.24: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष से किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2018 को	31 मार्च 2019 को
<b>(अ) सामान्य रोकड़ शेष</b>		
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में रोकड़	00	00
रिजर्व बैंक में जमा	1,171.00	1,158.50
अन्य बैंकों में जमा (ब)	00	00
<b>योग</b>	<b>1,171.00</b>	<b>1,158.50</b>
रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखा निवेश	385.49	247.48
<b>योग (अ)</b>	<b>1,556.49</b>	<b>1,405.98</b>
<b>(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश</b>		
विभागीय अधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग अधिकारियों, वन विभाग अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के पास रोकड़	(-) 10.70	(-) 10.71
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के पास स्थायी अग्रिम	(-) 0.81	(-) 0.81
निर्धारित निधियों का निवेश	1,188.62	1,188.62
<b>योग (ब)</b>	<b>1,177.11</b>	<b>1,177.10</b>
<b>महायोग (अ)+(ब)</b>	<b>2,733.60</b>	<b>2,583.08</b>

स्रोत: वित्त लेखे।

अन्तिम रोकड़ शेष पिछले वर्ष (₹ 2,733.60 करोड़) के सापेक्ष चालू वर्ष (₹ 2,583.08 करोड़) के अन्त में ₹ 150.52 करोड़ घट गया।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष से ₹ 1,188.62 करोड़ की निर्धारित निधियों का सृजन किया। निर्धारित निधियों की यह राशि जो ऋण शोधन निवेश लेखा (₹ 1,153.62 करोड़) एवं प्रत्याभूति मोचन कोष (₹ 35 करोड़) से मिलकर बनी है, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निवेश की गई। वर्ष के दौरान शासन को 18 बार ओवरड्राफ्ट सुविधा का सहारा लेना पड़ा। सरकार 2018-19 के दौरान अधिकतम दिनों (198 दिनों) के लिए ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम नकदी बकाया बनाए रखने में सक्षम थी। सरकार ने वर्ष के दौरान 142 अवसरों पर सामान्य अग्रिमों को लेकर न्यूनतम बकाया बनाए रखा। वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह में अस्थायी असंतुलन ने सरकार को सात अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम लेने के लिए बाध्य किया। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य को ₹ 6.08 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में देना पड़ा।


2018-19 के दौरान, राज्य में वर्ष के प्रारम्भ में ₹ 1,556.49 करोड़ का सामान्य रोकड़ शेष था और सरकार ने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए खुले बाजार से ₹ 6,300 करोड़ उधार लिए। वर्ष के अंत में सामान्य रोकड़ शेष राशि ₹ 1,405.98 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 2018-19 के दौरान रोकड़ शेष निवेश खाते पर प्राप्त ब्याज ₹ 10.49 करोड़ (2.72 प्रतिशत) था, जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपने बाजार उधार पर

8.15 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था। इसलिए, यह राज्य के वित्तीय हित में होता है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध रोकड़ शेष राशि (आर बी आई के पास अनिवार्य न्यूनतम रोकड़ शेष से परे) का उपयोग करे ताकि अपनी उधारियों को कम कर सके।

पिछले पाँच वर्षों में उधारियों के सापेक्ष औसत रोकड़ शेष को चार्ट-1.15 में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.15: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए उधार के सापेक्ष रोकड़ शेष



## 1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

### 1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संरचना

विद्यमान सरकारी लेखा पद्धति में, सरकारी स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों, जैसे कि भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया गया है। तथापि, सरकारी लेखे, सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। **परिशिष्ट-1.4 (भाग-ब)** 31 मार्च 2018 की समतुल्य स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2019 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार प्रदान करता है। इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं।

### 1.9.2 राजकोषीय दायित्व

सरकार के दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम और सार्वजनिक खाते में शेष राशि शामिल है। 31 मार्च 2019 को राज्य के कुल दायित्व, ₹ 58,039 करोड़ थे; इसकी संरचना चार्ट-1.16 में है।




चार्ट-1.16: राज्य सरकार की 2018-19 की कुल दायित्वों के घटक

कुल दायित्व (₹ 58,039 करोड़) <sup>14</sup>		
बाजार, वित्तीय संस्थानों, आदि से आंतरिक ऋण (₹ 45,443 करोड़)	ऋण और अग्रिम भारत सरकार से (₹ 790 करोड़)	सार्वजनिक खाता दायित्व जहां सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है (₹ 11,806 करोड़)
बाजार ऋण (₹ 31,952 करोड़)	राज्य आयोजना योजनाओं के लिए ऋण (₹ 786 करोड़)	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि. (₹ 7,899 करोड़)
वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 4,063 करोड़)	आयोजनेत्तर ऋण (₹ चार करोड़)	आरक्षित कोष (₹ 573 करोड़)
एन एस एस एफ को जारी किए गए विशेष प्रतिभूति (₹ 9,427 करोड़)	1984-85 के पूर्व ऋण (₹ 0.53 करोड़)	जमा (₹ 3,334 करोड़)
अन्य संस्थानों से ऋण (₹ एक करोड़)		

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.3**, **परिशिष्ट-1.4 (भाग-अ)** व राज्य वित्त लेखे के **विवरण 6** में प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना **चार्ट-1.17** और **चार्ट-1.18** में प्रस्तुत की गई है।




राजकोषीय दायित्व से सराघउ अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात 23.26 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 में 23.60 प्रतिशत था। वर्ष के लिए यह अनुपात चौविआ के निर्धारित मापदण्ड (22.56 प्रतिशत) से 1.04 प्रतिशतता बिंदु अधिक था। समस्त राजकोषीय दायित्व वर्ष 2014-15 के ₹33,480 करोड़ से 73.35 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹58,039 करोड़ हो गए थे। राजकोषीय दायित्व में लोक ऋण (₹46,233 करोड़), लघु बचत और भविष्य निधि, आदि (₹7,899 करोड़), और अन्य दायित्व (₹3,907 करोड़) शामिल हैं। पिछले वर्ष 2017-18 की तुलना में चालू वर्ष के अंत में राजकोषीय देनदारियों (₹6,208 करोड़) में वृद्धि मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, लघु बचत और भविष्य

<sup>14</sup> सामान्य रोकड़ शेष और आकस्मिक निधि (कोष) शामिल नहीं है।

निधि आदि के कारण हुई, जो कि क्रमशः ₹5,157 करोड़ और ₹889 करोड़ तक बढ़ गए थे। वर्ष के दौरान स रा घ उ के संबंध में इन दायित्वों की उत्प्लावकता 1.16 थी जो यह दर्शाता है कि सराघउ में प्रत्येक प्रतिशतता बिन्दु की वृद्धि के लिए, राजकोषीय दायित्वों में 1.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2018-19 के दौरान, ये दायित्व (₹58,039.27 करोड़) राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 1.86 गुणा और अपने स्वयं के संसाधनों का 3.74 गुणा अधिक था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए राजकोषीय दायित्व की संरचना की प्रवृत्तियाँ चार्ट-1.19 में दर्शाया गयी हैं।

चार्ट-1.19: दायित्वों की प्रवृत्ति



स्रोत: वित्त लेखी

### 1.9.3 जमा एवं आरक्षित निधियों के अधीन लेन-देन

(अ) 31 मार्च 2019 को राज्य सरकार सात आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी, जिसमें से एक आरक्षित निधि ब्याज सहित<sup>15</sup> (₹494.43 करोड़ जमा) तथा छः ब्याज रहित निधियाँ<sup>16</sup> (₹1,267.65 करोड़ जमा) हैं। इन सात निधियों में से दो निधियाँ निष्क्रिय (शेष ₹36.48 करोड़ नामे) तथा पाँच निधियाँ क्रियाशील (शेष ₹1,798.56 करोड़ जमा) हैं। 1 अप्रैल 2018 को, इन सात निधियों के सापेक्ष ₹1,650.54 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने संचित निधि से आरक्षित निधियों में ₹243 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की और इन निधियों से ₹131.46 करोड़ व्यय किया जिससे 31 मार्च 2019 को ₹1,762.08 करोड़ की धनराशि शेष रही। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त राशि से किसी भी धनराशि का निवेश नहीं किया गया। वर्ष के अंत तक कुल निवेश ₹1,188.62 करोड़ किया गया तथा ₹573.46 करोड़ शेष रहा। निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करने तथा संलिप्त धनराशि को संबन्धित राजस्व शीर्ष में अंतरण करने के लिए पुनर्वलोकन की आवश्यकता थी। उक्तांकित निष्क्रिय खातों के संबंध में यह नहीं किया गया।

<sup>15</sup> राज्य आपदा मोचन निधि।

<sup>16</sup> 1. ऋण शोधन निधि 2. शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि 3. चीनी विकास निधि 4. विद्युत विकास निधि 5. अन्य विकास और कल्याण निधि 6. मोचन निधि की प्रत्याभूति।

(ब) लोक लेखों के क्षेत्र 'ज' तथा 'क' के अधीन ब्याज सहित आरक्षित निधियों तथा ब्याज सहित जमा धनराशि के संबंध में ₹40.38 करोड़ का वार्षिक दायित्व जिसे राज्य सरकार को वहन करना है। राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 को ऐसी आरक्षित निधियों तथा जमा में शेष राशि होने के बावजूद देय ब्याज के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था, जिसका विवरण तालिका-1.25 में है:

तालिका-1.25: आरक्षित निधियों एवं निक्षेपों में रोकड़ शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)				
क्षेत्र	उप-क्षेत्र	ब्याज दर	2018-19 के आरंभ में शेष	देय ब्याज
ज - आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधि (रा आ प्र नि सहित)	6.33 प्रतिशत (अर्थात्पाय ब्याज दर का औसत)	381.66	24.16
क - जमा तथा अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा (सी पी एस मुख्य शीर्ष 8342-117 के अलावा)	6.33 प्रतिशत (अर्थात्पाय ब्याज दर का औसत)	256.22	16.22
<b>कुल ब्याज</b>				<b>40.38</b>

**राज्य आपदा विमोचन निधि (एस डी आर एफ):** भारत सरकार द्वारा 2010-11 में मौजूदा आपदा राहत निधि को राज्य आपदा मोचन निधि (एस डी आर एफ) के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं उत्तराखण्ड जैसे विशेष श्रेणी राज्यों को 90:10 के अनुपात में योगदान देना आवश्यक है। दिशा निर्देशों के अनुसार, ये योगदान, व्यय मुख्य शीर्ष 2245 से प्रचालित होकर लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121 के अधीन अंतरित होने हैं। आपदा प्रतिक्रिया पर वर्ष के दौरान किया गया व्यय लोक लेखा को नामे करने के साथ मुख्य शीर्ष 2245 को नामे कम करके समायोजित किया जाता है। वर्ष के अंत में निधि में शेष धनराशि का निवेश किया जाता है। जब राज्य आपदा मोचन निधि में शेष धनराशि प्राकृतिक आपदाओं पर होने वाले व्यय के लिए कम पड़ जाती है तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अधीन दी गयी समस्त धनराशि का उपयोग सीधे प्राकृतिक आपदाओं पर किया जाता है।

1 अप्रैल 2018 को, निधि में ₹ 381.66 करोड़ की धनराशि शेष थी। 2018-19 के दौरान, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के लिए ₹ 219.19 करोड़ अवमुक्त किए। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सभी निर्गतों के साथ अपने अंश ₹ 23.81 करोड़ लोक लेखा को हस्तांतरित कर दिये। निधि में उपलब्ध शेष धनराशि में से, ₹ 130.23 करोड़ का व्यय आरम्भ में मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत किए गए इंद्राज के पश्चात समायोजित किये जिससे 31 मार्च 2019 को निधि में ₹ 494.43 करोड़ की धनराशि शेष रही। दिशा निर्देशों के विरुद्ध, राज्य सरकार ने इस धनराशि को निवेशित नहीं किया।

#### 1.9.4 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूतियाँ, उधार लेने वाले, जिसके लिये प्रत्याभूति दी गयी है, के दोषी होने पर राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व हैं।

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में यह विहित है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होते समय विद्यमान, राज्य सरकार के किसी नियम या कानून के अन्तर्गत अथवा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या कानून द्वारा, निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर प्रत्याभूति नहीं देगी। तथापि, राज्य विधायिका द्वारा (संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत उस अधिकतम सीमा के निर्धारणार्थ जिसके अन्तर्गत सरकार राज्य समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूतियाँ दे सके) संबन्धित प्रावधान दिसम्बर 2016 में संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम में किया गया है।

वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार, अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा प्रत्याभूतियाँ दी गई थीं तथा विगत पाँच वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियाँ तालिका-1.26 एवं चार्ट-1.20 में दी गई हैं:


तालिका-1.26: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
31 मार्च तक प्रत्याभूति की बकाया राशि	1,832	1,743	1,248	1,499 <sup>#</sup>	1,311
राज्य सरकार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा	किसी भी वर्ष के लिए बकाया प्रत्याभूतियाँ स रा घ उ के एक प्रतिशत तक निर्धारित है। वर्ष के दौरान दी गयी नई प्रत्याभूति स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।				
वर्ष के दौरान परिवर्धन	438	915	295	251	--
वर्ष के दौरान विलोपन	81	1,004	790	75	188

# विगत वर्ष के अंतिम शेष से अंतर है क्योंकि बजट दस्तावेजों में प्रा.अ. ₹ 1,499 करोड़ लिया गया था।

चार्ट-1.20: बकाया प्रत्याभूतियों की स्थिति




स्रोत: वित्त लेखे।

31 मार्च 2019 को बकाया प्रत्याभूति की राशि ₹ 1,311 करोड़ थी, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र (₹ 918 करोड़), सहकारिताओं (₹ 188 करोड़) और अन्य (₹ 205 करोड़) सम्मिलित थे। 31 मार्च 2019 को कुल बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,311 करोड़ थी जो वर्ष के लिए स रा घ उ का 0.53 प्रतिशत है और इसलिए एफ आर बी एम की निर्धारित सीमा में थी। चार्ट-1.21 में कम्पनीवार विवरण दिया गया है।

चार्ट-1.21: 31 मार्च 2019 के अंत में प्रत्याभूति की प्राप्ति में निकाय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे।


सरकार द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी प्रत्याभूति आह्वानित नहीं की गई। इस प्रकार वित्त लेखे में इंगित प्रत्याभूति की अधिकतम राशि एवं प्रत्याभूति की बकाया धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध सूचना पर आधारित है।

## 1.10 ऋण प्रबंधन

### (i) ऋण रूपरेखा

राज्य के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋण) की परिपक्वता रूपरेखा चार्ट-1.22 में दी गई है।

चार्ट-1.22: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा




स्रोत: वित्त लेखे।

\*वित्त लेखे में ₹ 4,064 करोड़ की राशि वाले अन्य ऋणों के संबंध में परिपक्वता रूपरेखा प्रदान नहीं की गई है।

31 मार्च 2019 को, लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि 52 प्रतिशत लोक ऋण सात वर्षों या अधिक की परिपक्वता स्थिति में था। दस वर्ष की अवधि में भुगतान किए जाने

वाले बकाया बाजार ऋण और उस पर ब्याज की राशि का विवरण नीचे तालिका-1.23 में दिया गया है:



नोट: 31 मार्च 2019 को बकाया बाजार ऋण के लिए परिपक्वता रूपरेखा विकसित की गई है और ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण समाप्त होने जा रहे हैं।

राज्य को बाजार ऋणों के ₹ 2,992 करोड़ का पुनर्भुगतान करना होगा और अगले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2021-22 तक ₹ 7,683 करोड़ का ब्याज भुगतान करना होगा। उसके अगले दो वर्षों में 2023-24 तक, ₹ 4,250 करोड़ मूलधन और ₹ 4,583 करोड़ का ब्याज देय होगा। ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में वार्षिक बहिर्गमन 2023-24 तक अगले पाँच वर्षों के दौरान लगभग ₹ 3,901.60 करोड़ होगा।

2024-25 से 2028-29 की अवधि में ₹ 24,710 करोड़ का ऋण और ₹ 6,773 करोड़ का ब्याज देय होगा। जैसे कि राज्य को 2024-25 से 2028-29 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 6,296.60 करोड़ का वार्षिक पुनर्भुगतान करना होगा। ब्याज सहित ऋणों का वर्तमान वार्षिक पुनर्भुगतान ₹ 3,334 करोड़ है। पिछले पाँच वर्षों में राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) और राजस्व व्यय (रा व्य) क्रमशः 16.04 प्रतिशत और 19.71 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा है। इन विकास दर को लागू करते हुए, और यह मानते हुए कि इन दरों पर रा प्रा और रा व्य बढ़ते रहेंगे, राज्य का राजस्व घाटा 2024-25 में ₹ 13,473 करोड़ और वर्ष 2028-29 तक ₹ 56,401 करोड़ हो जाएगा।

भविष्य में पुनर्भुगतान दायित्व काफी हद तक बढ़ जाएंगे और रा प्रा और रा व्य की वृद्धि दर की वर्तमान दर से राज्य 2028-29 तक राजस्व घाटे में बना रहेगा। इसलिए, राज्य को अपने ऋण दायित्व को पूरा करने के लिए बढ़ी हुई उधारी का सहारा लेना होगा।

(ii) ऋण वहन क्षमता

ऋण वहन क्षमता राज्य की ऋण परिहार करने की क्षमता को दर्शाती है। सरकार के ऋणों के परिणाम के अलावा राज्य की ऋण वहन क्षमता को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 से आरम्भ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि में राज्य की ऋण वहन क्षमता में उतार चढ़ाव के सूचकों का विश्लेषण तालिका-1.27 में दिया गया है।

तालिका-1.27: ऋण वहन क्षमता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण वहन क्षमता के सूचक <sup>17</sup>	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बकाया लोक ऋण	25,035	29,836	35,210	41,015	46,233
बकाया लोक ऋणों की वृद्धि की दर	17.23	19.18	18.01	16.49	12.72
राज्य की स रा घ उ	1,61,439	1,77,163	1,95,125	2,22,836	2,45,895
स रा घ उकी वृद्धि दर	8.29	9.74	10.14	14.20	10.35
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.15	8.53	9.67	8.97	8.78
ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्ति (प्रतिशत)	9.34	11.02	12.64	12.61	12.27
ऋण वापसी की ऋण प्राप्ति से प्रतिशतता#	19.55	29.38	17.35	22.87	28.27
लोक ऋण प्राप्ति	4,573	6,798	6,501	7,526	7,275
लोक ऋण पुनर्भुगतान	894	1,997	1,128	1,721	2,057
आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण पर ब्याज भुगतान	1,891	2339	3,146	3,417	3,830
राज्य के पास निवल ऋण उपलब्धता*	1,788	2,462	2,227	2,388	1,388
ऋण एवं ब्याज के पुनर्भुगतान का कुल उधर ली गयी राशि से प्रतिशतता	60.90	63.78	65.74	68.27	80.92

\*राज्य के पास निवल ऋण उपलब्धता का अनुमान लोक ऋण वापसी एवं लोक ऋण ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्ति के आधिक्य से किया जाता है।

# आर्थापाय अग्रिम के अतिरिक्त।

ई डी डोमर<sup>18</sup> [डोमर, 1944] के एक अध्ययन के आधार पर ऋण स्थिरता पर विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल कहता है कि लोक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋणों के लिए ब्याज दर स रा घ उ की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लोक ऋण की गतिशीलता ब्याज दर, स रा घ उ की वृद्धि दर और प्राथमिक बजट संतुलन के आधार पर निम्नानुसार है:

जी-आर (जी - वास्तविक आर्थिक विकास दर; आर- वास्तविक ब्याज दर)	एस<0 (प्राथमिक घाटा)	एस> 0) (प्राथमिक आधिक्य)
जी-आर > 0 (मजबूत आर्थिक विकास)	स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण शून्य से अधिक एक स्थिर स्तर में परिवर्तित होना चाहिए।	स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण को लोक बचत के लिए शून्य से कम एक स्थिर स्तर में परिवर्तित करना चाहिए।
जी-आर <0 (धीमा आर्थिक विकास )	स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण एक स्थिर स्तर पर परिवर्तित किए बिना अनिश्चित स्तर तक बढ़ जाना चाहिए।	अपरभाषित परिस्थिति।

<sup>17</sup> परिशिष्ट-4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

<sup>18</sup> डोमर मॉडल ऋण स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा, संरचना, लागत और जोखिम विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखता है।

उत्तराखण्ड के लिए विश्लेषण को लागू करने का परिणाम नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

वर्ष	वास्तविक विकास (जी)	वास्तविक ब्याज (आर)	जी-आर	प्राथमिक घाटा (-) /आधिक्य (एस) (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
2014-15	5.29	4.69	0.60	(-) 3,420	जी-आर >0 एवं एस<0: लोक ऋण शून्य से अधिक एक स्थिर स्तर तक परिवर्तित हो जाएगा।
2015-16	8.08	5.62	2.46	(-) 3,154	
2016-17	9.83	5.76	4.07	(-) 1,744	
2017-18	7.84	4.32	3.52	(-) 3,948	
2018-19	6.87	4.57	2.30	(-) 2,845	

वास्तविक स रा घ उ के लिए वास्तविक विकास दर की गणना।  
वास्तविक ब्याज दर मुद्रास्फीति के लिए समायोजित मामूली ब्याज दर है।

इसके अलावा, 2018-19 में ऋण से स रा घ उ का अनुपात 23.60 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे से स रा घ उ का अनुपात 2.98 प्रतिशत था। इसी चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) की ऋण सीमा का राजकोषीय लक्ष्य 22.56 था, और राजकोषीय घाटे की अंतिम सीमा स रा घ उ का 3.25 प्रतिशत थी। राज्य का पूँजीगत व्यय 2014-19 के दौरान 16 से 19 प्रतिशत के बीच रहा है।

पाँच वर्षों (2014-15 से 2018-19) में से प्रत्येक में राज्य को प्राथमिक घाटा था और इस अवधि के दौरान डोमर गैप (जी-आर) सकारात्मक है। इसलिए, डोमर मॉडल के अनुसार, लोक ऋण शून्य से अधिक एक स्थिर स्तर में परिवर्तित हो जाएगा। तथापि, अन्य कारक जैसे लोक लेखा दायित्व और मौजूदा कोरोना वायरस संकट जैसी जबरदस्त घटनाओं और स रा घ उ और/या राजस्व की किसी भी अन्य अचानक हानियों पर इसके प्रभाव को भी ऋण स्थिरता/राज्य की स्थिरता का अनुमान करने के रूप में माना गया है जैसा कि इन्हें आँकड़ों की दृष्टि से अनुमानित या निर्धारित नहीं किया जा सकता है; उन्हें विश्लेषण में तथ्य नहीं दिया गया है।

तालिका-1.28: उधार ली गई धनराशि का उपयोग

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	निवल पूँजीगत व्यय* (प्रतिशतता)	निवल ऋण और अचिर्माँ का संवितरण (प्रतिशतता)	कुल उधारियों में से राजस्व व्यय का भाग (प्रतिशतता)
2014-15	4,573	894 (20)	3,679 (80)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2015-16	6,798	1,997 (29)	4,217 (62)	56 (1)	528 (8)
2016-17	6,501	1,128 (17)	4,954 (76)	130 (2)	289 (5)
2017-18	7,526	1,721 (23)	5,805 (77)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2018-19	7,275	2,057 (28)	5,218 (72)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

\*निवल पूँजीगत व्यय = कुल पूँजीगत व्यय - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ

- वर्ष 2014-15, 2017-18 और 2018-19 में राज्य द्वारा कुल उधारियों को पूर्व के मूलधन के पुनर्भुगतान एवं पूँजीगत व्यय पर उपयोग किया गया।
- 2015-16 और 2016-17 के दौरान, कुल उधारियों में से क्रमशः ₹ 528 करोड़ और ₹ 289 करोड़ की राशि का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया।






उपर्युक्त तालिका-1.27 से यह देखा गया:

- बकाया लोक ऋणों की वृद्धि दर 2014-15 में 17.23 प्रतिशत से 1.95 प्रतिशतता बिन्दु बढ़कर 2015-16 तक 19.18 प्रतिशत हो गयी। तथापि, यह 2016-17 से घटते हुए गिरावट के दौर को प्रदर्शित करती है और चालू वर्ष में यह 12.72 प्रतिशत थी। लोक ऋण की वृद्धि दर स रा घ उ की तुलना में लगातार अधिक रही है।
- 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर 8.15 प्रतिशत एवं 9.67 प्रतिशत के मध्य रही।
- राज्य ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान, लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए 9.34 से 12.64 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किया।

- 2014-15 से 2018-19 की अवधि में ऋण प्राप्तियों से ऋण पुनर्भुगतान के प्रतिशत में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दी। 2014-15 में, लोक ऋण की प्राप्ति का 19.55 प्रतिशत का उपयोग लोक ऋण के पुनर्भुगतान के उद्देश्य के लिए किया गया था जबकि 2018-19 में, 28.27 प्रतिशत का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया गया था।
- 2014-15 से 2018-19 के दौरान, लोक ऋण प्राप्ति के एक बड़े हिस्से (60.90 प्रतिशत एवं 80.92 प्रतिशत के मध्य) का उपयोग पूर्व में उधार ली गई निधि के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए किया जा रहा था। लोक ऋण प्राप्ति के उच्च हिस्से का उपयोग उधार ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए किए जाने के कारण राज्य को उपलब्ध निवल ऋण चालू वर्ष में ₹2,388 करोड़ (2017-18) से घटकर ₹1,388 करोड़ हो गया है। कुल उधार राशि से ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान की प्रतिशतता 2017-18 में 68.27 प्रतिशत के सापेक्ष बढ़कर 2018-19 में 80.92 प्रतिशत हो गयी।

2014-15 से 2018-19 के दौरान लिये गये बाजार ऋण और पुनर्भुगतान की संरचना चार्ट-1.28 और 1.29 में दी गई है।



### 1.10.1 बाजार ऋण

#### बाजार ऋण की स्थिति (बा ऋ)

तालिका-1.29, 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति को दर्शाती है।


तालिका-1.29: राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च को अन्तिम अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि(+)/कमी(-)	
					धनराशि	प्रतिशतता
2014-15	10,930.56	2,400.00	308.85	13,021.71	2,091.15	19.13
2015-16	13,021.71	3,900.00	1,170.19	15,751.52	2,729.81	20.96
2016-17	15,751.52	5,450.00	369.23	20,832.28	5,080.76	32.26
2017-18	20,832.28	6,660.00	830.00	26,662.28	5,830.00	27.99
2018-19	26,662.28	6,300.00	1,010.69	31,951.59	5,289.31	19.84
<b>योग</b>		<b>24,710.00</b>	<b>3,688.96</b>			

स्रोत: संगत वर्ष के वित्त लेखे।


उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि उत्तराखण्ड सरकार ने 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 24,710 करोड़ एवं ₹ 3,688.96 करोड़ का ऋण लिया और पुनर्भुगतान किया। पुनर्भुगतान राज्य सरकार के कुल ऋणों (₹ 24,710 करोड़) का 14.93 प्रतिशत था। इन ऋणों पर 2014-15 में 8.15 प्रतिशत से 2018-19 में 8.40 प्रतिशत की भारित औसत ब्याज दर पर पुनर्भुगतान 2014-15 में ₹ 308.85 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 1,010.69 करोड़ हो गया। उपरोक्त तालिका यह भी प्रदर्शित करती है कि बाजार ऋण वर्ष 2014-15 में ₹ 2,400 करोड़ से लगातार बढ़कर 2017-18 में ₹ 6,660 करोड़ हो गये। तथापि, 2018-19 के दौरान यह ₹ 6,300 करोड़ तक घट गये। इस अवधि के दौरान प्राप्तियों में 2014-15 से 2018-19 तक लगभग 2.63 गुणा वृद्धि देखी गई। नीचे दिये गये चार्ट-1.30 में 2014-15 से 2018-19 की अवधि में बाजार उधारियों की प्रवृत्ति को दिखाया गया है।



## 1.11 राजकोषीय असंतुलन

### 1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटा राज्य सरकार के वित्त में राजकोष के समस्त असन्तुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य के अन्तर को प्रस्तुत करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का एक सूचक है। इसके अलावा, किस तरह घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और जुटाए गये संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, यही इसके राजकोषीय स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड घाटों की प्रवृत्तियाँ, प्रकृति, परिमाण और वित्तपोषण के ढंग को प्रस्तुत करता है। चार्ट-1.31 एवं चार्ट-1.32, 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



स्रोत: स र ग उ के आँकड़े केन्द्रीय सांख्यिकी एवं निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदान किए गए हैं।

**राजस्व घाटा:** वर्ष 2014-15 में राज्य को ₹ 917 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ था जो कि वर्ष 2015-16 में खराब स्थिति तक ₹ 1,852 करोड़ हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य राजस्व घाटे को ₹ 383 करोड़ के निम्न स्तर तक लाने में सक्षम हुआ। राज्य इस प्रवृत्ति को बनाए नहीं रख सका और वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटा फिर से हासित हो कर ₹ 1,978 करोड़ हो गया। तथापि, चालू वर्ष

के दौरान स्थिति में सुधार हुआ और राज्य को ₹ 980 करोड़ (स रा घ उ का 0.40 प्रतिशत) का राजस्व घाटा हुआ।

**राजकोषीय घाटा:** वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटा ₹ 5,826 करोड़ (स रा घ उ का 3.61 प्रतिशत) था जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर ₹ 6,125 करोड़ (स रा घ उ का 3.46 प्रतिशत) हो गया, परन्तु वर्ष 2016-17 में यह घटकर ₹ 5,467 करोड़ (स रा घ उ का 2.80 प्रतिशत) हो गया। तथापि, वर्ष 2017-18 में यह फिर बढ़ कर ₹ 7,935 करोड़ (स रा घ उ का 3.56 प्रतिशत) हो गया। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 7,320 करोड़ (स रा घ उ का 2.98 प्रतिशत) था, जो कि चौ वि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3.25 प्रतिशत से कम था। राज्य अपने पूँजीगत व्यय, जो कुल व्यय (2014-15) के 18.8 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत (2018-19) हो गया है, को बढ़ाने के लिए उपलब्ध राजकोषीय स्थिति का उपयोग करते हुए और अधिक उधार लेने पर विचार कर सकता है।

**प्राथमिक घाटा:** वर्ष 2014-15 में प्राथमिक घाटा ₹ 3,420 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 3,154 हो गया और वर्ष 2016-17 में यह घाटा ₹ 1,744 करोड़ रह गया। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 3,948 करोड़ से घटकर चालू वर्ष के दौरान ₹ 2,845 करोड़ हो गया। इससे पता चलता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। इसका प्राथमिक राजस्व आधिक्य 2017-18 में ₹ 2,009 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 3,495 करोड़ हो गया। प्राथमिक राजस्व अधिशेष से ब्याज दायित्वों का भुगतान, पिछले वर्ष के 50 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 78 प्रतिशत करने में सक्षम था।

**प्राथमिक राजस्व शेष:** राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियों और उसके गैर-ब्याज राजस्व व्यय के बीच अंतर को दर्शाता है। यह इंगित करता है कि राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियाँ किस हद तक पूँजी खाते पर व्यय को पूरा करने में सक्षम थीं। 2018-19 में, राज्य ने ₹ 3,495 करोड़ का प्राथमिक राजस्व आधिक्य दर्ज किया। यह पूँजीगत व्यय (₹ 6,184 करोड़) का 56.52 प्रतिशत था।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के ₹ 46.82 करोड़ को पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत एवं ₹ 355.74 करोड़ के वृहद निर्माण कार्यों को राजस्व शीर्ष में दर्शाया जो कि सरकारी लेखा नियमों के विरुद्ध था। राज्य सरकार ने गारंटी कमीशन के ₹ 3.58 करोड़ को लोक लेखे में हस्तांतरित नहीं किया एवं चालू वर्ष के दौरान ₹ 40.38 करोड़ के आरक्षित एवं जमा राशि पर ब्याज का कोई भी प्रावधान नहीं किया।

उपरोक्त ने राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे को प्रभावित किया। स रा घ उ से राजकोषीय घाटा 0.01 प्रतिशतता बिन्दु तक कम आँका गया जैसा कि नीचे प्रदर्शित किया है।

तालिका-1.30: राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		कुल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		कुल प्रभाव लेने के पश्चात अनुपात (प्रतिशत में)	
		अतिशयोक्ति	न्यूनोक्ति	अतिशयोक्ति	न्यूनोक्ति	राजस्व घाटा/ स रा घ उ	राजकोषीय घाटा/ स रा घ उ	राजस्व घाटा/ स रा घ उ	राजकोषीय घाटा/ स रा घ उ
1.	राजस्व एवं पूँजीगत लेखों के मध्य गलत वर्गीकरण (निवल)	355.74 <sup>19</sup>	--	--	--	0.40	2.98	0.29	2.99
2.	सहायता अनुदान को पूँजीगत लेखा में दर्शाना	--	46.82	--	--				
3.	सार्वजनिक खाते में गारंटी कमीशन का स्थानांतरण न होना	--	3.58	--	3.58				
4.	आरक्षित एवं जमा धनराशि पर ब्याज हेतु कोई प्रावधान नहीं	--	40.38	--	40.38				
<b>कुल (निवल) प्रभाव</b>		264.96 (अतिशयोक्ति)		43.96 (न्यूनोक्ति)					

स्रोत: वित्त लेखे।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त-पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ जैसा कि तालिका-1.31 में परिलक्षित है।

तालिका-1.31: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>अ</b>	<b>राजकोषीय घाटे के घटक (1 से 3)</b>	<b>(-) 5,826</b>	<b>(-) 6,125</b>	<b>(-) 5,467</b>	<b>(-) 7,935</b>	<b>(-) 7,320</b>
1.	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 917	(-) 1,852	(-) 383	(-) 1,978	(-) 980
2.	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 4,804	(-) 4,217	(-) 4,954	(-) 5,914	(-) 6,184
3.	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 105	(-) 56	(-) 130	(-) 43	(-) 156
<b>ब</b>	<b>राजकोषीय घाटे की वित्त-पोषण पद्धति</b>					
1.	<b>निवल लोक ऋण</b>	<b>3,680</b>	<b>4,802</b>	<b>5,373</b>	<b>5,806</b>	<b>5,217</b>
अ.	निवल बाजार ऋण	(+) 2,091	(+) 2,730	(+) 5,081	(+) 5,830	(+) 5,289
ब.	भारत सरकार से निवल ऋण	(+) 33	(+) 66	(+) 111	(+) 74	(+) 61
स.	एन एस एस एफ को जारी विशेष निवल प्रतिभूतियाँ	(+) 1,145	(+) 1,467	(-) 348	(-) 374	(-) 411
द.	वित्तीय संस्थाओं से निवल ऋण	(+) 411	(+) 539	(+) 529	(+) 276	(+) 278
2.	<b>निवल लोक लेखा</b>	<b>1,497</b>	<b>1,209</b>	<b>1,248</b>	<b>2,204</b>	<b>1,843</b>
अ.	निवल लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(+) 420	(+) 478	(+) 413	(+) 619	(+) 890
ब.	निवल जमा एवं अग्रिम	(+) 399	(+) 138	(-) 135	(+) 719	(-) 11
स.	निवल उचन्त एवं विविध	(+) 13	(+) 377	(+) 1,050	(+) 730	(+) 173
द.	निवल प्रेषण	(+) 450	(+) 33	(-) 3	(+) 31	(+) 679
य.	निवल आरक्षित निधि	(+) 215	(+) 183	(-) 77	(+) 105	(+) 112
3.	<b>निवल आकस्मिकता निधि</b>	<b>(-) 12</b>	<b>(-) 195</b>	<b>(+) 167</b>	<b>(-) 127</b>	<b>(+) 110</b>
4.	<b>रोकड़ शेष में कुल वृद्धि</b>	<b>(+) 661</b>	<b>(+) 309</b>	<b>(-) 1,321</b>	<b>(+) 52</b>	<b>(+) 150</b>

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे, 2014-15 से 2018-19।

<sup>19</sup> राज्य सरकार ने ₹ 367.75 करोड़ के वृहद निर्माण कार्यों को विभिन्न राजस्व शीर्षों में बुक किया है। साथ ही, लघु निर्माण तथा अनुरक्षण के क्रमशः ₹ 2.78 करोड़ तथा ₹ 9.23 करोड़ के कार्यों को पूँजीगत व्यय शीर्ष में बुक किया है।

2018-19 में राजकोषीय घाटा काफी सीमा तक बाजार की उधारियों (72 प्रतिशत), लघु बचत एवं भविष्य निधि (12 प्रतिशत), प्रेषण (नौ प्रतिशत) और वित्तीय संस्थाओं से ऋण (चार प्रतिशत) द्वारा प्रबंधित किया गया था।

### 1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटा और निवल पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) का योगदान राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता इंगित करता है। राजकोषीय घाटे के लिए राजस्व घाटे का लगातार उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार निरंतर कम हो रहा है और ऋणों (राजकोषीय दायित्व) के अंश परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं हैं। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका-1.32) उस सीमा को इंगित करेगा जहाँ तक घाटा पूँजीगत लेखे में कमी के कारण रहा है जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये वांछनीय हो सकता है।

तालिका-1.32: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्तियाँ*	राजस्व प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(3-4)	9=(2-7)
2014-15	20,428	20,247	18,758	4,939	151	23,848	(+) 1,670	(-) 3,420
2015-16	21,261	21,234	20,115	4,217	83	24,415	(+) 1,119	(-) 3,154
2016-17	24,924	24,889	21,549	4,954	165	26,668	(+) 3,340	(-) 1,744
2017-18	27,139	27,105	25,096	5,914	77	31,087	(+) 2,009	(-) 3,948
2018-19	31,243	31,216	27,721	6,184	183	34,088	(+) 3,495	(-) 2,845

\* नोक ऋण प्राप्तियाँ से इतर प्राप्तियाँ।

- राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियाँ में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियाँ और ऋण एवं अग्रिमों की वसूली शामिल है जिसमें 2014-15 से 2018-19 तक 52.94 प्रतिशत वृद्धि हुई और प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।
- 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान प्राथमिक राजस्व आधिक्य में गिरावट आई। पिछले वर्ष की तुलना में यह लगभग तीन गुना बढ़ा और 2016-17 के दौरान ₹ 3,340 करोड़ रहा, लेकिन वर्ष 2017-18 के दौरान यह फिर से घटकर ₹ 1,331 करोड़ हो गया। तथापि, चालू वर्ष के दौरान इसमें फिर से ₹ 1,486 करोड़ की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2014-15 में ₹ 3,420 करोड़ के प्राथमिक घाटे में वर्ष 2015-16 में ₹ 266 करोड़ की आंशिक कमी हुई लेकिन 2016-17 के दौरान ₹ 1,410 करोड़ की कमी दिखाई गई। वर्ष 2017-18 के दौरान इसमें फिर से ₹ 2,204 करोड़ की काफी बढ़ोतरी हुई है। तथापि, 2018-19 के दौरान यह फिर से ₹ 1,103 करोड़ कम हो गया है।

तालिका-1.33: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 917 (16)	(-) 1,852 (30)	(-) 383 (07)	(-) 1,978 (25)	(-) 980 (14)
निवल पूँजीगत व्यय	(-) 4,804 (82)	(-) 4,217 (69)	(-) 4,954 (91)	(-) 5,914 (75)	(-) 6,184 (84)
निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 105 (02)	(-) 56 (01)	(-) 130 (02)	(-) 43 (00)	(-) 156 (02)
राजकोषीय घाटा	(-) 5,826	(-) 6,125	(-) 5,467	(-) 7,935	(-) 7,320

कोष्ठक में दिये आँकड़े राजकोषीय घाटे के सापेक्ष प्रतिशतता दर्शाते हैं।

राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का अंश दर्शाता है कि चालू उपभोग के लिए किस सीमा तक उधार ली गई धनराशि का उपयोग किया गया था। वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में कम राजस्व घाटे के कारण सुधार आया। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का योगदान 2017-18 में 25 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 14 प्रतिशत हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि 2017-18 की तुलना में 2018-19 में चालू व्यय का एक कम हिस्सा उधार की निधि से किया गया। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष निवल पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता 2017-18 में 75 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 84 प्रतिशत हो गयी। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा 7.75 प्रतिशत घटा जो वर्ष 2017-18 में सरा घ उ के 3.56 प्रतिशत की तुलना में 2.98 प्रतिशत था।

### 1.12 राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

उत्तराखण्ड में राज्य वित्त पर एकल प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति द्वारा 2009 से चर्चा नहीं की गई, यद्यपि प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

### 1.13 निष्कर्ष

वर्ष 2014-15 में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 917 करोड़ था जो कि वर्ष 2015-16 में ₹ 1,852 करोड़ तक खराब स्थिति में आ गया। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य राजस्व घाटे को ₹ 383 करोड़ तक के निम्न स्तर तक लाने में सक्षम था। राज्य इस प्रवृत्ति को बनाए नहीं रख सका और वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटा फिर से घटकर ₹ 1,978 करोड़ हो गया। तथापि, चालू वर्ष में स्थिति में सुधार हुआ है और राज्य का राजस्व घाटा ₹ 980 करोड़ (स रा घ उ का 0.40 प्रतिशत) था।

गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व एवं पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत व्यय के कुछ आँकड़े गलत लेखांकित हो गए थे। आगे, राज्य ने ब्याज के लिए भी कोई बजट प्रावधान नहीं किया था। जिसके फलस्वरूप स रा घ उ से राजकोषीय घाटा 0.01 प्रतिशतता बिन्दु कम आँका गया है।



पूँजीगत व्यय ने पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 270 करोड़ की वृद्धि दर्ज की, जो कि राज्य सरकार द्वारा अपने एम टी एफ पी में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था, लेकिन बजट अनुमान की तुलना में कम था। कुल राजस्व व्यय के अनुपात में प्रतिबद्ध व्यय में पिछले वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष में मामूली गिरावट देखी गई। यह अब भी राजस्व व्यय के 67 प्रतिशत के आसपास बनी हुई थी। इसका तात्पर्य यह है कि विकास गतिविधियों के लिए सरकार के पास कम राशि उपलब्ध है।

राज्य में, शिक्षा के क्षेत्र में, सकल व्यय के अनुपात में व्यय सभी तीन वर्षों के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत यह विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से वर्ष 2014-15 में थोड़ा अधिक था लेकिन 2017-18 एवं 2018-19 में यह काफी कम था।

राज्य सरकार द्वारा संचित हानि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक निगमों एवं कंपनियों में भी, जिन्होंने अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया था, बजटीय सहायता एवं निवेश किया था। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी समितियों में सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल लगभग नगण्य था। राज्य द्वारा विभिन्न संस्थानों, निगमों/सरकारी कंपनियों और सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज (प्रतिफल) बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सात प्रतिशत के लक्ष्य, जिसे 2009-10 तक प्राप्त किया जाना था, के सापेक्ष केवल 0.06 प्रतिशत था।

राज्य का लोक ऋण पिछले वर्ष की तुलना में 12.72 प्रतिशत बढ़ा। राज्य का लोक ऋण स रा घ उ की तुलना में उच्च दर पर बढ़ा। राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान पिछले दो वर्षों में 2014-15 के दौरान नौ प्रतिशत से बढ़कर लगभग 13 प्रतिशत हो गया। लोक ऋण प्राप्ति के उच्च हिस्से का उपयोग उधार ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए किए जाने के कारण राज्य को उपलब्ध निवल ऋण चालू वर्ष में ₹ 2,388 करोड़ (2017-18) से घटकर ₹ 1,388 करोड़ हो गया है। कुल उधार राशि के ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान की प्रतिशतता 2017-18 में 68.27 प्रतिशत के सापेक्ष बढ़कर 2018-19 में 80.92 प्रतिशत हो गयी।

2018-19 में स रा घ उ से कुल राजकोषीय दायित्वों के अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में 0.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 23.60 प्रतिशत पर रहा जो कि चौ वि आ द्वारा निर्धारित 22.56 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर था।

चालू वर्ष के दौरान, ₹ 7,320 करोड़ (स रा घ उ का 2.98 प्रतिशत) का राजकोषीय घाटा चौ वि आ द्वारा स रा घ उ के 3.25 प्रतिशत निर्धारित मानक लक्ष्य के अंतर्गत था। वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में कम राजस्व घाटे के कारण सुधार आया। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का योगदान 2017-18 में 25 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 14 प्रतिशत हो गया। निवल पूँजीगत व्यय का राजकोषीय घाटे से प्रतिशतता 2017-18 में 75 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 84 प्रतिशत हो गया।

### 1.14 संस्तुतियाँ

- राज्य का स्वयं का कर राजस्व बजट अनुमानों और चौ वि आ के अनुमानों से कम हो गया। राज्य स्वयं के कर राजस्व के संग्रह में गिरावट के लिए योगदान करने वाले कारकों की जाँच कर सकता है और संसाधन जुटाने में सुधार के लिए उपाय कर सकता है;
- राज्य सरकार अपने पूँजीगत व्यय को बढ़ा सकती है, विशेषतः सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में, जिससे पूँजी आधार बढ़ेगा जो कि आर्थिक वृद्धि में योगदान करेगा;
- राज्य सरकार पर्याप्त उच्च लागत की उधारियों को ध्यान में रखते हुए लाभ अर्जित करने वाले राज्य सा क्षेत्र में निवेशित पूँजी पर युक्तियुक्त प्रतिफल को सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगा सकती है;
- क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों को सरकार द्वारा अग्रिम के रूप में दिए गए ऋणों की वसूली खराब रही है, राज्य सरकार इन ऋणों और अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने और उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखे सही स्थिति दर्शा रहे हैं;
- राज्य, अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना सुनिश्चित कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आगे कोई लागत वृद्धि न हो;
- राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र पर संसाधनों के आवंटन में वृद्धि कर सकता है ताकि इसे विशेष श्रेणी के राज्यों के औसत के बराबर लाया जा सके; तथा
- राज्य सरकार को जी पी एफ के लिए लागू दर पर ब्याज का प्रावधान करना चाहिए, जो कि लोक खाते में रखे गए विरासत शेष पर भुगतान किया जाएगा।



## **अध्याय-2**


### **वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण**



2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं भारत विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, दत्तमत एवं भारत व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मदों दत्तमत एवं भारत के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान, अभ्यर्षण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधान को सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

चार्ट-2.1: बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट



2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार में निहित विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय किया गया है और जो व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत होना चाहिए, वही भारत किया गया है। यह, ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

## 2.2 विनियोग लेखों का सारांश

वर्ष 2018-19 के दौरान 31 अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-2.1 एवं चार्ट-2.2 में दी गयी है।


तालिका-2.1: वर्ष 2018-19 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	समर्पित धनराशि	31 मार्च को समर्पित धनराशि	कुल समर्पित धनराशि का 31 मार्च को समर्पित धनराशि से प्रतिशतता
दत्तमत	I राजस्व	30,542.41	1,504.24	32,046.65	27,648.18	(-) 4,398.47	689.91	689.91	100
	II पूँजीगत	6,582.80	745.24	7,328.04	6,785.90	(-) 542.14	351.06	351.06	100
	III ऋण एवं अग्रिम	191.98	0.92	192.90	183.48	(-) 9.42	00	00	00
<b>योग-दत्तमत</b>		<b>37,317.19</b>	<b>2,250.40</b>	<b>39,567.59</b>	<b>34,617.56</b>	<b>(-) 4,950.03</b>	<b>1,040.97</b>	<b>1,040.97</b>	<b>100</b>
भारित	IV राजस्व	5,084.90	202.00	5,286.90	4,547.99	(-)738.91	3.58	3.58	100
	V पूँजीगत	1.00	00	1.00	0.15	(-) 0.85	00	00	00
	VI लोक ऋण- पुनर्भुगतान	3,182.00	00	3,182.00	10,230.14	(+) 7,048.14	00	00	00
<b>योग-भारित</b>		<b>8,267.90</b>	<b>202.00</b>	<b>8,469.90</b>	<b>14,778.28</b>	<b>6,308.38</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>	<b>100</b>
<b>कुल योग</b>		<b>45,585.09</b>	<b>2,452.40</b>	<b>48,037.49</b>	<b>49,395.84</b>	<b>1,358.35</b>	<b>1,044.55</b>	<b>1,044.55</b>	<b>100</b>

स्रोत: विनियोग लेखों।

चार्ट-2.2: प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति




जैसा कि तालिका-2.1 में प्रदर्शित है, ₹ 1,358.35 करोड़ का कुल आधिक्य व्यय हुआ था जो कि पूँजीगत दत्तमत के अन्तर्गत दो अनुदानों और पूँजीगत भारित के अन्तर्गत एक विनियोग में ₹ 8,464.98 करोड़ के आधिक्य और 31 अनुदानों और आठ विनियोगों में ₹ 7,106.62 करोड़ की बचत का परिणाम था।

### 2.2.1 पूँजीगत और राजस्व

पूँजीगत एवं राजस्व, दोनों ही खातों में बचत पायी गई थी (चार्ट-2.3)।

चार्ट-2.3: पूँजीगत और राजस्व वर्गों के अन्तर्गत बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2018-19 के दौरान, जिन विभागों एवं अनुभागों में आवंटन के सापेक्ष महत्वपूर्ण व्ययाधिक्य पाया गया, उनका विवरण तालिका-2.2 में दिया गया है।

तालिका-2.2: 2018-19 के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	आधिक्य व्यय
1.	7	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	पूँजीगत (भारित)	7,048.14
2.	25	खाद्य	पूँजीगत (दत्तमत)	1,414.04
<b>योग</b>				<b>8,462.18</b>

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि केवल एक अनुदान और एक विनियोग में ही 99.97 प्रतिशत का आधिक्य व्यय हुआ।

इसी प्रकार, वर्ष 2018-19 के दौरान आवंटन के सापेक्ष जिन विभागों में महत्वपूर्ण बचत पायी गई, वह जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास (₹ 660.85 करोड़), राजस्व और सामान्य प्रशासन (₹ 645.11 करोड़), वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध (₹ 1,557.33 करोड़), शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति (₹ 697.55 करोड़), चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (₹ 538.85 करोड़), कल्याण (₹ 410.02 करोड़), कृषि कार्य एवं अनुसंधान (₹ 176.28 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 205.91 करोड़), लोक निर्माण (₹ 231.81 करोड़), परिवहन (₹ 199.36 करोड़), अनुसूचित जाति का कल्याण (₹ 417.35 करोड़), वन (₹ 177.80 करोड़) और अनुसूचित जनजाति का कल्याण (₹ 176.17 करोड़) थे।

बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखे) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु नियंत्रण अधिकारियों को सूचित (जुलाई 2019) किया गया था। उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2019) थे।।



## 2.3 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबन्धन

### 2.3.1 व्ययाधिक्य

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल (उ ब मै) के चैप्टर XIII के प्रस्तर 121 के अनुसार, अनाधिकृत अधिक व्यय करना आपत्तिजनक है तथा उससे बचना चाहिए। तीन प्रकरणों में, ₹ 13,173.14 करोड़ का समग्र व्यय अनुमोदित प्रावधान से ₹ 8,464.98 करोड़ अधिक था। इसका ब्यौरा **परिशिष्ट-2.1** में दिया गया है। इनमें से अनुदान संख्या 25-खाद्य में विगत पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर व्ययाधिक्य देखा गया है जैसा कि **तालिका-2.3** में विस्तारित है।

**तालिका-2.3: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान निरन्तर व्ययाधिक्य प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची**  
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की राशि				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>						
1.	25-खाद्य	1,738.25	2,203.83	2,245.80	1,322.39	1,414.04

स्रोत: विनियोग लेखे।

निरन्तर व्ययाधिक्य यह दर्शाता है कि विभाग में बजट नियंत्रण अप्रभावी था और बजट अनुमान वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए थे। राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित अनुदानों के सापेक्ष निरन्तर व्ययाधिक्य विधानमण्डल की इच्छा और लोकतंत्र के इस मूल सिद्धांत का उल्लंघन है कि विधायिका की स्वीकृति के बिना एक रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता है, और, इसलिए इसे गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। अधिक व्यय के सभी मौजूदा मामलों को जल्द से जल्द नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में, गंभीर एवं अत्यधिक आपात स्थिति के मामलों को छोड़कर, इस तरह के अप्रदत्त व्यय को पूरी तरह से रोका जा सकता है, जिनकी लागत आकस्मिकता निधि से पूरी नहीं की जा सकती है।

### 2.3.2 विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XIII का प्रस्तर 121 दर्शाता है कि यदि वर्ष की समाप्ति के बाद विनियोग लेखे के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि उसी वर्ष के किसी अनुदान अथवा भारत विनियोग में कुल अन्तिम विनियोग से अधिक व्यय किया गया है तो आधिक्य व्यय को, सविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अनुसार माँगों को विधायिका में प्रस्तुत कर लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2005-06 से 2017-18 से संबन्धित 51 अनुदानों एवं 23 विनियोगों के अंतर्गत आधिक्य संवितरण की धनराशि ₹ 27,194.16 करोड़ को राज्य विधायिका से नियमित किया जाना शेष था। वर्षवार अधिक व्यय की धनराशि जो नियमतीकरण हेतु लम्बित थी, **तालिका-2.4** में सारांशित की गई है।

तालिका-2.4: विनियमन की आवश्यकता वाले विगत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधानों से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग की संख्या	अनुदान/विनियोगों के ब्यौरे	प्रावधान से अधिक व्यय की राशि
2005-06	7	7, 8, 17, 20, 22, 25 एवं 29	663.50
2006-07	6	7, 17, 20, 22, 25 एवं 29	935.92
2007-08	6	7, 17, 20, 22, 25 एवं 29	733.79
2008-09	6	7, 17, 20, 22, 25 एवं 29	1,146.41
2009-10	7	7, 17, 18, 21, 22, 25 एवं 29	1,007.49
2010-11	9	10, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 25 एवं 29	1,295.40
2011-12	5	7, 17, 22, 25 एवं 29	1,611.40
2012-13	7	12, 14, 17, 21, 22, 25 एवं 29	1,835.34
2013-14	3	22, 25 एवं 29	1,837.15
2014-15	4	17, 22, 25 एवं 29	1,922.80
2015-16	4	17, 22, 25 एवं 29	2,334.24
2016-17	4	07, 17, 25 एवं 29	5,457.33
2017-18	6	07, 17, 20, 22, 25 एवं 27	6,413.38
<b>योग</b>			<b>27,194.15</b>

स्रोत:- विनियोग लेखें।

यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा समेकित निधि से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

### 2.3.3 वर्ष 2018-19 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

तालिका-2.5 में वर्ष 2018-19 के दौरान दो अनुदानों तथा एक विनियोग के अंतर्गत राज्य की संचित निधि (रा सं नि) से प्राधिकृत से कुल आधिक्य व्यय ₹ 8,464.98 करोड़ का सार सम्मिलित है।

तालिका-2.5: 2018-19 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	कुल व्यय	आधिक्य व्यय
<b>पूँजीगत-भारित</b>					
1.	7	वित्त, कर, योजना, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	3,182.00	10,230.14	7,048.14
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>					
2.	19	ग्रामीण विकास	1,507.16	1,509.96	2.80
3.	25	खाद्य	19.00	1,433.04	1,414.04
<b>योग</b>			<b>4,708.16</b>	<b>13,173.14</b>	<b>8,464.98</b>

स्रोत: विनियोग लेखें।

राज्य सरकार/विभाग द्वारा व्ययाधिक्य के कारणों को अक्टूबर 2019 तक सूचित नहीं किया गया था।

### 2.3.4 अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

₹ 125.01 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान दो प्रकरणों में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, यह कमी प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या ₹ एक करोड़ से अधिक थी जिससे ₹ 1,416.84 करोड़ का व्ययाधिक्य अनाच्छादित पड़ा रहा (परिशिष्ट-2.2)।

### 2.3.5 व्यय की तीव्रता

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल (उ ब मै) के चैप्टर XVII का प्रस्तर 183 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। उत्तम वित्तीय प्रबन्धन के लिए व्यय की एक समान गति को बनाए रखना चाहिए। इसके विपरीत, **परिशिष्ट-2.3** में सूचीबद्ध 39 मुख्य शीर्षों में वर्ष 2018-19 के कुल व्यय का 25 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2019 में किया गया था।


वर्ष 2018-19 के दौरान 39 मुख्य शीर्षों के सापेक्ष कुल व्यय किए गए ₹ 10,742.97 करोड़ का 47.31 प्रतिशत (₹ 5,082.28 करोड़) वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में व्यय किया गया।

### 2.3.6 अधिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप बचत

#### 2.3.6.1 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 42 प्रकरणों में, जिसमें प्रत्येक प्रकरण ₹ 10 लाख या उससे अधिक का था, कुल ₹ 1,681.38 करोड़ प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अनुदान के अन्तर्गत किया गया व्यय मूल प्रावधान की सीमा के अंदर ही था जैसा कि **परिशिष्ट-2.4** में वर्णित किया गया है।

चार्ट-2.4: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोग लेख।

#### 2.3.6.2 निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक ही अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचत पूर्वानुमानित हो, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, को निधियों का स्थानान्तरण है। पुनर्विनियोजन अधिक/अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप 22 अनुदानों के अन्तर्गत 124 प्रकरणों में ₹ 10 लाख और उससे अधिक के व्यय में बचत/आधिक्य हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-2.5** में वर्णित है।

बचत के कारण सरकार द्वारा दिसम्बर 2019 तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

### 2.3.6.3 पर्याप्त अभ्यर्पण

16 अनुदानों में, 104 उप-शीर्षों के सापेक्ष महत्वपूर्ण अभ्यर्पण (वे प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) किए गए। इन 104 उप-शीर्षों में ₹ 615.09 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 426.12 करोड़ (69.28 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 51 योजनाओं में 100 प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ 76.31 करोड़) दत्तमत्त अनुदान में सम्मिलित है जैसा कि **परिशिष्ट-2.6 (अ)** में विस्तारित है। ₹ 0.77 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 0.37 करोड़ (48.05 प्रतिशत) का अभ्यर्पण एक विनियोग के एक उपशीर्ष में किया गया है जैसा कि **परिशिष्ट-2.6 (ब)** में विस्तारित है।

### 2.3.6.4 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

एक प्रकरण में, अभ्यर्पित की गयी राशि वास्तविक बचत से अधिक थी, जो विभाग में बजटीय नियन्त्रण की कमी को इंगित करता है। इस एक प्रकरण में ₹ 66.62 करोड़ की बचत के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 100.40 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.78 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण किया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.7** में दिया गया है।

### 2.3.6.5 अनुमानित बचत जो अभ्यर्पित नहीं हुई/आंशिक अभ्यर्पित हुई

उ ब मै के चैप्टर XIII के खण्ड I के प्रस्तर 124 के अनुसार प्रत्येक नियन्त्रण अधिकारी को बी एम 2 (भाग-II) के प्रारूप में आधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण तैयार करना चाहिए जो कि, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से 25 जनवरी तक वित्त विभाग तक पहुँच जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2018-19 के अंत में, 13 अनुदान ऐसे थे जिनमें ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में सम्मिलित राशि ₹ 2,964.13 करोड़ (कुल बचत<sup>1</sup> का 41.71 प्रतिशत) थी, जैसा कि **परिशिष्ट-2.8** में दिया गया है।

इसी प्रकार, ₹ 7,012.28 करोड़ की बचत (वे प्रकरण जिसमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक हुई), में से केवल ₹ 918.59 करोड़ धनराशि ही अभ्यर्पित की गई थी और परिणामस्वरूप ₹ 6,093.69 करोड़ (₹ 7,106.62 करोड़ की बचत का 85.75 प्रतिशत) की धनराशि का अभ्यर्पण नहीं हुआ, जिसका विवरण **परिशिष्ट-2.9** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 14 प्रकरणों में, ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियाँ कुल ₹ 957.51 करोड़ मार्च 2019 के अंतिम दिवस को अभ्यर्पित (**परिशिष्ट-2.10**) की गयी, जो अभ्यर्पण के अभिप्रेत प्रयोजन की विफलता का परिचायक है क्योंकि यह धनराशि अन्य उद्देश्यों के उपयोग में नहीं लायी जा सकी।

### 2.3.6.6 विनियोग के सापेक्ष व्यय

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम से अवगत हुआ कि 58 प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में बचत, ₹ एक करोड़ या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी (**परिशिष्ट-2.11**)। कुल बचत

<sup>1</sup> ₹ 7,106.62 करोड़ की कुल बचत का।

₹ 7,106.62 करोड़ के सापेक्ष 19 अनुदानों एवं एक विनियोग से सम्बन्धित 29 प्रकरणों में ₹ 6,616.40 करोड़, (93.10 प्रतिशत)<sup>2</sup> की बचत हुई जैसा कि तालिका-2.6 में प्रदर्शित है।

तालिका-2.6: ₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों एवं विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशतता
<b>राजस्व - दत्तमत</b>					
1.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,234.40	372.54	30.18
2.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	8,440.00	697.69	8.27
3.	10	पुलिस एवं जेल	1,938.78	105.30	5.43
4.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	7,609.74	542.42	7.13
5.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,222.90	496.45	22.33
6.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	705.07	143.54	20.36
7.	15	कल्याण	1,709.43	367.60	21.50
8.	16	श्रम एवं रोजगार	368.18	146.57	39.81
9.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	1,137.97	169.84	14.93
10.	19	ग्रामीण विकास	1,004.01	205.91	20.51
11.	20	सिंचाई एवं बाढ़	500.18	72.21	14.44
12.	22	लोक निर्माण	875.36	159.06	18.17
13.	23	उद्योग	250.87	53.04	21.14
14.	25	खाद्य	257.69	86.46	33.55
15.	27	वन	742.17	128.63	17.33
16.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,200.62	321.08	26.74
17.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	363.88	122.09	33.55
<b>योग</b>			<b>30,561.25</b>	<b>4,190.43</b>	<b>13.71</b>
<b>राजस्व-भारित</b>					
1.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	5,174.62	699.30	13.51
<b>योग</b>			<b>5,174.62</b>	<b>699.30</b>	<b>13.51</b>
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>					
1.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	442.75	272.51	61.55
2.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	328.13	160.34	48.86
3.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	297.93	155.14	52.07
4.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1115.17	517.31	46.39
5.	20	सिंचाई एवं बाढ़	468.20	102.27	21.84
6.	21	ऊर्जा	317.30	73.15	23.05
7.	22	लोक निर्माण	1391.50	66.62	4.79
8.	24	ट्रांसपोर्ट	187.81	173.86	92.57
9.	26	पर्यटन	112.59	55.11	48.95
10.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	331.33	96.28	29.06
11.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	151.18	54.08	33.77
<b>योग</b>			<b>5,143.89</b>	<b>1,726.67</b>	<b>33.57</b>
<b>महायोग</b>			<b>40,879.76</b>	<b>6,616.40</b>	<b>16.19</b>

स्रोत : विनियोग लेखे।

<sup>2</sup> प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक।

बचत के कारण जो कि अपेक्षित थे, अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2019)।

### 2.3.6.7 निरन्तर बचत

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, 45 प्रकरणों में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचत हुई जैसा कि तालिका-2.7 में वर्णित है।

तालिका-2.7: पिछले पाँच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के दौरान निरन्तर बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत धनराशि				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>राजस्व-दत्तमत</b>						
1.	03-मंत्रि परिषद	1.16	41.00	17.55	11.99	12.25
2.	04-न्यायिक प्रशासन	35.73	29.67	54.67	19.38	39.73
3.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,037.70	669.86	1,284.98	823.29	372.54
4.	07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	480.27	786.13	1,020.53	226.15	697.69
5.	08-आबकारी	1.44	1.91	5.13	2.59	3.12
6.	10-पुलिस एवं कारागार	100.55	60.74	149.77	73.90	105.30
7.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	741.48	811.98	1,313.18	439.41	542.42
8.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	397.34	514.02	452.31	510.18	496.45
9.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	175.86	300.00	416.29	171.25	143.54
10.	14-सूचना	1.01	2.19	4.76	3.30	8.92
11.	15-कल्याण	342.56	396.89	504.66	324.83	367.60
12.	16-श्रम एवं रोजगार	58.20	86.03	72.37	19.06	146.57
13.	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	91.09	215.51	252.03	64.05	169.84
14.	18-सहकारिता	7.93	6.60	16.69	2.84	16.46
15.	19-ग्रामीण विकास	651.46	126.96	485.65	557.81	205.91
16.	20-सिंचाई व बाढ़	63.40	49.57	100.57	36.58	72.21
17.	22-लोक निर्माण	205.45	119.55	61.65	63.62	159.06
18.	23-उद्योग	14.02	34.66	106.40	43.01	53.04
19.	24-परिवहन	5.27	5.60	11.69	9.43	25.50
20.	25-खाद्य	224.72	129.08	171.66	55.36	86.46
21.	26-पर्यटन	42.46	4.17	18.69	8.40	14.96
22.	27-वन	1,19.93	80.72	2,10.08	82.90	128.63
23.	28-पशुपालन	33.92	24.21	73.87	22.33	25.39
24.	29-उद्यान विकास	41.31	61.45	49.46	55.47	44.62
25.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	269.50	490.39	542.21	245.12	321.08
26.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	95.59	117.85	138.15	90.34	122.09
<b>राजस्व-प्रभारित</b>						
1.	02-राज्यपाल	1.19	1.31	4.81	2.18	3.16
2.	04-न्यायिक प्रशासन	7.59	8.77	28.12	7.20	18.09
3.	07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	657.44	414.76	226.69	646.15	699.30
4.	09-लोक सेवा आयोग	1.59	1.64	9.49	10.11	11.77
5.	22-लोक निर्माण	4.71	5.09	1.38	3.95	6.13

पूँजीगत-दत्तमत						
1.	04-न्यायिक प्रशासन	19.54	29.06	38.67	3.76	4.64
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	4.85	4.42	74.61	146.15	272.51
3.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	23.09	15.31	310.53	262.41	160.34
4.	10-पुलिस एवं कारागार	7.55	2.91	17.12	8.43	4.63
5.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	189.88	370.80	152.73	111.97	155.14
6.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	24.27	33.80	32.28	82.61	42.40
7.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	477.85	157.08	174.45	193.49	517.31
8.	15-कल्याण	74.29	39.12	17.66	44.01	42.42
9.	21-ऊर्जा	361.66	102.42	314.05	196.67	73.15
10.	23-उद्योग	25.81	16.29	34.66	57.77	46.68
11.	24-परिवहन	30.00	59.21	44.41	19.23	173.86
12.	26-पर्यटन	179.95	63.10	71.64	5.22	55.11
13.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	299.68	134.77	117.96	61.89	96.28
14.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	42.37	61.52	59.85	36.65	54.08

सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में हुई बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (दिसम्बर 2019)। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017-18 के राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन में उल्लेख किए जाने के बावजूद भी चालू वर्ष के दौरान पर्याप्त संख्या में निरन्तर बचत के प्रकरण प्रकाश में आये जो निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण का सूचक है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

### 2.3.7 बजट के व्ययगत होने से बचने के लिए निधियों का आहरण

सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए, सरकार समेकित निधि से धनराशि अंतरण कर उसे जमा करने के लिए वैयक्तिक जमा (पी डी) खाता खोलने के लिए अधिकृत है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (नियम 8) के प्रावधानों के अनुसार, केवल तत्काल भुगतान की आवश्यकता के लिए ही निधियों का आहरण किया जाएगा और वित्त विभाग की सहमति के बिना कहीं और निवेश या जमा करने के लिए सरकारी खाते से धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, बजट अनुदान को कालातीत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण करके और इस तरह की निधियों को लोक खाते अथवा बैंक में जमा करने की प्रवृत्ति निषिद्ध हैं।

वर्ष 2018-19 के अंत तक पी डी खातों में ₹ 180.09 करोड़ की अव्ययित धनराशि समेकित निधि में अन्तरित करनी शेष रही। आगे, यह भी देखा गया कि मुख्य शीर्ष 4515, 2415 और 2235 के अंतर्गत ₹ 19.74 करोड़, ₹ 3.75 करोड़ और ₹ 0.28 करोड़ की राशि मार्च में पी डी खातों में स्थानांतरित की गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान पी डी खाता की स्थिति तालिका-2.8 में दी गयी है।

तालिका-2.8: वर्ष 2018-19 के दौरान पी डी खातों (मुख्य शीर्ष 8443-106) की स्थिति


(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बन्द		अंतिम अवशेष	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
46 <sup>3</sup>	235.52	01	226.24	...	281.67	47	180.09

<sup>3</sup> मिलान के कारण पिछले वर्ष के प्रारम्भिक अवशेष से भिन्नता।

चार्ट-2.5: पी डी खाते

(₹ करोड़ में)



राज्य में 31 मार्च 2019 को ₹ 180.09 करोड़ के अंतिम अवशेष के साथ 47 वैयक्तिक जमा खाते थे। इनमें से ₹ 98.36 करोड़ (54.61 प्रतिशत) की धनराशि जिला अधिकारी देहरादून के एक वैयक्तिक जमा खाते से संबन्धित थी। जिनको वित्तीय वर्ष के अन्त में बंद करने और अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था। यह भी देखा गया है कि जिला अधिकारी देहरादून के पी एल ए में पड़ी हुई धनराशि राज्य सरकार के दूसरे विभागों के उपयोग के लिए थी जैसे कि सामाजिक कल्याण विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग, क्रिड़ा विभाग एवं स्वजल। वर्ष 2018-19 के दौरान इस लेखे में से कोई भी व्यय नहीं किया गया था, अपितु ₹ 4.77 करोड़ की धनराशि इस खाते में स्थानांतरित कर दी गई। इसके अतिरिक्त, कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक) उत्तराखण्ड से इस खाते का नवीनीकरण न तो वर्ष 2017-18 में और न ही वर्ष 2018-19 में कराया गया। पी डी खाते में धनराशि पड़े रहने के परिणामस्वरूप व्यय को उस सीमा तक बढ़ा कर सूचित करना हुआ। इसके अतिरिक्त, पी डी खाते के प्रशासकों द्वारा अपने अवशेषों का मिलान भी कोषागार के आँकड़ों के साथ नहीं किया गया। वैयक्तिक जमा खातों का आवधिक मिलान न करना और वैयक्तिक जमा खातों में पड़ी हुई अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में हस्तांतरित न किया जाना सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोग के जोखिम को बढ़ाता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और जिला कोषागार अधिकारियों को एक शासनादेश जारी किए जाने का आश्वासन दिया कि वे केवल वित्त विभाग और महालेखाकार (लेखा एवं हक) की सहमति से नए पी एल ए खाते खोलें और इसे निधियों की पार्किंग के लिए उपयोग न करें।



## 2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि के लिए अनुदान संख्या 07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ और अनुदान संख्या 13-जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्ययों की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

**अनुदान संख्या 07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ**

### अ. राजस्व व्यय

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 30.91 प्रतिशत की वृद्धि एवं पुनः वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष से 7.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.9 में सारांशित है।

तालिका-2.9: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	व्यय में विचलन
2030-स्टॉप एवं पंजीकरण, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043-राज्य माल और सेवाओं पर कर के तहत संग्रह शुल्क, 2045-जिंसों और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएँ, 2048, 2049-ब्याज भुगतान, 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, 2054-कोषागार एवं लेखा प्रशासन, 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ, 3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी तथा 3604-स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थानों को मुआवजा और असाइनमेंट	2016-17	9,946.90	2.22	9,949.12	8,701.90	1,247.22	12.54	-
	2017-18	11,576.52	687.45	12,263.97	11,391.67	872.30	7.11	30.91
	2018-19	13,164.90	449.72	13,614.62	12,217.62	1,397.00	10.26	7.25

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से यह सिद्ध होता है कि 2016-17 से 2018-19 के दौरान निरंतर बचत हुई है। 2018-19 के दौरान, ₹ 449.72 करोड़ का अनावश्यक अतिरिक्त प्रावधान किया गया था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 13,164.90 करोड़) ही वास्तविक व्यय से (₹ 12,217.62 करोड़) अधिक था।

कुछ लेखाओं के शीर्षों की नमूना जाँच में (किसी भी वर्ष में ₹ 50 लाख से अधिक) पिछले वर्षों से, व्यय की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विचलन प्रकट हुआ, जैसा कि तालिका-2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.10: अनुदान में पिछले वर्षों की तुलना में व्यय में प्रमुख विचलन की प्रवृत्ति

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
		2016-17	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
1.	2030-01-101-03	107.81	309.06	33.98	201.25	-275.08	186.67	-89.01
2.	2040-00-800-05	11,280.92	10,417.77	3,977.60	-863.15	-6440.17	-7.65	-61.82
3.	2054-00-003-03	20.00	140.00	200.00	120.00	60.00	600.00	42.86
4.	2071-01-104-03	36,980.60	462.42	4,8321.04	-36518.18	47858.62	-98.75	10349.60
5.	2071-01-111-03	296.56	396.45	1,023.09	99.89	626.64	33.68	158.06
6.	3454-02-001-01	182.99	120.64	63.02	-62.35	-57.62	-34.07	-47.76
7.	3454-02-001-03	1,351.35	1,580.58	1,695.92	229.23	115.34	16.96	7.30
8.	3604-01-191-01	4,834.15	5,925.93	4,547.44	1091.78	-1378.49	22.58	-23.26
9.	3604-01-191-03	9,772.23	2,2982.93	24,504.65	13210.70	1521.72	135.19	6.62
10.	3604-01-192-01	3,723.82	7,842.28	4,945.67	4118.46	-2896.61	110.60	-36.94
11.	3604-01-193-03	7,423.25	6,924.26	6,346.99	-498.99	-577.27	-6.72	-8.34

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

**ब. पूँजीगत व्यय**

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में, 47.88 प्रतिशत की वृद्धि एवं वर्ष 2018-19 के दौरान 32.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जैसा कि निम्न तालिका-2.11 में सारांशित है।

तालिका-2.11: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	आधिक्य	प्रतिशत में	
							आधिक्य	व्यय में विचलन
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय, 4515-अन्य ग्रामीण विकास पर पूँजीगत परिव्यय, 6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, 7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम आदि एवं 7615-विविध ऋण	2016-17	2,120.36	306.00	2,426.36	5,302.28	(+) 2,875.92	118.53	--
	2017-18	3,087.23	5.00	3,092.23	7,841.21	(+) 4,748.98	153.58	47.88
	2018-19	3,404.13	106.00	3,510.13	10,397.93	(+) 6,887.80	196.23	32.61

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से यह सिद्ध होता है कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में निरंतर बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ पाँच करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनुपयोगी सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय (₹ 7,841.21 करोड़) कुल प्रावधान से कहीं अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल प्रावधान ₹ 106 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान के बावजूद अपर्याप्त था क्योंकि वास्तविक व्यय (₹ 10,397.93 करोड़) कुल प्रावधान से 196.23 प्रतिशत बढ़ गया था।

**स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना**

उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान वर्ष के अंत तक निम्नलिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत समग्र प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया।

**तालिका-2.12: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान समग्र प्रावधान के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	बचत
1.	2016-17	2049-03-104-06	550.00	0.00	550.00
2.		2049-03-104-05	330.00	0.00	330.00
3.		2071-01-101-06	1,100.00	0.00	1,100.00
4.		2071-01-101-07	100.00	0.00	100.00
5.		2071-01-102-04	5,000.00	0.00	5,000.00
6.	2017-18	2049-01-101-27	1,812.20	0.00	1,812.20
7.		2052-00-090-16	33.42	0.00	33.42
8.		2071-01-101-06	1,200.00	150.00	1,350.00
9.		2071-01-101-07	15,000.00	0.00	15,000.00
10.		2071-01-102-03	18,060.00	27,800.00	45,860.00
11.		2048-00-797-03	20,000.00	0.00	20,000.00
12.		2049-01-101-17	3,038.97	0.00	3,038.97
13.		2049-01-200-11	100.00	0.00	100.00
14.	2018-19	2048-00-797-03	5,000.00	15,000.00	20,000.00
15.		2048-00-797-04	1,500.00	5,000.00	6,500.00
16.		2049-01-200-11	100.00	0.00	100.00
17.		2049-03-104-05	330.00	0.00	330.00
18.		2071-01-101-06	1,600.00	0.00	1,600.00
19.		3451-00-092-07	50.00	0.00	50.00
20.		3604-02-196-04	1,661.00	0.00	1,661.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

**द. प्राप्तियाँ**

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष 0030, 0040, 0043, 0045, 0047, 0049 और 0071 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-2.13 में सारांशित है।

**तालिका-2.13: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0030, 0040, 0043, 0045, 0047, 0049 और 0071 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	संशोधित अनुमान से प्रतिशत विचलन
2016-17	10,018.67	8,310.59	8,373.35	62.76	0.76
2017-18	4,562.27	4,540.73	5,205.65	664.92	14.64
2018-19	5,445.32	5,645.32	5,346.69	-298.63	-5.29

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

तथापि, कुछ लेखा शीर्षों की नमूना जाँच में पिछले वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों की प्राप्तियों के अनुमान में कमी/आधिक्य पायी गयी जैसा कि तालिका-2.14 में दिया गया है।

तालिका-2.14: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान प्राप्तियों की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	पुनरिक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरिक्षित अनुमान से प्रतिशत विचलन
1.	0030-01-101	2016-17	1.65	8.22	8.08	-0.14	-1.70
		2017-18	8.00	8.00	18.31	10.31	128.88
		2018-19	00.00	00.00	6.18	6.18	0.00
2.	0030-01-800	2016-17	100.00	2.34	00.00	-2.34	-100.00
		2017-18	50.00	40.00	2.20	-37.8	-94.50
		2018-19	60.00	60.00	1.94	-58.06	-96.77
3.	0030-02-102	2016-17	798.15	594.09	591.90	-2.19	-0.37
		2017-18	714.00	714.00	662.77	-51.23	-7.18
		2018-19	620.00	620.00	776.09	156.09	25.18
4.	0030-02-103	2016-17	1.27	1.14	1.14	0	0.00
		2017-18	1.65	1.65	2.12	0.47	28.48
		2018-19	1.65	1.65	3.53	1.88	113.94
5.	0030-02-800	2016-17	29.07	0.75	0.88	0.13	17.33
		2017-18	13.04	10.04	1.00	-9.04	-90.04
		2018-19	150.04	150.04	00.00	-150.04	-100.00
6.	0030-03-104	2016-17	100.00	170.91	170.91	0	0.00
		2017-18	200.00	200.00	190.73	-9.27	-4.64
		2018-19	250.00	250.00	222.60	-27.4	-10.96
7.	0030-03-800	2016-17	170.00	2.32-	2.32	0	0.00
		2017-18	110.02	100.02	1.06	-98.96	-98.94
		2018-19	110.02	110.02	0.82	-109.2	-99.25
8.	0040-00-101	2016-17	0.0001	786.73	668.14	-118.59	-15.07
		2017-18	308.00	308.00	126.92	-181.08	-58.79
		2018-19	100.00	100.00	18.94	-81.06	-81.06
9.	0040-00-102	2016-17	5,703.30	6,320.33	6,474.57	154.24	2.44
		2017-18	1,874.00	1,874.00	3,572.38	1,698.38	90.63
		2018-19	200.00	200.00	43.67	-156.33	-78.17
10.	0040-00-103	2016-17	1,600.00	14.00	0.70	-13.3	-95.00
		2017-18	0.0001	0.0001	0.09	0.0899	89,900.00
		2018-19	1,827.00	1,827.00	1,820.12	-6.88	-0.38
11.	0040-00-106	2016-17	20.01	10.35	10.35	0	0.00
		2017-18	20.00	20.00	3.30	-16.7	-83.50
		2018-19	2.00	2.00	0.15	-1.85	-92.50
12.	0043-00-103	2016-17	0.0001	.006	00.00	-0.006	-100.00
		2017-18	0.007	0.007	0.01	0.003	42.86
		2018-19	0.005	0.005	0.008	0.003	60.00
13.	0045-00-101	2016-17	29.15	38.00	37.51	-0.49	-1.29
		2017-18	40.00	40.00	29.20	-10.80	-27.00
		2018-19	0.0001	0.0001	0.28	0.2799	2,79,900.00
14.	0045-00-102	2016-17	0.0002	0.05	0.64	0.59	1,180.00
		2017-18	0.0002	0.0002	0.02	0.0198	9,900.00
		2018-19	0.0002	0.0002	0.002	0.00	0.00
15.	0045-00-110	2016-17	350.00	88.17	88.17	0	0.00
		2017-18	300.00	300.00	134.30	-165.70	-55.23
		2018-19	300.00	300.00	167.60	-132.40	-44.13

16.	0045-00-111	2016-17	0.007	0.008	0.008	0	0.00
		2017-18	0.008	0.008	0.01	0.002	25.00
		2018-19	0.0001	0.0001	0.0024	0.0023	2,300.00
17.	0045-00-112	2016-17	0.55	0.33	0.21	-0.12	-36.36
		2017-18	0.50	0.50	0.18	-0.32	-64.00
		2018-19	0.0001	0.0001	00.00	-0.0001	-100.00
18.	0047-01-800	2016-17	0.006	0.0001	0.001	0.0009	900.00
		2017-18	0.006	0.006	0.01	0.004	66.67
		2018-19	0.03	0.03	0.07	0.04	133.33
19.	0049-04-103	2016-17	10.20	0.07	47.53	47.46	67,800.00
		2017-18	0.10	0.10	71.26	71.16	71,160.00
		2018-19	0.10	0.10	44.07	43.97	43,970.00
20.	0049-04-110	2016-17	60.00	11.00	24.06	13.06	118.73
		2017-18	12.00	12.00	14.05	2.05	17.08
		2018-19	12.00	12.00	10.49	-1.51	-12.58
21.	0049-04-800	2016-17	26.40	36.56	0.17	-36.39	-99.54
		2017-18	40.15	41.61	0.08	-41.53	-99.81
		2018-19	45.00	45.00	1.13	-43.87	-97.49
22.	0071-01-800	2016-17	608.30	3.00	0.1	-2.9	-96.67
		2017-18	503.30	503.30	00.00	-503.3	-100.00
		2018-19	1,303.30	1,503.30	1,656.75	153.45	10.21

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

### अनुदान संख्या 13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास

#### अ. राजस्व व्यय

कुल राजस्व व्यय पिछले वर्षों की तुलना में 2017-18 के दौरान 21.57 प्रतिशत की कमी के सापेक्ष वर्ष 2018-19 के दौरान 3.87 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.15 से सारांशित है।

तालिका-2.15: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)	व्यय में वृद्धि (प्रतिशत में)
2515-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2016-17	1,083.09	78.01	1,161.10	744.80	416.29	35.85	-
	2017-18	651.69	103.72	755.41	584.16	171.25	22.67	(-) 21.57
2517-शहरी विकास	2018-19	588.57	116.50	705.07	561.53	143.54	20.36	(-) 3.87

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से सिद्ध होता है कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक लगातार बचत हुई है। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 78.01 करोड़ का अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान किया गया था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 1,083.09 करोड़) वास्तविक व्यय (₹ 744.80 करोड़) से कहीं अधिक था इसी तरह वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 103.72 करोड़ का अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान किया गया था। क्योंकि मूल आवंटन (₹ 651.69 करोड़) वास्तविक व्यय (₹ 584.16 करोड़) से कहीं अधिक था। वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 116.50 करोड़ का अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान किया गया था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 588.57 करोड़) वास्तविक व्यय (₹ 561.53 करोड़) से कहीं अधिक था।

कुछ लेखा शीर्षों की नमूना जाँच में (किसी भी वर्ष में 50 लाख से अधिक) पिछले वर्षों की तुलना में व्यय की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विचलन प्रकट हुआ, जैसा कि निम्न तालिका-2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.16: अनुदान में पिछले वर्षों से व्यय में उल्लेखनीय विचलन की प्रवृत्ति

लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
2215-01-101-05	15,792.19	19,789.10	24,982.63	3,996.91	5,193.53	25.31	26.24
2215-01-102-01	7,754.27	2,669.39	394.07	-5,084.88	-2,275.32	-65.58	-85.24
2215-01-102-07	1,330.91	1,105.00	4,002.62	-225.91	2,897.62	-16.97	262.23
2215-01-190-03	4,450.00	2,500.00	3,000.00	-1,950.00	500.00	-43.82	20.00
2215-01-190-05	3,000.00	9,680.00	5,200.00	6,680.00	-4,480.00	222.67	-46.28
2215-02-106-03	699.33	600.00	1,500.00	-99.33	900.00	-14.20	150.00
2217-03-001-06	381.14	475.61	526.68	94.47	51.07	24.79	10.74
2217-03-191-03	5,022.91	872.30	25.97	-4,150.61	-846.33	-82.63	-97.02
2217-03-800-01	14,331.36	436.12	1,617.13	-13,895.24	1,181.01	-96.96	270.80

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

**ब. पूँजीगत व्यय**

कुल पूँजीगत व्यय, पिछले वर्षों की तुलना में, वर्ष 2017-18 के दौरान 105.73 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2018-19 के दौरान 6.22 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.17 में सारांशित है।

तालिका-2.17: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	व्यय में विचलन
4215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय, 4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय और 6217- शहरी विकास के लिए ऋण	2016-17	378.79	105.53	484.32	309.87	174.45	36.02	-
	2017-18	642.81	188.19	831.00	637.51	193.49	23.28	(+) 105.73
	2018-19	1,047.47	67.70	1,115.17	597.86	517.31	46.39	(-) 6.22

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पूँजीगत शीर्ष की अनुदान संख्या 13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 174.45 करोड़ (36.02 प्रतिशत), ₹ 193.49 करोड़ (23.28 प्रतिशत) और ₹ 517.31 करोड़ (46.39 प्रतिशत) की निरंतर बचत हुई। आगे इन सभी तीन वर्षों में अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान से कम था।

**स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना**

कुछ उप-लेखा शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान वर्ष के अंत तक समग्र प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया जैसा कि तालिका संख्या-2.18 में दिया गया है।

तालिका-2.18: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	योग (₹ लाख में)
1.	2016-17	2217-03-191-01	2,370.00	00.00	2,370.00
2.		2217-03-191-04	100.00	00.00	100.00
3.		2217-03-191-97	1,400.00	00.00	1,400.00
4.		2217-03-800-13	300.00	00.00	300.00
5.	2017-18	2215-01-052-02	100.00	00.00	100.00
6.		2217-03-800-16	00.00	200.00	200.00
8.		2217-05-051-01	2,500.00	00.00	2,500.00
9.		2217-80-800-09	100.00	00.00	100.00
10.	2018-19	2215-01-101-01	119.01	00.00	119.01
11.		2217-03-800-12	500.00	00.00	500.00
12.		2217-03-800-17	1,500.00	00.00	1,500.00
13.		2217-03-800-19	200.00	00.00	200.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

#### द. प्राप्तियाँ

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान, अनुदान के मुख्य शीर्ष 0215, 0216 एवं 0217 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-2.19 में सारांशित है:-

तालिका-2.19: अनुदान के मुख्यशीर्ष 0215, 0216 एवं 0217 के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	पुनरिक्तित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरिक्तित अनुमान से विचलन (प्रतिशत में)
2016-17	13.10	15.09	15.09	00.00	00.00
2017-18	14.75	15.75	17.12	1.37	8.70
2018-19	19.55	11.35	11.33	(-) 0.02	(-) 0.18

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

तथापि, कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में पिछले वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के अनुमान में कमी/आधिक्य पायी गयी जैसा कि तालिका-2.20 में दिया गया है।

तालिका-2.20: प्राप्तियों की स्थिति, लघु शीर्ष 0215, 0216 तथा 0217

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	पुनरिक्तित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरिक्तित अनुमान से प्रतिशत विचलन
1.	0215-01-103	2016-17	4.40	7.36	7.36	00.00	00.00
		2017-18	7.50	5.50	8.35	2.85	51.82
		2018-19	8.00	0.10	0.001	(-) 0.099	-99.00
2.	0216-01-106	2016-17	4.30	4.46	4.46	00.00	00.00
		2017-18	4.00	7.00	7.39	0.39	5.57
		2018-19	8.00	10.00	10.11	0.11	1.10
3.	0217-03-800	2016-17	4.40	3.27	3.27	00.00	00.00
		2017-18	3.25	3.25	1.38	-1.87	-57.54
		2018-19	3.55	1.25	1.22	-0.03	-2.40

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा पुनरीक्षित अनुमानों में उल्लेखनीय विचलन थे, जो कि अनुमानों में कमियों को इंगित करता है।

## 2.5 कोषागारों के निरीक्षण के परिणाम

राज्य में 90 इकाईयाँ थीं जिनमें 19 कोषागार तथा 70 उपकोषागार और देहरादून में एक साइबर कोषागार था, इसके अलावा नई दिल्ली में एक वेतन एवं लेखा कार्यालय था। वर्ष 2018-19 में 54 इकाईयाँ<sup>4</sup> के निरीक्षण में वृहत अनियमितताएँ पायी गईं जिन्हें तालिका-2.21 में समाहित किया गया है।

तालिका-2.21: कोषागारों के निरीक्षण के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)
1.	टी आर 24 द्वारा आहरित गई असमायोजित धनराशि	0.20
2.	पी एल ए खातों से धन का अनियंत्रित आहरण	27.14
3.	वित्तीय वर्ष 2016-17 में पेंशन धारकों से टी डी एस कटौती न करना	0.14

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा कोषागारों पर की गई वार्षिक समीक्षा 2018-19।

## 2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना, एक अग्रदाय के रूप में, उत्तराखण्ड आकस्मिक निधि अधिनियम, 2001 (2001 के अधिनियम सं.2) के अन्तर्गत की गयी है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और तात्कालिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने हेतु दिया जाना चाहिए, जिन्हें विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित रखना अवांछनीय होगा। वर्ष 2018-19 के अंत तक ₹ 500 करोड़ का आकस्मिक निधि का संग्रह कायम रहा। निधि से किसी भी प्रकार के अग्रिम की निकासी की छतिपूर्ति उसी वित्तीय वर्ष के अंदर राज्य की समेकित निधि से करनी होती है। तथापि, वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 107.08 करोड़ के अग्रिम आकस्मिकता निधि से आहरण किये गये जो 31 मार्च 2019 तक सेवाशीर्ष से आकस्मिकता निधि में उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 की धारा 5 के अनुसार प्रतिपूर्ति किये जाने शेष थे। अगस्त 2019 तक, वर्ष 2018-19 के लिए अक्षतिपूर्ण आकस्मिकता निधि की स्थिति परिशिष्ट-2.12 में दर्शायी गयी है। परिशिष्ट-2.13 में वर्ष 2017-18 की आकस्मिकता निधि की अक्षतिपूर्ण राशि की स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका-2.22: आकस्मिकता निधि से व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आकस्मिकता निधि अग्रिम	प्राकृतिक आपदा पर व्यय	प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त अन्य व्यय		प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त व्यय की प्रतिशतता
			पूँजीगत व्यय	अन्य पूँजीगत व्यय	
2014-15	194.15	10.00	58.38	125.77	94.85
2015-16	385.46	00.00	35.04	350.42	100.00
2016-17	227.70	1.77	15.46	210.47	99.22
2017-18	231.50	4.87	161.52	65.11	97.90
2018-19	107.08	12.50	2.00	92.58	88.33
<b>योग</b>	<b>1,145.89</b>	<b>29.14</b>	<b>272.40</b>	<b>844.35</b>	

<sup>4</sup> 19 कोषागार और 32 उपकोषागार, एक साइबर कोषागार, एक वेतन एवं लेखा कार्यालय एवं एक निदेशक कोषागार।



वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा पर, जो कि आकस्मिक प्रकृति का है, आकस्मिकता निधि के शून्य से 11.67 प्रतिशत के मध्य व्यय किया। हालाँकि, सरकार ने 2014-15 से 2018-19 की अवधि में पूँजीगत उद्देश्यों के लिए आकस्मिकता निधि से ₹ 272.40 करोड़ (23.77 प्रतिशत) अग्रिमों को बहाल किया।

वर्ष 2018-19 के दौरान आकस्मिकता निधि से मिले पूँजीगत व्यय के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि निधि से ऐसे कार्यों पर व्यय किया गया जो प्राकृतिक आपदा से संबन्धित नहीं थे जैसे कि अस्थाई बैरक, स्नानागार एवं रसोई का निर्माण (₹ दो करोड़); गन्ना मिलों को ऋण (₹10 करोड़); “राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” योजना (₹ 18.69 करोड़); अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु प्रबंध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम कार्यालय को अनुदान (₹ 16 करोड़); गन्ने का क्रय करने हेतु बकाए का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को अनुदान (₹ 12.16 करोड़); अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 7.09 करोड़); जिला पुलिस के सुदृढीकरण हेतु (₹ 10.35 करोड़); सड़क परिवहन के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता (₹ 9.63 करोड़); राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन हेतु (₹ 5.56 करोड़); एवं अन्य<sup>5</sup> (₹ 3.10 करोड़)।

उपरोक्त व्यय आकस्मिकता निधि के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन था।

### 2.7 (अ) सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी सी सी) बिलों का लम्बित प्रस्तुतिकरण

वित्तीय नियम के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक ए सी बिल में यह सत्यापित करना होता है कि चालू माह की पहली तिथि से पूर्व के उसके द्वारा आहरित सभी आकस्मिक प्रभारों के विस्तृत बिल, सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर करने और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिये गये हैं। मार्च 2019 के अन्त तक ₹ 0.56 करोड़ के विस्तृत बिल, जो 10 ए सी बिलों पर आहरित किए गए थे, का निस्तारण अवशेष था। वर्षवार विवरण तालिका-2.23 में दिया गया है।

तालिका-2.23: सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का लम्बित प्रस्तुतिकरण (मार्च 2019 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया डी सी बिल	
	संख्या	राशि
2017-18 तक	शून्य	...
2018-19	10	0.56
<b>योग</b>	<b>10</b>	<b>0.56</b>


स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड से संकलित सूचना।

<sup>5</sup> लघु कृषि (₹ 1.69 करोड़), ग्रामीण एवं लघु उद्योग (₹ 0.81 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 0.02 करोड़), शहरी विकास (₹ 0.14 करोड़), कृषि-पालन (₹ 0.25 करोड़), अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (₹ 0.18 करोड़)।

₹ 0.56 करोड़ के कुल बकाया डी सी सी बिलों में से, ₹ 0.29 करोड़ के चार बकाया डी सी सी बिल निर्वाचन विभाग से संबंधित हैं। वर्ष 2018-19 तक की अवधि के लिए विभाग/कार्यालयवार बकाया डी सी सी बिलों की स्थिति **परिशिष्ट-2.14** में दी गई है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान ए सी बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का विवरण निम्न **चार्ट-2.6** में दिया गया है:

**चार्ट-2.6: बकाया डी सी बिल**



ए सी बिलों के सापेक्ष बकाया विस्तृत बिलों में पर्याप्त कमी थी और ₹ 0.56 करोड़ की धनराशि के केवल 10 डी सी सी बिल मार्च 2019 के अंत तक बकाया थे।

### **2.7(ब) असमाधानित व्यय**

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण एवं इसे बजट आवंटनों के अन्तर्गत सीमित रखने तथा उनके लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को सशक्त बनाने हेतु उत्तराखण्ड बजट मैनुअल 2012 का प्रस्तर 109 निर्धारित करता है कि उनके अभिलेखों में दर्ज व्यय का समाधान उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों में दर्ज व्यय से किया जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से विभाग के आँकड़ों के असमाधान को इंगित किया जाता रहा है फिर भी इस सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक वर्ष 2018-19 के दौरान भी निरंतर जारी रहीं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु नि अ) में से 55 मु नि अ (88.71 प्रतिशत) द्वारा ₹ 38,380.44 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 36,524.41 करोड़ (95.16 प्रतिशत) का पूर्णतः समाधान किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान छः नियंत्रण अधिकारियों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक के प्रकरण जिनमें ₹ 1,140.61 करोड़ (कुल व्यय का 2.97 प्रतिशत) असमाधानित रहे, का विवरण **तालिका-2.24** में दिया गया है।

तालिका-2.24: नियंत्रण अधिकारियों की सूची जहाँ 2018-19 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पूर्णतः असमाधानित रही

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नियंत्रण अधिकारी	राशि जिसका समाधान नहीं किया गया
1.	कार्यालय मुख्य राजस्व आयुक्त, रिंग रोड लाडपुर देहरादून	122.50
2.	कार्यालय प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन	76.17
3.	कार्यालय महानिदेशक सामान्य चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	421.55
4.	कार्यालय सचिव आवास एवं शहरी विकास	147.10
5.	कार्यालय वित्त नियंत्रक, गोविंद बल्लभ.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	119.68
6.	कार्यालय मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग	253.61
<b>योग</b>		<b>1,140.61</b>

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड से संकलित आँकड़े।

उपर्युक्त विभागों के मु नि अ को महालेखाकार (ले एवं ह) द्वारा निर्धारित किए गए समाशोधन करने में विफल रहने के कारणों को अवगत कराने के लिए कहा गया था। हालाँकि अब तक (दिसम्बर 2019) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लेखों के समाधान न करने के फलस्वरूप निरस्त किए गए उप मुख्य शीर्षों का कुछ नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा चलन में जारी है।


सरकार को गबन तथा निधियों के दुरुपयोग की संभावनाओं के निवारण हेतु संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखाओं के समाधान को सुनिश्चित करना चाहिए।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सभी प्रशासनिक विभागों/मु नि अ/विभागों के प्रमुखों को महालेखाकार (ले एवं हक) उत्तराखण्ड के साथ निर्धारित समय पर मिलान के लिए एक सरकारी आदेश जारी करने के लिए सहमति दी गयी।

## 2.8 बजट प्रक्रिया

बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट निम्न है:

चार्ट-2.7: बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट



स्रोत: बजट मैनुअल के प्रस्तर 210 पर आधारित।

विभागीय अनुमान एवं जिले स्तर पर तैयार किए गए अनुमानों दोनों को उन अधिकारियों को बहुत सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए जिनको इन्हें प्रस्तुत करना होता है, ताकि अनुमान न तो अधिक और न ही कम हो, जितना संभव हो उतने परिशुद्ध हों।

लेखापरीक्षा विश्लेषण दर्शाता है कि बजट की तैयारी में विभिन्न दोष थे जो विधायी नियंत्रण में अपनी भूमिका को कमजोर करते हैं तथा सरकार के लिए धन के प्रवाह के अनुश्रवण हेतु एक उपकरण के रूप में हैं।

### 2.8.1 बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ

राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अभिलेखों में वर्गीकरण संबन्धित निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं।

क्र. सं.	बजट अभिलेखों में वर्गीकरण	लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्षों के आधार पर वर्गीकरण
1.	मुख्य शीर्ष-2070-104-सतर्कता	लघु शीर्ष 104-सतर्कता मौजूद नहीं है
2.	मुख्य शीर्ष-2202-02-105-अनौपचारिक शिक्षा	मुख्य शीर्ष-2202-02-103-अनौपचारिक शिक्षा
3.	मुख्य शीर्ष-2202-05-107-छात्रवृत्तियाँ	उप-मुख्य शीर्ष-05 के अंतर्गत लघु शीर्ष 107- छात्रवृत्तियाँ मौजूद नहीं है
4.	मुख्य शीर्ष-2202-80-107-प्रशिक्षण	मुख्य शीर्ष-2202-80-107-छात्रवृत्ति
5.	मुख्य शीर्ष-2215-01-107-सीवरैज सेवाएँ	मुख्य शीर्ष-2215-01-107- सीवरैज सेवाएँ मौजूद नहीं हैं
6.	मुख्य शीर्ष-4215-02-105-सीवरैज सेवाएँ	मुख्य शीर्ष-4215-02-105-सीवरैज सेवाएँ मौजूद नहीं हैं
7.	मुख्य शीर्ष-2501-01-003-प्रशिक्षण, 800-अन्य व्यय	मुख्य शीर्ष-2501-01 उप-मुख्य शीर्ष मौजूद नहीं है
8.	मुख्य शीर्ष-2701-16-102-रखरखाव एवं मरम्मत	मुख्य शीर्ष-2701-16-101-रखरखाव एवं मरम्मत
9.	मुख्य शीर्ष-4702-00-051-निर्माण	मुख्य शीर्ष-4702-00-051-निर्माण मौजूद नहीं है
10.	मुख्य शीर्ष 4711-01-051-निर्माण	मुख्य शीर्ष-4711-01-051-निर्माण.मौजूद नहीं है
11.	मुख्य शीर्ष-2810-01, 02, 03 एवं 60 प्रदान किए गए हैं	मुख्य शीर्ष-2810-इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कोई उप-मुख्य शीर्ष मौजूद नहीं है
12.	मुख्य शीर्ष-2059-80-102- रखरखाव एवं मरम्मत	मुख्य शीर्ष-2059-80-102-रखरखाव एवं मरम्मत मौजूद नहीं है, बजाय लघु शीर्ष 053- रखरखाव एवं मरम्मत प्रदान किया गया है
13.	मुख्य शीर्ष-2216-01-700-अन्य आवास	मुख्य शीर्ष-2216-01-उप-मुख्य शीर्ष मौजूद नहीं है

इसी तरह की कमियों का उल्लेख राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2017-18) में भी किया गया था। हालाँकि, सरकार द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया गया था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि वर्ष 2020-21 से सही प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।

## 2.9 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 48,037.49 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोगों के सापेक्ष ₹ 1,358.35 करोड़ का सम्पूर्ण आधिक्य हुआ। पूँजीगत दत्तमत के अंतर्गत दो अनुदानों और पूँजीकृत भारत अनुभाग के अंतर्गत एक विनियोग में ₹ 8,464.98 करोड़ का आधिक्य था एवं 31 अनुदानों एवं आठ विनियोगों में ₹ 7,106.62 करोड़ की बचत हुई। ₹ 8,464.98 करोड़ के आधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किए जाने की आवश्यकता है। बड़ी बचत बजट अनुमानों में कमी को इंगित करता है। 42 प्रकरणों में ₹ 1,681.38 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान

अनावश्यक सिद्ध हुआ। 124 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन तर्कसंगत नहीं था जिसके परिणामस्वरूप या तो बचत हुई अथवा प्रावधानों में आधिक्य हुआ। विभागों ने वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस में ₹ 1,044.55 करोड़ अभ्यर्पित किये जिससे इन निधियों को अन्य विकास उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। एक प्रकरण में ₹ 33.78 करोड़ वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित किये गये।

**राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचत/आधिक्य का अनुमान एवं अभ्यर्पण कर सकती है ताकि उनका अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी उपयोग किया जा सके। आधिक्य व्यय की संभावना से बचने के लिए यह पर्याप्त निधि प्राप्त कर सकता है।**

वर्ष 2005-06 से 2017-18 तक की अवधि से संबन्धित आधिक्य व्यय की धनराशि ₹ 27,194.15 करोड़ को अभी तक राज्य विधानमण्डल से नियमित नहीं किया गया है।

**राज्य सरकार अपने व्यय बजट की योजना को अधिक गहन तरीके का बना सकती है ताकि अनुमोदित अनुदानों और विनियोगों से होने वाले आधिक्य से बचें।**

आकस्मिकता निधि के अंतर्गत ₹ 107.08 करोड़ की एक महत्वपूर्ण धनराशि को स्वीकृत किया गया, जो 31 मार्च 2019 तक अप्रतिपूर्ति रही।

**सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आकस्मिकता निधि से अग्रिम का उपयोग केवल उस खर्च को पूरा करने के लिए किया जाए जो आकस्मिक प्रकृति का हो तथा निधि से आहरित की गई राशि की प्रतिपूर्ति भी समय पर हो।**

कोषागारों के निरीक्षण में भी उनकी कार्यप्रणाली में कमियाँ परिलक्षित हुईं। छः नियन्त्रण अधिकारियों ने अपने व्ययों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड से मिलान नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार की बजट प्रक्रिया में लेखाशीर्षों के वर्गीकरण में पाई गयी कमियों को दूर नहीं किया जा सका।

**राज्य सरकार नियंत्रण अधिकारियों को अपने व्ययों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से समयोचित/अवधिवार समाधान करने हेतु निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।**

**अध्याय-3**  
**वित्तीय रिपोर्टिंग**



## अध्याय-3

### वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचनाओं सहित अच्छी आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, कार्यविधि तथा अनुदेशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसी अनुपालनों की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयपरक गुणवत्ता, सुशासन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अनुपालन एवं नियन्त्रणों पर रिपोर्टिंग, यदि प्रभावशाली और क्रियात्मक हो तो, रणनीतिक आयोजना, निर्णयन तथा शेयर धारकों के उत्तरदायित्व जैसे प्रबंधात्मक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में राज्य सरकार को सहायता पहुँचाते हैं। यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधि एवं अनुदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई अनुपालन की स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

#### 3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना

वित्तीय नियमावली में उपबंध है कि विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदत्त अनुदानों के लिए, विभागीय अधिकारियों द्वारा, अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये जाने चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात उन्हें अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर, संस्वीकृति तिथि से 12 माहों के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रप्रेषित किया जाना चाहिए। मार्च 2019 तक ₹353.34 करोड़ की धनराशि के कुल 119 उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3.1** में दर्शाया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतिकरण के सम्बंध में अवधि-वार स्थिति **तालिका-3.1** में सारांशित है।

तालिका-3.1: मार्च 2019 तक उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अवधि-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
1.	2016-17 तक	01	0.93
2.	2017-18	24	36.73
3.	2018-19 <sup>#</sup>	94	315.68
कुल		119	353.34

*# जहाँ स्वीकृती आदेश अन्यथा निर्दिष्ट करता है के सिवाय, 2018-19 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र केवल 2019-20 में देय होते हैं।*

*स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखे 2018-19।*

विभागीय अधिकारियों द्वारा मार्च 2018 तक विशिष्ट उद्देश्यों हेतु दिये गये ₹ 37.66 करोड़ के अनुदानों के संबंध में 25 उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च 2019 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। तथापि, सितम्बर 2019 के अंत तक 25 उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से ₹ 5.87 करोड़ के नौ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके थे। पुनः, वर्ष 2019-20 में देय 94 उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से सितम्बर 2019



के अंत तक ₹ 120.98 करोड़ के 20 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं। सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों से संबन्धित हैं।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभिप्रेत उद्देश्य पर ही अनुदान का उपयोग किया है, जिस हेतु उनकी स्वीकृति दी गयी थी। उपयोगिता प्रमाणपत्रों का लम्बित रहना, निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा हुआ था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाणपत्रों के समय पर प्रस्तुतिकरण के लिए शासन आदेश जारी करने को सहमत हुई।

### 3.2 सरकार द्वारा मूलतः वित्त पोषित संस्थानों से संबंधित सूचनाओं की अप्राप्ति

नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा हेतु चिन्हित किये जाने वाले संस्थानों के सम्बंध में सरकार/विभागाध्यक्षों को ऐसे विभिन्न संस्थानों को प्रतिवर्ष दी गयी वित्तीय सहायता, उद्देश्य जिनके लिए सहायता दी गयी हो तथा संस्थान के कुल व्यय का विस्तृत विवरण, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेखा एवं लेखापरीक्षा अधिनियम, 2007 उपलब्ध कराते हैं कि सरकार एवं विभागाध्यक्ष जो अनुदान एवं/अथवा ऋण, निकायों एवं प्राधिकारियों को स्वीकृत करते हैं, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्त तक ऐसे निकायों एवं प्राधिकारियों के जिन्हे पिछले वर्ष ₹ 10 लाख या उससे अधिक अनुदान एवं ऋण प्रदत्त किया हो, का विवरण (अ) सहायतित धनराशि (ब) उद्देश्य जिनके लिए सहायता दी गयी हो और (स) संस्था अथवा प्राधिकरण के कुल व्यय को दर्शाते हुये प्रस्तुत करेंगे।

तथापि, सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों से संबन्धित कुल ₹ 10.00 लाख अथवा उससे अधिक के अनुदानों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी है। तथापि, 15 निकायों के संबंध में सूचना इस कार्यालय में सीधे इकाइयों से प्राप्त हुई जिनके पक्ष में वित्त सचिव द्वारा अनुदान स्वीकृत किए गए थे। सूचना की अनुपलब्धता लेखापरीक्षा एवं लेखा नियमावली, 2007 का उल्लंघन है। परिणामतः, लेखापरीक्षा, स्वीकृत अनुदान की उपयोगिता की प्रवृत्ति के संबन्ध में विधायिका/सरकार को आश्वासन नहीं दे सका।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान राज्य सरकार ने उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुपालन का आश्वासन दिया।

### 3.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

अर्ध वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ करने वाले कुछ सरकारी विभागों के तीन विभागीय उपक्रमों को प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा खाले तैयार करने की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय

संचालन के कार्य परिणामों को दर्शाते हैं ताकि सरकार उनके कामकाज का अनुमान कर सके। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिम वार्षिक खाते, उनके व्यवसाय के संचालन में उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य और दक्षता को दर्शाते हैं। वार्षिक लेखाओं को समय पर अन्तिम रूप न दिये जाने के अभाव में, सरकारी निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधानमण्डल की संवीक्षा के अन्तर्गत नहीं आ पाते हैं। परिणामतः, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने व कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हों तो वे समय पर नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त, सभी तरह के विलम्ब से, व्यवस्था में हर समय धोखाधड़ी व सार्वजनिक धन के स्राव की सम्भावना भी बनी रहती है।

सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उपक्रम ऐसे लेखे तैयार करें और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत करें। मार्च 2019 तक, प्रोफार्मा लेखाओं को तैयार करने और सरकार द्वारा किए गए निवेश में बकाया की विभागावार स्थिति **परिशिष्ट-3.2** में दी गई है। लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब से, वित्तीय अनियमितताओं का पता न चलने का जोखिम रहता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार, खाद्य और सिंचाई के प्रशासनिक विभाग को एक पत्र जारी करने के लिए सहमत हुई ताकि अपेक्षित प्रारूप में खातों को अंतिम रूप दिया जा सके और इन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में भेजा जा सके।

### 3.4 लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ तथा ‘अन्य व्यय’ के अधीन इन्द्राज

विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800-‘अन्य व्यय’ एवं ‘अन्य प्राप्तियाँ’ का संचालन केवल उस समय किया जाये जब खाता चार्ट में उचित लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाये क्योंकि इससे खाते अपारदर्शी होते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व लेखाओं में 29 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत लघु शीर्ष-800 ‘अन्य व्यय’ के अधीन ₹ 507.85 करोड़ की राशि, इन मुख्य शीर्षों के व्यय (₹ 19,424.29 करोड़) का 2.61 प्रतिशत एवं कुल राजस्व व्यय (₹ 32,196.02 करोड़) का 1.58 प्रतिशत थी, इन्द्राज की गयी थी। इसी प्रकार, लेखाओं में 34 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत लघु शीर्ष-800 ‘अन्य प्राप्तियाँ’ के अधीन ₹ 2,248.71 करोड़ की राशि, इन मुख्य शीर्षों की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 7,076.45 करोड़) का 31.78 प्रतिशत एवं कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 31,216.44 करोड़) का 7.20 प्रतिशत थी, इन्द्राज की गयी थी। दृष्टान्त, जिनमें प्राप्ति और व्यय का पर्याप्त भाग (20 प्रतिशत अथवा अधिक एवं ₹ पाँच करोड़ से अधिक) लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ और लघु शीर्ष 800-‘अन्य व्यय’ में वर्गीकृत किया गया था, को **तालिका-3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका-3.2: लघु शीर्ष-‘800’ अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अधीन इंद्राज की गयी पर्याप्त धनराशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	“800-अन्य प्राप्तियाँ”				“800-अन्य व्यय”			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अधीन इंद्राज	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अधीन इंद्राज	व्यय की प्रतिशतता
1.	0029-भू राजस्व	34.10	9.56	28.04	2040-बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	41.13	39.78	96.72
2.	0059-लोक निर्माण कार्य	46.49	17.22	37.04	2217-शहरी विकास	137.91	29.50	21.39
3.	0071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बंध में अंशदान एवं वसूलियाँ	1,714.70	1,656.75	96.62	2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	403.51	120.92	29.97
4.	0075- विविध सामान्य सेवायें	20.88	16.54	79.21	2250- अन्य सामाजिक सेवायें	9.61	9.31	96.88
5.	0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	99.27	99.27	100.00	2425-सहकारिता	77.98	18.31	23.48
6.	0401-कृषि कर्म	16.08	13.83	86.00	2501- ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	214.23	107.47	50.17
7.	0406- वानिकी तथा वन्य जीव	368.73	142.95	38.77	2810-नई एवं नवीनीकरण ऊर्जा	11.69	6.70	57.31
8.	0801- ऊर्जा	186.67	186.67	100.00	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>2,486.92</b>	<b>2,142.79</b>	<b>86.16</b>	<b>योग</b>	<b>896.06</b>	<b>331.99</b>	<b>37.05</b>

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखे 2018-19।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, आठ मुख्य शीर्षों से संबंधित लगभग 86 प्रतिशत प्राप्तियाँ लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत इंद्राज की गई थीं। इसी तरह, सात मुख्य शीर्षों से संबंधित राजस्व व्यय का लगभग 37 प्रतिशत 800-अन्य व्यय के अंतर्गत इंद्राज किया गया था। लघु शीर्ष ‘800’-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अधीन अत्यधिक धनराशि का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता/शुद्ध चित्रण को प्रभावित करता है।

### 3.5 हानि, गबन आदि

लेखापरीक्षा द्वारा 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 76.77 लाख की सरकारी धनराशि के गबन के दो मामले देखे गए, जिन पर अंतिम कार्यवाही लंबित थी। इन दोनों मामलों का विवरण तालिका-3.3 में दिया गया है।

तालिका-3.3: हानि और गबन के मामलों का विवरण

(₹ लाख में)

क्रं सं	विभाग का नाम	संलिप्त धनराशि	मामलों का विवरण	वर्तमान स्थिति
1.	शिक्षा विभाग	7.00	चंपावत के सरकारी इंटर कॉलेज चौमेल के एक कनिष्ठ सहायक द्वारा चेक को कूटरचित कर बैंक खाते से ₹ सात लाख की धनराशि निकाल कर गबन किया गया।	न्यायालय में लंबित
2.	सिंचाई विभाग	69.77	विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण ₹ 69.77 लाख का गबन, सात व्यक्तियों/फर्मों को ₹ 68.86 लाख के 32 कपटपूर्ण चेकों को जारी किए जाने और सरकारी खाते में ₹ 0.91 लाख का सरकारी राजस्व जमा न करने का कारण बना।	राज्य सरकार से उत्तर अपेक्षित है

हानि और गबन के मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने की जरूरत है जिससे की भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

### 3.6 उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य पेंशनरी दायित्वों का प्रभाजन

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, के संदर्भ में उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के मध्य अप्रैल 2000 से मार्च 2018 तक बकाया पेंशन दायित्वों का प्रभाजन पूर्ण हो चुका है। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष 2018-19 हेतु बकाया पेंशनरी दायित्वों का प्रभाजन किया जाएगा।

### 3.7 उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य अनावंटित शेष

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2018-19 के परिशिष्ट-XIII के अनुसार, जमा और अग्रिम के अंतर्गत शेष राशि ₹ 8,758.82 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले (मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा से मुख्य शीर्ष 8550-सिविल अग्रिम तक) उत्तराधिकारी राज्यों उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य विभाजन के लिए उत्तराखण्ड राज्य के गठन के लगभग दो दशक बाद भी शेष है। तथापि, जैसा कि कार्यालय महालेखाकार (ले एवं ह) उत्तराखण्ड द्वारा सूचित किया गया है, अंतिमिकरण प्रगति पर है।

### 3.8 निवेश

राज्य सरकार ने उनके द्वारा सरकारी कंपनियों/निगमों में किए गए निवेश की जानकारी उपलब्ध/पुष्टि नहीं करवाई है। वित्त लेखे के विवरण 8 एवं 19 में निहित सूचना प्राथमिक तौर पर शासन की

उन निवेश संबन्धित सूचना पर आधारित है जो की महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा वाउचर से प्राप्त की जाती है। वित्त लेखाओं में दिखाए गए निवेश के आँकड़े, संस्थाओं, जहाँ राज्य सरकार द्वारा निवेश किए गए हैं, के अभिलेखों के साथ समाशोधन के अधीन हैं जो 31 मार्च 2019 तक ₹ 61.21 करोड़ का अंतर दर्शा रहा है।

### 3.9 भारत सरकार के लेखा मानकों (आई जी ए एस) का कार्यान्वयन

भारत सरकार द्वारा तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई जी ए एस) अधिसूचित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा लेखा मानकों का अनुपालन तालिका-3.4 में विस्तृत है।

तालिका-3.4: आई जी ए एस का कार्यान्वयन

आई जी ए एस	कार्यान्वयन की स्थिति	टिप्पणियाँ
आई जी ए एस-1 (सरकार द्वारा दी गई गारंटी)	अनुपालन नहीं किया	राज्य सरकार ने बकाया गारंटी पर सीमित जानकारी प्रदान की है। गारंटी की अधिकतम राशि, वर्ष के दौरान अतिरिक्त/आवाहन/अवमुक्त/अवमुक्त नहीं, गारंटी कमीशन प्राप्य/प्राप्त, इत्यादि के बारे में राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
आई जी ए एस-2 (सहायता अनुदान- जी आई ए का लेखाकरण और वर्गीकरण)	अनुपालन नहीं किया	वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने छह पूँजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 46.82 करोड़ का अनुदान दिया, जो कि आई जी ए एस-2 का उल्लंघन था।
आई जी ए एस-3 (सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम)	आंशिक रूप से लागू किया गया	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम पर वित्त खातों के विवरण 7 और 18 को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सीमा तक, आई जी ए एस-3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है। विभिन्न ऋण संस्थाओं से बकाया राशि के पुनर्भुगतान की जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। राज्य सरकार के विभागों ने बकाया मूलधन और ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, जो शाश्वत में स्वीकृत हैं। परिणामतः, आई जी ए एस-3 की आवश्यकताओं को इन लेखाओं में पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि आई जी ए एस-1, 2 और 3 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

### 3.10 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

विभागीय अधिकारियों ने, विशेष उद्देश्यों के लिए मार्च 2018 तक दिये गये ₹ 37.66 करोड़ के अनुदानों के 25 उपयोगिता प्रमाण पत्रों (मार्च 2019 तक प्रस्तुत करने हेतु देय) को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किया। इन प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए अनुदानों का उपयोग किया।

सरकार विशेष उद्देश्यों हेतु अवमुक्त अनुदानों के संबन्ध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से प्रस्तुत किये जाने को सुनिश्चित कर सकती है।


व्यय एवं प्राप्तियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' एवं '800-अन्य प्राप्तियाँ' में इंद्राज की गई, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता प्रभावित हुयी।

सरकार वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत समस्त मदों की विस्तृत समीक्षा कर सकती है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु इस तरह की समस्त प्राप्ति एवं व्यय उपयुक्त लेखा शीर्षों में इंद्राज करना सुनिश्चित कर सकती है।

सरकार ने वित्तीय लेखों में उचित प्रकटीकरण उपलब्ध नहीं कराया है जैसा कि आई जी ए एस-1 (सरकार द्वारा दी गयी गारंटी), आई जी ए एस-2 (सहायता अनुदान का लेखाकरण एवं वर्गीकरण) और आई जी ए एस-3 (सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम) के अंतर्गत आवश्यक है।


राज्य सरकार उचित प्रकटीकरण उपलब्ध करा कर आई जी ए एस-1, 2 एवं 3 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कदम उठा सकती है।

देहरादून  
दिनांक 20 जुलाई 2020

  
(एस. आलोक)  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक 27 जुलाई 2020

  
(राजीव महर्षि)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट





**पारिशिष्ट-1**  
(संदर्भ : प्रस्तर-1.1; पृष्ठ 1)  
**राज्य की रूपरेखा**

**अ. सामान्य आँकड़े\***

क्र. सं.	विवरण		आँकड़े
1.	क्षेत्रफल		53,483 वर्ग किमी
2.	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	100.86 लाख
3.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)		11.30 प्रतिशत
5.	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	71.62 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	78.80 प्रतिशत
6.	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 33 प्रति 1000 जीवित जन्म)		38
7.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 68.70)		71.80
8.	एच डी आई मूल्य उत्तराखण्ड (यू के एच डी आर 2019)		0.72
	एच डी आई रैंक उत्तराखण्ड		उपलब्ध नहीं
9.	<b>गिनी गुणांक** 2009-10 (यू आर पी)</b>		
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.29)	0.26
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय = 0.38)	0.36
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) 2018-19 चालू मूल्य पर		2,45,895
11.	प्रति व्यक्ति जी एस डी पी सी ए जी आर (2011-12 से 2018-19)	उत्तराखण्ड	9.94
		विशेष श्रेणी राज्य	10.93
12.	जी एस डी पी सी ए जी आर (2011-12 से 2018-19)	उत्तराखण्ड	11.42
		विशेष श्रेणी राज्य	11.55
13.	जनसंख्या वृद्धि (2009 से 2019)	उत्तराखण्ड	13.77
		विशेष श्रेणी राज्य	11.91

**ब. वित्तीय आँकड़े:**

सी ए जी आर							
विवरण				आँकड़े (प्रतिशत में)			
सी ए जी आर		2009-10 से 2017-18		2013-14 से 2017-18		2017-18 से 2018-19	
		उत्तराखण्ड के लिए	श्रेणी के लिए	उत्तराखण्ड के लिए	श्रेणी के लिए	उत्तराखण्ड के लिए	श्रेणी के लिए
क	राजस्व प्राप्तियों का	14.02	13.41	11.85	13.77	15.17	11.64
ख	राजस्व कर का	14.02	17.65	8.42	13.08	19.90	23.22
ग	करेत्तर राजस्व का	13.74	8.57	7.67	8.88	87.01	19.16
घ	कुल व्यय	13.96	11.95	14.78	13.53	9.95	13.97
ङ	पूँजीगत व्यय	17.33	9.64	12.35	16.47	4.57	13.68
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	10.28	13.97	12.66	12.59	12.84	16.16
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	15.83	15.37	18.00	18.84	22.70	17.91
ज	वेतन	11.52	12.81	13.03	11.22	9.80	14.70
झ	पेंशन	21.68	19.15	23.97	16.53	7.21	13.33

\*स्रोत: आर्थिक सलाहकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय।

\*\* गिनी गुणांक जनसंख्या के बीच आय की असमानता की एक माप है। मान की दर शून्य से एक है, शून्य के समीप असमानता कम है, एक के समीप असमानता अधिक है।

**परिशिष्ट-1.1**

(संदर्भ: पृष्ठ 1)

<b>भाग अ: सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना</b>	
<b>सरकारी लेखों की संरचना:</b> राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।	
<b>भाग- I: समेकित निधि:</b> राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ, ट्रेजरी बिलों के जरिये जुटाए गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।	
<b>भाग- II: आकस्मिकता निधि:</b> संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि एक प्रकार का अग्रदाय है, जो अति आवश्यक आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम देने के लिये, विधायिका द्वारा प्राधिकृत होने तक राज्यपाल की स्वेच्छा पर रखा जाता है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के, समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है।	
<b>भाग- III: लोक लेखा:</b> कतिपय लेनदेनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का अंश नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं और जिन्हें राज्य विधायिका द्वारा वोट की आवश्यकता नहीं है।	
<b>भाग ब: वित्त लेखे का प्रारूप</b>	
<b>विवरण</b>	<b>प्रारूप</b>
<b>खण्ड - I</b>	
<b>भाग I - संक्षिप्त विवरण</b>	
विवरण संख्या-1	वित्तीय स्थिति का विवरण
विवरण संख्या-2	प्राप्ति तथा संवितरण का विवरण
विवरण संख्या-3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण
विवरण संख्या-4	समेकित निधि से व्यय का विवरण अ. प्रकार्य अनुसार व्यय ब. प्रवृत्ति अनुसार व्यय
विवरण संख्या-5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण
विवरण संख्या-6	उधारी एवं अन्य दायित्व का विवरण
विवरण संख्या-7	सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण
विवरण संख्या-8	सरकार के निवेशों का विवरण
विवरण संख्या-9	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण
विवरण संख्या-10	सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण
विवरण संख्या-11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण
विवरण संख्या-12	राजस्व लेखा से भिन्न व्यय हेतु निधि का स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण
विवरण संख्या-13	समेकित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा के अधीन शेष का सारांश
<b>खण्ड - II</b>	
<b>भाग II - विस्तृत विवरण</b>	
विवरण संख्या-14	लघु शीर्ष से राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-15	लघु शीर्ष से राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-16	लघु शीर्ष एवं उप शीर्ष से पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-17	लघु शीर्ष से उधारियाँ एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-18	सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-19	सरकार द्वारा निवेशों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-20	सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेनदेनों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-22	चिन्हित शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण

भाग III - परिशिष्ट	
परिशिष्ट-I	वेतन व्यय पर तुलनात्मक विवरण
परिशिष्ट-II	सहायिकी व्यय पर तुलनात्मक विवरण
परिशिष्ट-III	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा प्रदान सहायता (संस्थागत एवं योजनागत)
परिशिष्ट-IV	बाह्य सहायतित परियोजनाओं का विवरण
परिशिष्ट-V	योजना स्कीम व्यय (अ. केन्द्रीय स्कीम ब. राज्य स्कीम)
परिशिष्ट-VI	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का सीधा अंतरण (निधियां राज्य बजट के अन्यत्र मार्ग से अंतरित) (गैर-लेखापरीक्षित आँकड़े)
परिशिष्ट-VII	खाता-बही एवं बड़ा चिह्न के गैर-समाधित अंतरों/शेषों की स्वीकृति
परिशिष्ट-VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट-IX	अपूर्ण लोक निर्माण ठेकों पर वचनबद्धता का विवरण (31 मार्च 2019 को)
परिशिष्ट-X	2018-19 में राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण (31 मार्च 2019 को)
परिशिष्ट-XI	वर्ष के दौरान भविष्य नकदी प्रवाह हेतु बजट में प्रस्तावित नयी योजनाओं के संबंध में निहितार्थ मुख्य नीति-विषयक निर्णयों के प्रभाव का विवरण (31 मार्च 2019 को)
परिशिष्ट-XII	भविष्य में राज्य के वचनबद्ध दायित्वों का विवरण
परिशिष्ट-XIII	ऐसे मदों का विवरण जिनके लिए राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेष नियतन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

**परिशिष्ट-1.2**

**भाग अ**

**(संदर्भ: पृष्ठ 1)**

**राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि**

चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) द्वारा एकवर्गीय राजकोषीय समुच्चयों के लिए अनुमानों सहित चयनित राजकोषीय आँकड़ों के लिए निर्धारित मानक/सीमाएँ तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके राजकोषीय दायित्व अधिनियम में तथा अन्य विवरणों में, जो अधिनियम के अन्तर्गत विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित है (परिशिष्ट 1.2 का भाग ब), वचनबद्धताएँ/अनुमान, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियों तथा स्वरूपों के गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ), राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य सम्पादन का अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे को चालू बाजार मूल्यों पर स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स रा घ उ द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बन्धित राजकोषीय आँकड़ों हेतु उत्प्लावकता गुणांक यह निर्धारित करने के लिए आगणित किया जाता है कि क्या संसाधनों का जुटाव, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ-साथ चलते हैं अथवा ये राजकोषीय समुच्चय, स रा घ उ के अलावा दूसरे कारकों से भी प्रभावित हैं। विगत पाँच वर्षों हेतु स रा घ उ की प्रवृत्तियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

**सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) की प्रवृत्तियाँ**

	2014-15	2015-16	2016-17*	2017-18*	2018-19*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,61,439	1,77,163	1,95,125	2,22,836	2,45,895
स रा घ उ की वृद्धि दर	8.29	9.74	10.14	14.20	10.35

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, उत्तराखण्ड शासन।

\*अनन्तितम \*त्वरित \*अग्रिम

राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियाँ का आंकलन और पद्धतियों का आंकलन करने में प्रयुक्त कुछ चयनित शब्दावतियों की परिभाषा नीचे दी गयी है:

शब्द	गणना के आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (X) की उत्प्लावकता, अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में	प्राचल(X) की वृद्धि दर/प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर ओ जी)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा अदा किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि} + \text{चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्व})2]*100$
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
बकाया ऋणों पर ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{प्रारम्भिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतिम शेष})2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम का निवल - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, जिसमें मुख्य शीर्ष 2048-ऋण की परिहार्यता के न्यूनीकरण के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय शामिल नहीं है।

## परिशिष्ट-1.2

## भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तर:1.1; पृष्ठ 2 एवं 3)

**राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005  
(तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप मार्च 2011 में एवं चौदहवें वित्त आयोग की  
संस्तुतियों के अनुरूप दिसम्बर 2016 में संशोधित)**

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणियता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करते हुए राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करके और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण द्वारा विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग तथा राज्य सरकारों के राजकोषीय संचालनों में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए।

**विशेष रूप से राज्य सरकार-**

- (क) राज्य राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत रखेगी। किसी भी वर्ष जिसमें उधारों की सीमा निश्चित की गयी है, राज्य इसमें 0.25 प्रतिशत की छूट करने के योग्य होगा, यदि पिछले वर्ष ऋण स रा घ उ 25 प्रतिशत से कम या बराबर है।
- (ख) इसके साथ-साथ किसी भी वर्ष जिसमें उधारों की सीमा निश्चित की गयी है, राज्य इसमें उधारों की सीमा स रा घ उ की 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त करने के योग्य होगा, यदि ब्याज भुगतान पिछले वर्ष के राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत से कम या बराबर है।
- (ग) छूट प्रावधान के अंतर्गत राज्य द्वारा इन दो विकल्पों का लाभ अलग अलग लिया जा सकता है यदि उपरोक्त मानदंड में से कोई भी पूर्ण होता है या एक साथ भी ले सकता है यदि उपरोक्त दोनों मानदंडों को पूर्ण करता है। इस प्रकार राज्य किसी भी दिने वर्ष में स रा घ उ राजकोषीय घाटा की सीमा 3.5 प्रतिशत रख सकता है।
- (घ) राज्य को दोनों विकल्पों में से किसी एक या दोनों के अंतर्गत अतिरिक्त सीमा का लाभ उठाने में छूट तभी उपलब्ध होगी, जब उस वर्ष में और उसके ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में कोई राजस्व घाटा न हो, जिसमें उधार की सीमा तय की जानी है।
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त लक्ष्य प्रत्येक छमाही में समीक्षित किए जाएँगे।
- (च) किसी भी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कुल बकाया प्रत्याभूति उस वर्ष की स रा घ उ के 1 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी वर्ष दी जाने वाली नई प्रत्याभूति उस वर्ष की स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण के द्वारा राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम

(₹ करोड़ में)

	2017-18 (वास्तविक)	2018-19 (बजटीय)	2018-19 (पुनरीक्षित)	2019-20 (परिलक्षित)	2020-21 (परिलक्षित)	2021-22 (परिलक्षित)	2022-23 (परिलक्षित)
<b>अ. राज्य का राजस्व लेखा:</b>							
1. स्वयं का कर राजस्व	10,164.93	14,963.62	14,763.62	14,736.85	16,652.64	18,817.48	21,263.75
2. स्वयं का करेत्तर राजस्व	1,769.53	3,470.51	3,746.53	4,254.81	2,892.55	3,037.18	3,189.04
3. स्वयं का कर + करेत्तर राजस्व (1+2)	11,934.46	18,434.13	18,510.15	18,991.66	19,545.19	21,854.66	24,452.79
4. केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में अंश	7,084.91	8,291.23	8,011.59	8,885.26	9,862.64	10,947.53	12,151.76
5. केन्द्रीय सरकार से अनुदान	8,085.21	8,934.64	8,232.14	11,078.57	12,297.21	13,649.91	12,151.40
6. कुल केन्द्रीय अन्तरण (4+5)	15,170.12	17,225.87	16,243.73	19,963.83	22,159.85	24,597.44	24,303.16
7. कुल राजस्व प्राप्तियाँ (3+6)	27,104.58	35,660.00	34,753.88	38,955.49	41,705.04	46,452.10	48,755.95
8. वेतन व्यय	11,656.22	13,765.42	12,752.30	14,513.79	15,529.76	16,772.14	18,113.91
9. पेंशन	5,033.47	5,352.50	5,580.80	5,942.69	6,299.25	6,929.18	7,622.09
10. ब्याज भुगतान	3,987.29	4,906.12	4,904.82	5,332.19	6,021.67	6,685.88	7,466.67
11. उपदान-सामान्य	-	-	-	-	-	-	-
12. उपदान-विद्युत	-	-	-	-	-	-	-
13. ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्ति (10/7) (प्रतिशत में)	14.71	13.76	14.11	13.69	14.44	14.39	15.31
14. कुल राजस्व व्यय	29,082.69	35,627.31	34,726.63	38,932.70	41,657.99	44,990.63	48,589.88
15. वेतन+ब्याज+पेंशन (8+9+10)	20,676.98	24,024.04	23,237.92	25,788.67	27,850.68	30,387.20	33,202.67
16. राजस्व प्राप्ति प्रतिशत के रूप में (15/7)	76.29	67.37	66.86	66.20	66.78	65.42	68.10
17. राजस्व अधिशेष/घाटा (7-14)	-1,978.11	32.69	27.25	22.79	47.05	1461.47	166.07
<b>ब. समेकित राजस्व लेखा:</b>							
समेकित राजस्व अधिशेष/घाटा	-1,978.11	32.69	27.25	22.79	47.05	1461.47	166.07
<b>स. समेकित ऋण:</b>							
1. बकाया ऋण एवं दायित्व	51,831.25	59,198.13	57,523.37	64,321.53	71,982.36	79,362.47	88,037.98
2. कुल अनिस्तारित प्रत्याभूतियाँ	1,173.16	1,198.47	824.18	824.18	824.18	824.18	824.18
<b>द. पूँजीगत लेखा:</b>							
1. पूँजीगत परिव्यय	5,914.37	6,583.79	5,336.19	6,572.08	7,557.89	8,691.58	8,691.58
2. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	76.83	191.98	216.11	282.81	200.00	200.00	200.00

3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	283.50	32.74	32.94	33.94	50.00	50.00	50.00
4. अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	7,685.82	6,710.35	5,492.12	6,798.16	7,660.84	7,380.11	8,675.51
<b>य. सकल राजकोषीय घाटा (स रा घ)</b>	<b>7,685.82</b>	<b>6,710.35</b>	<b>5,492.12</b>	<b>6,798.16</b>	<b>7,660.84</b>	<b>7,380.11</b>	<b>8,675.51</b>
चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,14,933.00	2,43,722.60	2,37,147.00	2,63,233.20	2,92,188.80	3,24,329.60	3,60,005.80
<b>र. राजकोषीय घाटा</b>							
वास्तविक/ मान ली गई नगण्य वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.71	12.00	10.34	11.00	11.00	11.00	11.00
*इसमें भविष्य निधि की धनराशि समाहित है।							



परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: प्रस्तर-1.3 एवं 1.9.2, पृष्ठ 10 एवं 34)

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>भाग अ. प्राप्तियाँ</b>					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	20,247	21,234	24,889	27,105	31,216
(i) कर राजस्व	8,339 (41)	9,377 (44)	10,897 (44)	10,165 (37)	12,188 (39)
एस जी एस टी	--	--	--	1,972 (19)	4,802 (39)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,465 (65)	6,105 (65)	7,154 (66)	3,703(37)	1,883 (15)
राज्य आबकारी	1,487 (18)	1,735 (19)	1,906 (18)	2,262(22)	2,871 (24)
वाहनों पर कर	394 (5)	471 (5)	556 (5)	816(8)	909 (8)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	714 (9)	871 (9)	778 (7)	882(9)	1,015 (8)
भू-राजस्व	39 (-)	28 (-)	160 (1)	24(-)	34(-)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--
अन्य कर	240 (3)	167 (2)	343 (3)	506 (5)	674 (6)
(ii) करेत्तर राजस्व	1,111 (5)	1,220 (6)	1,346 (5)	1,770 (7)	3,310 (10)
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	3,792 (19)	5,333 (25)	6,412 (26)	7,085 (26)	8,011 (26)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	7,005 (35)	5,304 (25)	6,234 (25)	8,085 (30)	7,707 (25)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	135	--	--	--	0.01
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	46	27	35	34	27
4. कुल राजस्व एवं ऋणत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	20,428	21,261	24,924	27,139	31,243
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	4,573	6,798	6,501	7,526	7,275
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4,512 (99)	6,701 (99)	6,355(98)	7,412 (98)	7,170 (99)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	61 (1)	97 (1)	146(2)	114 (2)	105 (1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	25,001	28,059	31,425	34,665	38,518
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	332	191	395	105	217
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	35,032	37,746	27,855	37,571	41,790
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	60,365	65,996	59,675	72,341	80,525
<b>भाग ब. व्यय/संवितरण<sup>1</sup></b>					
10. राजस्व व्यय	21,164	23,086	25,272	29,083	32,196
आयोजनागत					
राज्य निधि व्यय	5,632 (27)	6,388 (28)	6,344 (25)	25,570 (88)	28,296(88)
आयोजनेत्तर					
केंद्रीय सहायता	15,532 (73)	16,698 (72)	18,928 (75)	3,513 (12)	3,900(12)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतानों सहित)	7,402 (35)	8,410 (37)	9,934 (39)	12,409 (43)	13,525 (42)
सामाजिक सेवायें	9,224 (44)	9,927 (43)	10,529 (42)	10,929 (37)	12,209(38)
आर्थिक सेवायें	3,857 (18)	3,983 (17)	3,903 (15)	4,276 (15)	5,003(16)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	681 (3)	766 (3)	906 (4)	1,469 (5)	1,459(4)

<sup>1</sup> वित्त पोषण का आयोजनागत और आयोजनेत्तर विभाजन, वर्ष 2017-18 से बंद कर दिया गया है और राज्य निधि व्यय और केंद्रीय सहायता में द्विभाजित किया जा रहा है।

11. पूँजीगत व्यय		4,939	4,217	4,954	5,914	6,184
आयोजनागत	राज्य निधि व्यय	4,780 (97)	4,197 (100)	4,076 (82)	4,274 (72)	3,533 (57)
आयोजनेत्तर	केंद्रीय सहायता	159 (3)	20 (-)	878 (18)	1,640 (28)	2,651 (43)
सामान्य सेवायें		214 (4)	111 (3)	72 (1)	804 (14)	454 (7)
सामाजिक सेवायें		1,231 (25)	864 (20)	948 (19)	1,086 (18)	1,099 (18)
आर्थिक सेवायें		3,494 (71)	3,242 (77)	3,934 (80)	4,024 (68)	4,631 (75)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण		151	83	165	77	183
13. राज्य का कुल व्यय (10+11+12)		26,254	27,386	30,391	35,074	38,563
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान		894	1,997	1,128	1,721	2,057
आन्तरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)		866	1,966	1,093	1,681	2,013
अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन		--	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम		28	31	35	40	44
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग		150	--	--	-250	0
16. समेकित निधि से कुल संवितरण(13+14+15)		27,298	29,383	31,519	36,545	40,620
17. आकस्मिकता निधि संवितरण		194	385	228	482	107
18. लोक लेखा संवितरण		33,535	36,537	26,607	35,366	39,947
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)		61,027	66,305	58,354	72,393	80,674
<b>भाग स.घाटा/आधिक्य</b>						
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+)(1-10)		(-) 917	(-) 1,852	(-) 383	(-) 1,978	(-) 980
21. राजकोषीय घाटा (4-13)		5,826	6,125	5,467	7,935	7,320
22. प्राथमिक घाटा(-)/ प्राथमिक अधिशेष (+) (21+23)		(-) 3,420	(-) 3,154	(-) 1,744	(-) 3,948	(-) 2,845
<b>भाग द. अन्य आँकड़े</b>						
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)		2,406	2,971	3,723	3,987	4,475
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता		3,515	3,596	3,850	3,664	4,466
25. अर्थापय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)		12	9	90	90	167
26. अर्थापय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज		0.13	0.19	3.84	5.24	6.08
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) <sup>@</sup>		1,61,439	1,77,163	1,95,125	2,22,836	2,45,895
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)		33,480	39,069	44,583	51,831	58,039
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज रहित)		1,832	1,743	1,248*	1,173	1,311
30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)		2,951	2,805	2,805	2,105	2,105
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)		141	182	297	260	202
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी (₹ करोड़ में)		155.71	582.13	1,007.56	631.94	480.30
<b>भाग य. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक (अनुपात में)</b>						
<b>I संसाधन का जुटाव</b>						
स्वयं का कर राजस्व/स रा घ उ		0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
स्वयं का करेत्तर राजस्व/स रा घ उ		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ		0.07	0.06	0.07	0.07	0.06
<b>II व्यय प्रबन्धन</b>						
कुल व्यय/स रा घ उ		0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ		1.30	1.29	1.22	1.29	1.24
राजस्व व्यय/ कुल व्यय		0.81	0.84	0.83	0.83	0.83
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय		0.40	0.39	0.38	0.34	0.35
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय		0.28	0.26	0.26	0.24	0.25
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय		0.19	0.15	0.16	0.17	0.16

सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	0.18	0.15	0.16	0.15	0.15
<b>III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (अधिशेष) /स रा घ उ	(-) 0.006	(-) 0.01	(-) 0.002	(-) 0.009	(-) 0.004
राजकोषीय घाटा /स रा घ उ	(-) 0.036	(-) 0.035	(-) 0.028	(-) 0.036	(-) 0.03
प्राथमिक घाटा (अधिशेष) /स रा घ उ	(-) 0.021	(-) 0.018	(-) 0.009	(-) 0.018	(-) 0.012
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	(+) 0.157	(+) 0.302	(+) 0.070	(+) 0.249	(+) 0.134
प्राथमिक राजस्व शेष/स रा घ उ	(-) 0.020	(-) 0.027	(-) 0.021	(-) 0.026	(-) 0.022
<b>IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	0.21	0.22	0.23	0.23	0.24
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.65	1.84	1.79	1.91	1.86
ऋण पुनर्भुगतानसे ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	19.55	29.38	17.35	22.87	28.27
<b>V अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता सूचक</b>					
निवेश का प्रतिफल	0.11	5.10	15.21	22.69	18.69
वित्तीय परिसम्पतियाँ/दायित्व	0.93	0.90	0.96	0.94	0.93

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

\* बदला हुआ प्रपत्र।

@ सरकार द्वारा सूचित चालू मूल्य पर स रा घ उ के आँकड़े ग्रहण किये गये हैं।

## परिशिष्ट-1.4

## भाग अ

(संदर्भ: प्रस्तर-1.1.1, एवं 1.9.2; पृष्ठ 3 एवं 34)

वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
विविध मदें	2017-18	2018-19	विविध मदें	2017-18	2018-19
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>खण्ड - अराजस्व</b>					
I-राजस्व प्राप्तियाँ	27,104.57	31,216.44	I- राजस्व व्यय	29,082.69	32,196.02
(i) कर राजस्व	10,164.93	12,188.09	(i) सामान्य सेवायें	12,408.50	13,524.87
(ii) करेत्तर राजस्व	1,769.53	3,309.88	(ii) सामाजिक सेवायें	10,929.44	12,209.34
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	7,084.91	8,011.59	शिक्षा, खेलकुद, कला एवं संस्कृति	6,454.08	7,283.41
(iv) गैर-योजनागत अनुदान	714.27	--	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,555.39	1,908.69
(v) राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1,620.99	--	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	619.00	578.21
(vi) केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	4,466.94	--	सूचना एवं प्रसारण	40.34	119.16
(vii) केन्द्रीय पुरोनिर्धारित योजनाओं हेतु अनुदान	--	4,965.82	अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	246.27	206.40
(viii) वित्त आयोग अनुदान	--	484.87	श्रम तथा श्रमिक कल्याण	134.84	136.49
(ix) अन्य अंतरण / राज्यों को अनुदान/ विधान परिषद वाले केंद्र शासित प्रदेश	1,283.00	2,256.19	समाज कल्याण एवं पोषण	1,859.91	1,966.84
			अन्य	19.61	10.14
			(iii) आर्थिक सेवाएँ	4,276.21	5,002.49
			कृषि तथा संबद्ध क्रिया कलाप	2,132.20	2,485.04
			ग्राम्य विकास	1,266.40	1,477.89
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	407.44	427.81
			ऊर्जा	12.08	11.89
			उद्योग एवं खनिज	108.38	154.69
			परिवहन	236.05	311.97
			विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण	20.74	31.76
			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	92.92	101.44
			सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,468.54	1,459.32
<b>योग</b>	<b>27,104.57</b>	<b>31,216.44</b>	<b>योग</b>	<b>29,082.69</b>	<b>32,196.02</b>
II-खण्ड ब को अंतरित राजस्व घटा	1,978.12	979.58	II-खण्ड-ब को अन्तरित राजस्व अधिशेष		--
<b>योग</b>	<b>29,082.69</b>	<b>32,196.02</b>	<b>योग</b>	<b>29,082.69</b>	<b>32,196.02</b>

विविध मदें	2017-18	2018-19	विविध मदें	2017-18	2018-19
1.	2.	3.	4.	5.	6.
III-स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष	2,785.95	2,733.60	III- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट	--	--
IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	0.01	IV- पूँजीगत परिव्यय	5,914.37	6,184.42
			(i) सामान्य सेवाएँ	804.41	454.21
			(ii) सामाजिक सेवाएँ	1,085.67	1,099.36
			शिक्षा, खेलकुद, कला एवं संस्कृति	214.60	154.33
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	63.94	187.40
			जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	755.26	688.63
			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	24.65	31.32
			सामाजिक कल्याण एवं पोषण	3.87	4.35
			अन्य सामाजिक सेवाएँ	23.35	33.33
			(iii) आर्थिक सेवाएँ	4,024.29	4,630.85
			कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	795.95	997.65
			ग्राम्य विकास	1,236.61	1,625.05
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	314.96	356.92
			ऊर्जा	87.00	193.00
			उद्योग एवं खनिज	5.98	26.42
			परिवहन	1,525.71	1,373.83
			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	58.08	57.98
			<b>योग</b>	<b>5,914.37</b>	<b>6,184.42</b>
V-ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	33.50	26.91	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	76.83	183.48
विद्युत परियोजनाओं से	30.54	23.44	विद्युत परियोजनाओं के लिए	62.64	70.53
सरकारी कर्मचारियों से	1.97	1.62	सरकारी कर्मचारियों को	0.52	0.20
अन्यों से	0.99	1.85	अन्यों को	13.67	112.75
VI-राजस्व अधिशेष नीचे लाया गया	---	---	VI- राजस्व घाटा नीचे लाया गया	1,978.12	979.58

विविध मदें	2017-18	2018-19	विविध मदें	2017-18	2018-19
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>VII-लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>7,526.08</b>	<b>7,275.18</b>	<b>VII-लोक ऋण का पुनर्भुगतान</b>	<b>1,720.72</b>	<b>2,057.51</b>
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	7,411.72	7,169.72	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	1,680.40	2,013.38
ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	---	---	ओवर ड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	---	---
केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	114.36	105.46	केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	40.32	44.13
<b>VIII-आकस्मिक निधि को विनियोग</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोग</b>	<b>(-) 250.00</b>	<b>---</b>
<b>IX-आकस्मिकता निधि में अंतरित राशि</b>	<b>104.66</b>	<b>216.89</b>	<b>IX- आकस्मिकता निधि से व्यय</b>	<b>481.50</b>	<b>107.08</b>
<b>X- लोक लेखा प्राप्तियाँ</b>	<b>37,571.25</b>	<b>41,789.74</b>	<b>X- लोक लेखा संवितरण</b>	<b>35,366.30</b>	<b>39,947.18</b>
लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1,840.79	2,189.60	लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1,221.32	1,299.74
आरक्षित निधियाँ	232.34	243.00	आरक्षित निधियाँ	127.26	131.46
जमा एवं अग्रिम	4,727.47	4,502.04	जमा एवं अग्रिम	4,008.79	4,513.09
उचंत एवं विविध	31,936.91	35,287.11	उचंत एवं विविध	31,206.55	35,114.04
प्रेषण	(-)1,166.25	(-)432.01	प्रेषण	(-)1,197.62	(-) 1,111.15
<b>XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवर ड्राफ्ट</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>XI-अंत में रोकड़ शेष</b>	<b>2,733.60</b>	<b>2,583.08</b>
			कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--	--
			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	(-) 11.51	(-) 11.52
			रिजर्व बैंक में जमा	1,171.00	1,158.50
			रोकड़ शेष का निवेश व नैमित्तिक निधि के निवेश	1574.11	1436.10
<b>योग</b>	<b>48,021.44</b>	<b>52,042.33</b>	<b>योग</b>	<b>48,021.44</b>	<b>52,042.33</b>

परिशिष्ट-1.4 (क्रमशः)

भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तर 1.9.1; पृष्ठ 33)

31 मार्च 2019 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2018 को	दायित्व	31.03.2019 को
40,286.37	आन्तरिक ऋण-	45,442.71
26,662.21	ब्याज वहन करने वाले बाजार ऋण	31,951.52
0.07	ब्याज वहन न करने वाले बाजार ऋण	0.07
1.50	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50
13,622.59	अन्य संस्थाओं से ऋण	13,489.62
--	अर्थोपाय अग्रिम	--
--	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	--
728.58	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	789.91
0.53	1984-85 से पहले के ऋण	0.53
4.04	आयोजनेत्तर ऋण	3.56
724.01	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	785.82
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	--
--	केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	--
500.00	आकस्मिकता निधि (संग्रह)	500.00
1,789.07	उचत एवं विविध व्यय	1,962.14
7,009.63	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	7,899.49
3,344.75	जमा	3,333.70
1,650.54	आरक्षित निधियाँ	1,762.08
--	प्रेषण शेष	65.75
55,308.94	योग	61,755.78

## परिशिष्ट-1.4 भाग ब (क्रमशः)

31.03.2018 को	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2019 को
46,188.67	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	52,373.08
3,209.24	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	3,402.45
42,979.43	अन्य पूँजीगत परिव्यय	48,970.63
1,769.97	ऋण एवं अग्रिम	1,926.54
164.50	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	211.59
1,618.84	अन्य विकास ऋण	1,729.74
(-) 13.37	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-) 14.79
446.28	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूर्तित)	336.48
613.39	प्रेषण	--
--	उचंत एवं विविध शेष	--
0.42	विभागीय अधिकारी के अग्रिम	0.42
2,733.60	रोकड़	2,583.08
---	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	---
1,171.00	रिजर्व बैंक में जमा	1,158.50
(-)10.70	विभागीय रोकड़ शेष	(-)10.71
(-) 0.81	स्थायी अग्रिम	(-)0.81
1,574.11	रोकड़ शेष निवेश	1,436.10
3,556.59	सरकारी लेखों में घाटा	4,536.18
--	घटायें (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य अनिर्धारित शेषों के बटवारे के कारण प्रोफॉर्मा में बदलाव)	
--	i. घटायें -चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को	--
1,978.12	ii. जोड़े -चालू वर्ष के राजस्व घाटा को	979.58
(-) 250.00	iii. आकस्मिकता निधि में विनियोजन एवं विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.01
--	iv. सरकारी खाते में समाहित धनराशि	--
1,828.47	v. वर्ष के प्रारम्भ में संचित घाटा	3,556.59
55,308.92	योग	61,755.78

## परिशिष्ट-1.3 एवं 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्वोक्त विवरण पत्रों में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़ना होगा।

**परिशिष्ट-1.4** में यथादर्शित सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर होने के कारण, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर होने की स्थिति को इंगित करता है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्त योग्य मर्दे या मूल्य हास अथवा भण्डार के आँकड़ों में भिन्नता इत्यादि जैसी मर्दे लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं। उचंत तथा विविध अवशेषों में, जारी परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन आदि सम्मिलित हैं। "रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखों में प्रदर्शित एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए आँकड़ों के मध्य ₹ 1,150.17 करोड़ (क्रेडिट) का अन्तर था जिसका मिलान किया जा रहा है।



परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: प्रस्तर 1.8.3; पृष्ठ 29)

विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	माध्य सरकारी पूँजी	मूल्यहासित लागत पर अवरुद्ध परिसंपत्तियां	वर्ष के दौरान उपबंधित मूल्य हास	आवर्त	कुल लाभ/हानि	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल (8+9)	पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुड़की	2011-12	191.72	80.57	6.03	55.57	(-) 26.22	23.49	(-) 2.73	(-) 1.42
2(अ)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2006-07	-	22.33	25.16	20,991.81	(-) 10,791.29	-	(-) 10,791.29	-
2(ब)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2006-07	-	13.00	1.37	14,297.23	(-)2,786.73	-	(-) 2,786.73	-

## परिशिष्ट-2.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ 56)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक का व्ययाधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	व्ययाधिक्य	व्ययाधिक्य की प्रतिशतता
पूँजीगत (भारित)						
1.	7	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	3,182.00	10,230.14	7,048.14	221.50
पूँजीगत (दत्तमत)						
2.	19	ग्रामीण विकास	1,507.16	1,509.96	2.80	0.19
5.	25	खाद्य	19.00	1,433.04	1,414.04	7,442.32
योग			4,708.16	13,173.14	8,464.98	179.79

## परिशिष्ट-2.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.4; पृष्ठ 58)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
1.	19	ग्रामीण विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	1,382.16	125.00	1,507.16	1,509.96	2.80
2.	25	खाद्य (पूँजीगत-दत्तमत)	19.00	0.005	19.01	1,433.04	1,414.04
योग			1,401.16	125.01	1,526.17	2,943.00	1,416.84

परिशिष्ट-2.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.5; पृष्ठ 58)

कुल व्यय का अंतिम तिमाही (जनवरी 2019 से मार्च 2019) में 50 प्रतिशत या मार्च 2019 में 25 प्रतिशत से अधिक व्यय की तीव्रता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष योजना/सेवा	जनवरी-मार्च 2019 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	कुल व्यय अप्रैल से मार्च 2019	निम्न माह के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
					मार्च 2019	जनवरी-मार्च 2019
1.	2040	30.80	27.78	41.13	67.54	74.88
2.	2049	2,092.13	1,518.02	4,474.82	33.92	46.75
3.	2216	1.86	1.44	5.59	25.76	33.27
4.	2220	59.62	49.52	119.16	41.56	50.03
5.	2225	129.95	107.79	206.40	52.22	62.96
6.	2235	697.95	414.24	1,563.34	26.50	44.64
7.	2245	226.22	182.26	403.51	45.17	56.06
8.	2250	7.23	4.94	9.61	51.40	75.23
9.	2251	0.46	0.16	0.53	30.19	86.79
10.	2404	20.82	16.53	43.43	38.06	47.94
11.	2405	8.86	6.03	16.97	35.53	52.21
12.	2408	67.93	56.40	157.88	35.72	43.03
13.	2425	52.14	3.87	77.98	4.96	66.86
14.	2701	9.58	6.56	17.53	37.42	54.65
15.	2810	6.81	2.83	11.69	24.21	58.25
16.	2851	77.14	52.90	145.19	36.44	53.13
17.	3452	37.42	18.90	64.56	29.28	57.96
18.	3475	2.94	2.45	6.69	36.62	43.95
19.	4055	9.96	4.79	14.59	32.83	68.27
20.	4059	189.47	120.09	439.35	27.33	43.13
21.	4202	90.26	51.04	154.33	33.07	58.49
22.	4210	83.35	66.78	187.40	35.64	44.48
23.	4217	131.59	54.85	179.39	30.58	73.35
24.	4225	19.87	9.67	31.32	30.87	63.44
25.	4235	4.27	4.20	4.35	96.55	98.16
26.	4401	7.02	5.04	5.12	98.44	137.11
27.	4403	4.55	3.50	4.70	74.47	96.81
28.	4405	2.56	2.56	4.26	60.09	60.09
29.	4406	24.25	21.07	39.46	53.40	61.45
30.	4515	576.13	486.08	1,625.05	29.91	35.45
31.	4700	117.75	95.40	221.63	43.04	53.13

32.	4702	46.85	24.24	48.67	49.80	96.26
33.	4711	35.54	32.13	79.54	40.39	44.68
34.	4801	107.30	107.30	193	55.60	55.60
35.	4859	12.66	4.16	24.36	17.08	51.97
36.	5053	2.97	2.97	2.97	100.00	100.00
37.	6401	82	82	112	73.21	73.21
38.	7055	3.87	1.21	5.27	22.96	73.43
39.	7610	0.20	0.20	0.20	100	100
<b>योग</b>		<b>5,082.28</b>	<b>3,651.90</b>	<b>10,742.97</b>	<b>33.99</b>	<b>47.31</b>

परिशिष्ट-2.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6.1; पृष्ठ 58)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
<b>अ-राजस्व (दत्तमत)</b>					
1.	03- मंत्रि परिषद	67.62	64.46	3.16	9.09
2.	04- न्यायिक प्रशासन	193.04	167.92	25.12	14.61
3.	05- निर्वाचन	44.13	35.93	8.2	2.76
4.	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,223.58	861.87	361.71	10.83
5.	07- वित्त,कर,नियोजन,सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	8,190.27	7,742.30	447.97	249.72
6.	08- आबकारी	26.99	26.24	0.75	2.37
7.	10- पुलिस एवं जेल	1,914.89	1,833.48	81.41	23.89
8.	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	7,424.30	7,067.33	356.97	185.44
9.	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,102.77	1,726.45	376.32	120.14
10.	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	588.57	561.53	27.04	116.50
11.	15- कल्याण	1,594.74	1,341.83	252.91	114.70
12.	16- श्रम एवं रोजगार	342.92	221.60	121.32	25.26
13.	18- सहकारिता	89.41	77.98	11.43	5.03
14.	19- ग्रामीण विकास	910.83	798.09	112.74	93.17
15.	20- सिंचाई एवं बाढ़	494.01	427.96	66.05	6.17
16.	21 - ऊर्जा	12.64	11.11	1.53	0.60
17.	22- लोक निर्माण	822.42	716.30	106.12	52.94
18.	23- उद्योग	234.52	197.83	36.69	16.35
19.	24- - परिवहन	87.80	74.74	13.06	12.44
20.	25- खाद्य	256.65	171.23	85.42	1.05
21.	26- पर्यटन	71.78	62.06	9.72	5.24
22.	27- वन	727.35	613.54	113.81	14.81
23.	29- उद्यान विकास	294.26	262.82	31.44	13.18
24.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,134.91	879.55	255.36	65.72
25.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	337.63	241.79	95.84	26.25
<b>योग राजस्व (दत्तमत)</b>		<b>29,188.03</b>	<b>26,185.94</b>	<b>3,002.09</b>	<b>1,188.26</b>
<b>ब-राजस्व (भारित)</b>					
1	04- न्यायिक प्रशासन	52.80	35.67	17.13	0.96
2.	07- वित्त,कर,नियोजन,सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	4,974.62	4,475.32	499.30	200.00
<b>योग राजस्व (भारित)</b>		<b>5,027.42</b>	<b>4510.99</b>	<b>516.43</b>	<b>200.96</b>
<b>स-पूँजीगत (दत्तमत)</b>					

1.	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	442.50	170.24	272.26	0.25
2.	07- वित्त,कर,नियोजन,सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	222.13	167.79	54.34	106.00
3	10- पुलिस एवं जेल	20.72	18.59	2.13	2.50
4	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	277.31	142.79	134.52	20.62
5.	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,047.47	597.86	449.61	67.70
6	15- कल्याण	71.29	37.87	33.42	9.00
7.	16- श्रम एवं रोजगार	12.00	10.96	1.04	2.00
8	20 - सिंचाई एवं बाढ़	426.28	365.92	60.36	41.92
9.	21 - ऊर्जा	307.30	244.15	63.15	10.00
10	24 - परिवहन	185.81	13.95	171.86	2.00
11.	26 - पर्यटन	111.59	57.48	54.11	1.00
12.	27- वन	81.20	38.60	42.60	6.58
13.	28- पशु पालन	21.73	8.97	12.76	5.55
14.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	326.06	235.06	91.00	5.27
15.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	139.41	97.09	42.32	11.77
<b>योग पूँजीगत (दत्तमत)</b>		<b>3,692.80</b>	<b>2,207.32</b>	<b>1,485.48</b>	<b>292.16</b>
<b>महायोग</b>		<b>37,908.25</b>	<b>32,904.25</b>	<b>5,004.00</b>	<b>1,681.38</b>

परिशिष्ट-2.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6.2; पृष्ठ 58)

निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप ₹ 10 लाख की एवं अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी के कारण)/आधिक्य

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	दत्तमत/भारित	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
1.	01	विधानमण्डल	राजस्व दत्तमत	2011-02-101-03	(+)13.50	(-)60.04
			राजस्व दत्तमत	2011-02-103-03	(-)13.50	(-)259.11
2.	04	न्यायिक प्रशासन	राजस्व दत्तमत	2014-00-105-03	(-)70.00	(-)1,814.72
			राजस्व दत्तमत	2014-00-105-04	(+)19.17	(-)332.68
			राजस्व दत्तमत	2014-00-108-03	(+)50.83	(-)251.49
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व दत्तमत	2053-00-093-03	(-)14.00	(-)1,058.36
			राजस्व दत्तमत	2053-00-101-03	(+)14.00	(-)52.14
			राजस्व दत्तमत	2070-00-107-03	(-)1,312.94	(-)12.00
			राजस्व दत्तमत	2245-80-102-05	(+)70.00	(-)57.38
			राजस्व दत्तमत	2245-80-102-07	(-)70.00	(-)297.98
4.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	राजस्व दत्तमत	2030-02-102-03	(-) 23.34	(-)211.70
			राजस्व दत्तमत	2030-03-001-03	(+) 24.00	(-) 57.72
			राजस्व दत्तमत	2030-03-001-04	(+) 23.34	(-)62.62
			राजस्व दत्तमत	2030-03-001-05	(-) 24.00	(-) 76.00
			राजस्व दत्तमत	2043-00-101-03	(+) 91.00	(-) 852.53
			राजस्व दत्तमत	2043-00-800-02	(-) 91.00	(-) 179.46
			राजस्व दत्तमत	2049-60-701-03	(+) 25.00	(-) 14.47
			राजस्व दत्तमत	2049-60-701-05	(-) 25.00	(-) 3,475.00
			राजस्व दत्तमत	2052-00-090-13	(-) 13.00	(-) 24.00
			राजस्व दत्तमत	2052-00-091-03	(-) 321.47	(-) 102.57
			राजस्व दत्तमत	2052-00-800-04	(-) 20.00	(-) 115.46
			राजस्व दत्तमत	2054-00-095-03	(+) 4.00	(-) 102.31
			राजस्व दत्तमत	2054-00-097-03	(+) 16.00	(-) 610.64
			पूँजीगत दत्तमत	3604-01-193-04	(-) 500.00	(-) 5,612.83
			पूँजीगत दत्तमत	4216-02-800-12	(-) 966.28	(-) 220.43
5.	08	आबकारी	राजस्व दत्तमत	2039-00-001-03	(+) 34.50	(-) 86.05
			राजस्व दत्तमत	2039-00-001-04	(-) 34.50	(-) 225.85
6.	10	पुलिस एवं जेल	राजस्व दत्तमत	2055-00-001-03	(-) 55.55	(-) 219.24
			राजस्व दत्तमत	2055-00-001-04	(-) 98.00	(-) 845.36
			राजस्व दत्तमत	2055-00-003-04	(+) 47.80	(-) 68.05
			राजस्व दत्तमत	2055-00-104-04	(-) 10.00	(-) 636.53
			राजस्व दत्तमत	2055-00-109-04	(-) 33.62	(-) 601.24

			राजस्व दत्तमत	2055-00-109-05	(+) 105.00	(-) 219.21
			राजस्व दत्तमत	2055-00-109-07	(+) 7.75	(-) 48.01
			राजस्व दत्तमत	2055-00-110-03	(+) 108.00	(-) 17.38
7.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	राजस्व दत्तमत	2202-02-001-03	(+) 11.99	(-) 96.17
			राजस्व दत्तमत	2202-02-109-07	(+) 85.00	(-) 158.46
			राजस्व दत्तमत	2202-02-109-16	(-) 6,840.00	(-) 242.57
			राजस्व दत्तमत	2202-03-103-04	(-) 757.47	(-) 69.00
			राजस्व दत्तमत	2202-03-103-08	(-) 74.59	(-) 535.56
			राजस्व दत्तमत	2202-03-104-03	(-) 219.82	(-) 741.07
			राजस्व दत्तमत	2202-05-103-04	(-) 20.28	(-) 200.00
			राजस्व दत्तमत	2204-00-001-01	(-) 34.76	(-) 25.02
			राजस्व दत्तमत	2204-00-001-04	(-) 206.74	(+) 34.08
			राजस्व दत्तमत	2204-00-104-35	(-) 39.73	(-) 10.27
			राजस्व दत्तमत	2205-00-102-01	(-) 8.73	(-) 10.19
			पूँजीगत दत्तमत	4202-03-102-26	(+) 263.44	(-) 16.34
			8.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व दत्तमत
राजस्व दत्तमत	2210-01-110-05	(+) 25.00				(-) 547.35
राजस्व दत्तमत	2210-01-110-11	(-) 30.00				(-) 107.18
राजस्व दत्तमत	2210-03-103-03	(+) 450.00				(-) 328.84
राजस्व दत्तमत	2210-03-110-17	(-) 450.00				(-) 808.51
राजस्व दत्तमत	2210-06-101-03	(-) 233.31				(-) 9,880.30
पूँजीगत दत्तमत	4210-01-110-14	(+) 33.02				(-) 50.00
पूँजीगत दत्तमत	4210-03-105-03	(+) 188.68				(+) 139.94
पूँजीगत दत्तमत	4210-03-105-11	(-) 188.68				(-) 171.32
9	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	राजस्व दत्तमत	2215-01-102-07	(+) 656.47	(-) 153.85
			राजस्व दत्तमत	2215-01-800-08	(-) 304.94	(-) 195.06
			राजस्व दत्तमत	2217-03-191-01	(-) 2,988.15	(-) 5,556.35
			पूँजीगत दत्तमत	4217-03-051-01	(-) 1,000.00	(-) 18,999.03
10	14	सूचना	राजस्व दत्तमत	2220-01-105-03	(-) 4.43	(-) 182.32
			राजस्व दत्तमत	2220-01-105-06	(-) 22.55	(-) 150.00
			राजस्व दत्तमत	2220-60-001-03	(-) 193.12	(-) 34.37
			राजस्व दत्तमत	2220-60-110-03	(-) 28.43	(-) 100.00
11	15	कल्याण	राजस्व दत्तमत	2235-02-103-23	(+) 30.00	(-) 24.87
			राजस्व दत्तमत	2235-02-103-29	(-) 30.00	(-) 6,678.98
			राजस्व दत्तमत	2235-60-200-03	(-) 418.97	(-) 10.00
			राजस्व दत्तमत	2250-00-800-18	(+) 10.88	(-) 41.56



12	17	कृषि कार्य एवं अनुसंधान	राजस्व दत्तमत	2401-00-001-01	(-) 1,576.76	(-) 4,458.63
			राजस्व दत्तमत	2401-00-109-01	(+) 597.48	(-) 1,256.22
13	19	ग्रामीण विकास	राजस्व दत्तमत	2501-01-003-01	(-) 3,000.00	(-) 2,556.52
			राजस्व दत्तमत	2501-01-800-01	(+) 5,642.97	(-) 4,112.05
			राजस्व दत्तमत	2515-00-102-01	(+) 310.50	(-) 116.63
14	20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व दत्तमत	2700-00-001-05	(-) 177.54	(-) 244.87
			राजस्व दत्तमत	2701-15-101-02	(+) 177.54	(-) 120.99
			पूँजीगत दत्तमत	4700-00-051-01	(-) 1,033.76	(-) 2,167.26
			पूँजीगत दत्तमत	4700-04-051-02	(+) 17.59	(-) 100.00
			पूँजीगत दत्तमत	4700-18-051-02	(-) 420.84	(-) 366.29
			पूँजीगत दत्तमत	4711-01-103-01	(+) 1,033.76	(-) 201.76
15	22	लोक निर्माण	राजस्व दत्तमत	2059-80-102-06	(-) 6.90	(-) 17.27
			राजस्व दत्तमत	3054-01-337-01	(-) 1,853.74	(-) 2,013.36
			राजस्व दत्तमत	3054-03-337-05	(-) 41.23	(-) 83.51
			राजस्व दत्तमत	3054-04-337-03	(-) 5,291.15	(-) 433.79
			पूँजीगत दत्तमत	5054-03-101-03	(-) 760.06	(-) 87.73
			पूँजीगत दत्तमत	5054-04-337-03	(+) 2,133.82	(-) 2,257.34
			पूँजीगत दत्तमत	5054-04-337-04	(-) 597.29	(-) 214.90
			पूँजीगत दत्तमत	5054-04-337-05	(-) 59.50	(+) 127.18
			पूँजीगत दत्तमत	5054-04-337-06	(-) 422.25	(+) 98.80
			पूँजीगत दत्तमत	5054-04-337-97	(-) 2,809.17	(+) 17.14
			पूँजीगत दत्तमत	5054-04-337-98	(-) 936.41	(-) 498.54
16	23	उद्योग	राजस्व दत्तमत	2851-00-101-03	(-) 200.00	(-) 2,000.00
			राजस्व दत्तमत	2851-00-102-97	(-) 950.00	(-) 50.00
17	25	खाद्य	राजस्व दत्तमत	2408-01-001-03	(-) 50.00	(-) 541.90
			राजस्व दत्तमत	3475-00-106-03	(+) 50.00	(-) 32.73
			पूँजीगत दत्तमत	4408-01-800-05	(-) 149.48	(-) 33.60
18	27	वन	राजस्व दत्तमत	2406-00-101-01	(+) 767.76	(-) 770.26
			राजस्व दत्तमत	2406-01-800-01	(-) 791.91	(-) 2,004.57
			राजस्व दत्तमत	2406-02-110-01	(+) 24.15	(-) 1,073.41
19	28	पशु पालन	राजस्व दत्तमत	2403-00-101-01	(+) 332.36	(-) 89.99
			राजस्व दत्तमत	2403-00-104-04	(-) 62.70	(-) 37.35
			राजस्व दत्तमत	2403-00-113-01	(-) 69.66	(-) 72.97
20	29	उद्यान विकास	राजस्व दत्तमत	2401-00-119-01	(-) 702.10	(-) 78.94
			राजस्व दत्तमत	2401-00-119-03	(-) 1,692.83	(+) 299.05
			राजस्व दत्तमत	2401-00-119-28	(-) 9.00	(-) 191.00
			राजस्व दत्तमत	2401-00-119-31	(-) 0.81	(-) 81.99
			राजस्व दत्तमत	2401-00-119-98	(-) 50.00	(-) 450.00

21	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व दत्तमत	2235-02-101-02	(+) 117.13	(-) 88.26
			राजस्व दत्तमत	2235-60-102-02	(-) 117.13	(-) 980.85
			राजस्व दत्तमत	2401-00-001-01	(-) 1,322.54	(-) 671.64
			राजस्व दत्तमत	2401-00-109-01	(+) 74.09	(-) 35.13
			राजस्व दत्तमत	2403-00-101-01	(+) 7.30	(-) 65.37
			राजस्व दत्तमत	2403-00-113-01	(-) 7.30	(-) 32.70
			राजस्व दत्तमत	2501-01-003-01	(-) 1,300.00	(-) 331.44
			राजस्व दत्तमत	2515-00-102-02	(-) 1,293.79	(-) 34.20
			पूँजीगत दत्तमत	4215-02-105-01	(-) 751.49	(-) 346.16
			पूँजीगत दत्तमत	4702-00-800-01	(-) 780.00	(+) 36.29
			पूँजीगत दत्तमत	5054-04-337-02	(-) 133.06	(-) 19.28
22	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व दत्तमत	2210-03-796-03	(+) 71.00	(-) 97.45
			राजस्व दत्तमत	2210-06-101-99	(-) 71.00	(-) 92.56
			राजस्व दत्तमत	2235-02-796-03	(-) 82.33	(-) 199.72
			राजस्व दत्तमत	2235-02-796-07	(+) 82.33	(-) 15.90
			राजस्व दत्तमत	2401-00-001-01	(-) 184.12	(-) 52.31
			पूँजीगत दत्तमत	4702-00-800-01	(-) 512.00	(-) 80.33
			पूँजीगत दत्तमत	5054-04-796-02	(-) 22.06	(-) 929.68

परिशिष्ट-2.6 (अ)

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6.3; पृष्ठ 59)

वर्ष 2018-19 के दौरान दत्तमत अनुदान के लिए गए महत्वपूर्ण अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या व शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल अनुदान	अभ्यर्पण की धनराशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	03-मंत्रि परिषद	2013-00-105-05	500.00	235.22	47.04
2.	05-निर्वाचन	2015-00-105-03	1,135.02	354.26	31.21
		2015-00-106-03	147.89	73.51	49.71
		2015-00-109-03	403.57	203.59	50.45
3.	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2070-00-105-03	7.23	7.23	100.00
		2070-00-800-16	5.00	5.00	100.00
4.	10-पुलिस एवं जेल	2055-00-001-05	21.75	20.55	94.48
5.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202-03-102-08	630.00	400.00	63.49
		2202-03-103-01	2,500.00	2,081.17	83.25
		2202-03-103-12	100.00	54.00	54.00
		2204-00-001-01	82.50	34.76	42.13
		2205-00-001-05	78.40	76.73	97.87
		2205-00-102-01	20.25	8.73	43.11
		2205-00-102-06	15.00	10.31	68.73
		2205-00-102-36	20.00	15.60	78.00
		2205-00-102-39	50.00	44.00	88.00
		2205-00-103-01	10.76	5.57	51.77
		2202-01-101-08	500.00	500.00	100.00
		2202-01-101-09	18.48	18.48	100.00
		2202-03-102-09	58.00	58.00	100.00
		2202-03-103-05	70.00	70.00	100.00
		2202-03-103-13	50.00	50.00	100.00
		2202-03-103-14	100.00	100.0	100.00
		2202-03-107-06	20.00	20.00	100.00
		2202-03-800-09	50.00	50.00	100.00
		2202-03-800-13	32.00	32.00	100.00
		2202-03-800-14	6.00	6.00	100.00
		2202-03-800-15	5.00	5.00	100.00
		2202-03-800-16	20.00	20.00	100.00
		2205-00-102-37	40.00	40.00	100.00
2205-00-102-38	20.00	20.00	100.00		
2205-00-102-40	20.00	20.00	100.00		

		2205-00-102-42	50.00	50.00	100.00
		2205-00-102-43	50.00	50.00	100.00
		2205-00-102-44	40.00	40.00	100.00
		2204-00-001-10	30.54	18.19	59.56
		4202-01-201-01	5,000.01	4,649.70	92.99
		4202-01-201-03	500.00	416.12	83.22
		4202-01-203-01	2,000.01	1,095.62	54.78
		4202-04-106-04	271.00	209.14	77.17
		4202-04-106-06	500.00	469.65	93.93
		4202-01-203-14	250.00	250.00	100.00
		4202-01-203-18	50.00	50.00	100.00
		4202-01-203-19	50.00	50.00	100.00
		4202-01-203-24	50.00	50.00	100.00
		4202-01-205-08	50.00	50.00	100.00
		4202-04-106-01	500.00	500.00	100.00
		4202-04-106-03	200.00	200.00	100.00
		4202-04-106-05	50.00	50.00	100.00
		4202-04-106-07	25.00	25.00	100.00
6.	14-सूचना	2220-60-102-03	87.93	35.19	40.02
		2220-60-102-04	21.06	7.04	33.43
		4059-60-051-04	100.00	100.00	100.00
7.	15-कल्याण	2251-00-092-07	100.00	64.21	64.21
		2251-00-092-06	37.00	37.00	100.00
		4235-60-200-03	241.00	226.02	93.78
8.	16-श्रम एवं रोज़गार	2230-01-101-05	212.24	65.82	31.01
		2230-01-103-09	15.00	11.86	79.06
		2230-01-103-06	5.00	5.00	100.00
		2230-01-103-10	20.00	20.00	100.00
		2230-01-103-16	1,137.15	1,137.15	100.00
9.	17-कृषि कार्य एवं अनुसंधान	2415-80-120-13	194.86	134.86	69.21
		2415-80-120-14	197.05	127.05	64.48
		2415-80-120-15	159.45	102.25	64.13
		2415-80-120-20	32.40	27.40	84.57
		2415-80-120-24	20.00	13.40	67.00
		2401-00-001-11	24.40	24.40	100.00
		2415-80-120-05	100.00	100.00	100.00
		2415-80-120-08	100.00	100.00	100.00

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

		2415-80-120-11	80.00	80.00	100.00
		2415-80-120-12	80.00	80.00	100.00
		4401-00-800-06	400.00	400.00	100.00
		4401-00-800-07	50.00	50.00	100.00
10.	19- ग्रामीण विकास	2515-00-001-06	77.24	62.51	80.93
11.	20-सिंचाई एवं बाढ़	2702-02-005-05	12.56	11.98	95.38
		2702-80-005-02	199.65	121.68	60.95
		4702-00-051-01	10,003.00	6,734.35	67.32
12.	22-लोक निर्माण	3054-01-337-01	4,000.00	1,853.74	46.34
		5054-04-337-01	10,000.01	5,239.04	52.39
		5054-04-337-06	500.00	422.25	84.45
		5054-05-337-02	2,000.00	620.95	31.05
		5054-05-337-03	500.00	500.00	100.00
		5054-80-190-03	200.00	200.00	100.00
13.	28- पशुपालन	2405-00-001-01	30.00	26.62	88.73
		2405-00-101-01	1,178.60	762.48	64.69
		4405-00-101-01	1,229.28	1,220.00	99.25
		4405-00-101-98	800.00	382.88	47.86
		4405-00-001-03	25.00	25.00	100.00
14.	29- उद्यान विकास	2401-00-119-29	8.20	8.20	100.00
		2401-00-119-97	1,000.00	1,000.00	100.00
		4401-00-119-13	100.00	87.55	87.55
		4401-00-119-98	500.00	500.00	100.00
15.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	2202-03-001-01	500.00	500.00	100.00
		4202-01-201-01	2,200.00	2,084.08	94.73
		4702-00-800-01	1,500.00	780.00	52.00
		4702-00-800-02	200.00	100.91	50.46
		4202-01-201-02	100.00	100.00	100.00
16.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2202-01-800-01	3,000.01	1,911.45	63.71
		2401-00-796-31	120.00	40.00	33.33
		2202-03-800-01	250.00	250.00	100.00
		4202-01-201-01	700.00	686.02	98.00
		4702-00-800-01	700.00	512.00	73.14
		5054-04-796-01	30.00	29.40	98.00
		4702-00-796-05	27.50	27.50	100.00
<b>योग</b>			<b>61,509.00</b>	<b>42,612.37</b>	<b>69.28</b>

## परिशिष्ट-2.6 (ब)

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6.3; पृष्ठ 59)

वर्ष 2018-19 के दौरान भारत विनियोग के किए गए महत्वपूर्ण अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान कि संख्या व शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल अनुदान	अभ्यर्पण की धनराशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	02-राज्यपाल	2012-03-105-03	77.35	37.00	47.83
<b>योग</b>			<b>77.35</b>	<b>37.00</b>	<b>47.83</b>

## परिशिष्ट-2.7

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6.4; पृष्ठ 59)

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित धनराशि	अधिक अभ्यर्पित धनराशि
1.	पूँजीगत-दत्तमत				
1.	22-लोक निर्माण	1,391.50	66.62	100.40	33.78
<b>योग</b>		<b>1,391.50</b>	<b>66.62</b>	<b>100.40</b>	<b>33.78</b>

परिशिष्ट-2.8

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6.5; पृष्ठ 59)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ पाँच करोड़ एवं अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	बचत
1.	04	न्यायिक प्रशासन (राजस्व दत्तमत)	207.65	167.92	39.73
		न्यायिक प्रशासन (राजस्व भारित)	53.76	35.67	18.09
2.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (पूँजीगत दत्तमत)	442.75	170.24	272.51
3.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ (राजस्व भारित)	5,174.62	4,475.32	699.30
4.	09	लोक सेवा आयोग (राजस्व भारित)	29.12	17.35	11.77
5.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व दत्तमत)	2,222.90	1,726.45	496.45
		चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	229.80	187.40	42.40
6.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास (राजस्व दत्तमत)	705.07	561.53	143.54
		जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास (पूँजीगत दत्तमत)	1,115.17	597.86	517.31
7.	18	सहकारिता (राजस्व दत्तमत)	94.44	77.98	16.46
8.	21	ऊर्जा (पूँजीगत दत्तमत)	317.30	244.15	73.15
9.	23	उद्योग (राजस्व दत्तमत)	250.87	197.83	53.04
		उद्योग (पूँजीगत दत्तमत)	73.36	26.68	46.68
10.	24	परिवहन (राजस्व दत्तमत)	100.25	74.74	25.51
		परिवहन (पूँजीगत दत्तमत)	187.81	13.95	173.86
11.	25	खाद्य (राजस्व दत्तमत)	257.69	171.23	86.46
12.	26	पर्यटन (राजस्व दत्तमत)	77.02	62.06	14.96
		पर्यटन (पूँजीगत दत्तमत)	112.59	57.48	55.11
13.	27	वन (राजस्व दत्तमत)	742.17	613.54	128.63
		वन (पूँजीगत दत्तमत)	87.78	38.60	49.18
<b>योग</b>			<b>12,482.12</b>	<b>9,517.98</b>	<b>2,964.14</b>

## परिशिष्ट-2.9

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6.5; पृष्ठ 59)

₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित करनी रह गयी
<b>राजस्व-दत्तमत</b>				
1.	01-विधानमण्डल	3.19	00.00	3.19
2.	03- मंत्रि परिषद	12.25	2.35	9.90
3.	04- न्यायिक प्रशासन	39.73	00.00	39.73
4.	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	372.54	14.71	357.83
5.	07- वित्त,कर,नियोजन,सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	697.69	8.21	689.48
6.	08- आबकारी	3.12	00.00	3.12
7.	10- पुलिस एवं जेल	105.30	0.21	105.09
8.	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	542.42	328.31	214.11
9.	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	496.45	00.00	496.45
10.	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	143.54	00.00	143.54
11.	14-सूचना	8.92	4.21	4.71
12.	15- कल्याण	367.60	7.37	360.23
13.	16- श्रम एवं रोजगार	146.57	24.97	121.60
14.	17- कृषि कार्य एवं अनुसन्धान	169.84	92.54	77.30
15.	18- सहकारिता	16.46	00.00	16.46
16.	19- ग्रामीण विकास	205.91	23.71	182.20
17.	20- सिंचाई एवं बाढ़	72.21	4.28	67.93
18.	21 - ऊर्जा	2.13	00.00	2.13
19.	22- लोक निर्माण	159.06	72.03	87.03
20.	23- उद्योग	53.04	00.00	53.04
21.	24- परिवहन	25.50	00.00	25.50
22.	25- खाद्य	86.46	00.00	86.46
23.	26- पर्यटन	14.96	00.00	14.96
24.	27- वन	128.63	00.00	128.63
25.	28- पशु पालन	25.39	9.02	16.37
26.	29- उद्यान विकास	44.62	34.76	9.86
27.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	321.08	27.06	294.02
28.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	122.09	25.21	96.88
<b>योग</b>		<b>4,386.70</b>	<b>678.95</b>	<b>3,707.75</b>
<b>राजस्व-भारित</b>				
1.	04- न्यायिक प्रशासन	18.09	00.00	18.09
2.	07- वित्त,कर,नियोजन,सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	699.30	00.00	699.30
3.	09- लोक सेवा आयोग	11.77	00.00	11.77
4.	22- लोक निर्माण	6.13	0.42	5.71



योग		735.29	0.42	734.87
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>				
1.	04- न्यायिक प्रशासन	4.64	00.00	4.64
2.	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	272.51	00.00	272.51
3.	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	160.34	15.52	144.82
4.	10- पुलिस एवं जेल	4.63	00.00	4.63
5.	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	155.14	82.62	72.52
6.	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	42.40	00.00	42.40
7.	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	517.31	00.00	517.31
8.	15- कल्याण	42.42	2.26	40.16
9.	16- श्रम एवं रोजगार	3.04	00.00	3.04
10.	17- कृषि कार्य एवं अनुसन्धान	6.44	4.50	1.94
11.	18- सहकारिता	1.55	00.00	1.55
12.	20- सिंचाई एवं बाढ़	102.27	67.34	34.93
13.	21 - ऊर्जा	73.15	00.00	73.15
14.	23- उद्योग	46.68	00.00	46.68
15.	24- परिवहन	173.86	00.00	173.86
16.	26- पर्यटन	55.11	00.00	55.11
17.	27- वन	49.18	00.00	49.18
16.	28- पशु पालन	18.31	16.28	2.03
17.	29- उद्यान विकास	10.95	5.88	5.07
18.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	96.28	31.99	64.29
19.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	54.08	12.83	41.25
<b>योग</b>		<b>1,890.29</b>	<b>239.22</b>	<b>1,651.07</b>
<b>कुल योग</b>		<b>7,012.28</b>	<b>918.59</b>	<b>6,093.69</b>

## परिशिष्ट-2.10

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6.5; पृष्ठ 59)

30/31 मार्च 2019 को दत्तमत अनुदान की ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्षक	कुल प्रावधान	समर्पित धनराशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1.	3	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	65.00	10.44	16.06
2.	5	2015-निर्वाचन	46.88	10.95	23.36
3.	6	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	114.71	14.71	12.82
4.	7	4216- गृह पर पूँजीगत परिव्यय	29.66	15.52	52.33
5.	11	2202- शिक्षा	7,323.78	319.18	4.36
		4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	297.93	82.62	27.73
6.	16	2210- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	100.86	11.19	11.09
		2230- श्रम एवं रोजगार	267.32	13.78	5.15
7.	17	2401- कृषि कर्म	895.10	45.63	5.10
		2415- कृषि अनुसन्धान एवं शिक्षा	242.87	46.91	19.31
8.	19	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	636.78	23.71	3.72
9.	20	4702- लघु कृषि पर पूँजीगत परिव्यय	105.03	67.34	64.12
10.	22	3054 सड़क एवं पुल	333.53	71.96	21.58
		5054- सड़क एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	1,387.00	100.40	7.24
11.	28	4405- मछलीपालन पर पूँजीगत परिव्यय	20.54	16.28	79.26
12.	29	2401- कृषि कर्म	307.44	34.76	11.31
13.	30	2202- सामान्य शिक्षा	226.54	14.60	6.44
		2401- कृषि कर्म	91.14	12.43	13.64
		4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	59.15	21.85	36.94
14.	31	2202- सामान्य शिक्षा	54.67	23.25	42.53
<b>योग</b>			<b>12,605.93</b>	<b>957.51</b>	<b>7.60</b>

परिशिष्ट-2.11

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6.6; पृष्ठ 59)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ एक करोड़ या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशतता
<b>राजस्व-दत्तमत</b>					
1.	01	विधानमण्डल	72.34	3.19	4.41
2.	03	मंत्रि परिषद	76.72	12.25	15.97
3.	04	न्यायिक प्रशासन	207.65	39.73	19.13
4.	05	निर्वाचन	46.88	10.95	23.36
5.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,234.41	372.54	30.18
6.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	8,440.00	697.69	8.27
7.	08	आबकारी	29.36	3.12	10.63
8.	10	पुलिस एवं जेल	1,938.78	105.30	5.43
9.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	7,609.74	542.42	7.13
10.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,222.90	496.45	22.33
11.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	705.07	143.54	20.36
12.	14	सूचना	127.74	8.92	6.98
13.	15	कल्याण	1,709.43	367.60	21.50
14.	16	श्रम एवं रोजगार	368.18	146.57	39.81
15.	17	कृषि कार्य एवं अनुसन्धान	1,137.97	169.84	14.92
16.	18	सहकारिता	94.44	16.46	17.43
17.	19	ग्रामीण विकास	1004.01	205.91	20.51
18.	20	सिंचाई एवं बाढ़	500.18	72.21	14.44
19.	21	ऊर्जा	13.24	2.13	16.09
20.	22	लोक निर्माण	875.36	159.06	18.17
21.	23	उद्योग	250.87	53.04	21.14
22.	24	परिवहन	100.25	25.50	25.44
23.	25	खाद्य	257.69	86.46	33.55
24.	26	पर्यटन	77.02	14.96	19.42
25.	27	वन	742.17	128.63	17.33
26.	28	पशुपालन	316.17	25.39	8.03
27.	29	उद्यान विकास	307.44	44.62	14.51
28.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,200.62	321.08	26.74
29.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	363.88	122.09	33.55
<b>योग</b>			<b>32,030.51</b>	<b>4,397.65</b>	<b>13.73</b>

राजस्व-भारित					
1.	04	न्यायिक प्रशासन	53.76	18.09	33.65
2.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	5,174.62	699.30	13.51
3.	09	लोक सेवा आयोग	29.12	11.77	40.42
4.	22	लोक निर्माण	11.00	6.13	55.73
<b>योग</b>			<b>5,268.50</b>	<b>735.29</b>	<b>13.96</b>
पूँजीगत-दत्तमत					
1.	03	मंत्रीपरिषद	65.00	10.44	16.06
2.	04	न्यायिक प्रशासन	45.10	4.64	10.29
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	442.75	272.51	61.55
4.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	328.13	160.34	48.86
5.	10	पुलिस एवं जेल	23.22	4.63	19.94
6.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	297.93	155.14	52.07
7.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	229.80	42.40	18.45
8.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,115.17	517.31	46.39
9.	14	सूचना	1.00	1.00	100.00
10.	15	कल्याण	80.29	42.42	52.83
11.	16	श्रम एवं रोजगार	14.00	3.04	21.71
12.	17	कृषि कार्य एवं अनुसन्धान	139.87	6.44	4.60
13.	18	सहकारिता	4.68	1.55	33.12
14.	20	सिंचाई एवं बाढ़	468.20	102.27	21.84
15.	21	ऊर्जा	317.30	73.15	23.05
16.	22	लोक निर्माण	1,391.50	66.62	4.79
17.	23	उद्योग	73.36	46.68	63.63
18.	24	परिवहन	187.81	173.86	92.57
19.	26	पर्यटन	112.59	55.11	48.95
20.	27	वन	87.78	49.18	56.03
21.	28	पशु पालन	27.28	18.31	67.12
22.	29	उद्यान विकास	16.00	10.95	68.44
23.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	331.33	96.28	29.06
24.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	151.18	54.08	35.77
<b>योग</b>			<b>5,951.27</b>	<b>1,968.35</b>	<b>33.07</b>
पूँजीगत-भारित					
1.	09	लोक सेवा आयोग	1.00	0.85	85.00
<b>योग</b>			<b>1.00</b>	<b>0.85</b>	<b>85.00</b>
<b>महायोग</b>			<b>43,251.28</b>	<b>7,102.14</b>	<b>16.42</b>

परिशिष्ट-2.12

(सन्दर्भ: प्रस्तर 26; पृष्ठ 71)

वर्ष 2018-19 के दौरान आकस्मिकता निधि से आहरण किये गये अग्रिम की स्थिति (अगस्त 2019 तक)  
जो वर्ष के अंत तक अप्रतिपूर्ति रही

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	अप्रतिपूर्ति (अगस्त 2019)
1.	10-पुलिस	2055	10.35	10.35
2.	11- सामान्य शिक्षा	2202	0.02	0.02
3.	13- जलापूर्ति	2215	16.00	16.00
4.	13- शहरी विकास	2217	0.14	0.14
5.	6- प्राकृतिकआपदा पर व्यय	2245	12.50	12.50
6.	17- कृषि-कर्म	2401	12.16	12.16
7.	29- कृषि-कर्म	2401	0.25	0.25
8.	19-- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2515	18.69	18.69
9.	23- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2851	0.81	0.81
<b>योग</b>			<b>70.92</b>	<b>70.92</b>

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड के वी एल सी ऑफ़िसों से संकलित सूचना।

## परिशिष्ट-2.13

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.6; पृष्ठ 71)

वर्ष 2017-18 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय जो अप्रतिपूर्ति रहा (अगस्त 2019 तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	अप्रतिपूर्ति आकस्मिकता निधि	
		2017-18	योग
1.	2040	0.008	0.008
2.	2052	1.48	1.48
3.	2202	5.46	5.46
4.	2204	0.07	0.07
5.	2210	0.32	0.32
6.	2220	1.34	1.34
7.	2225	0.06	0.06
8.	2225	0.06	0.06
9.	2245	4.87	4.87
10.	4711	0.0005	0.0005
11.	5054	0.69	0.69
12.	5054	0.27	0.27
<b>योग</b>		<b>14.63</b>	<b>14.63</b>

परिशिष्ट-2.14

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.7 अ; पृष्ठ 73)

वर्ष 2018-19 तक के वर्षों के लम्बित डी सी बिल (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आहरण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	ए सी बिलों कि संख्या	धनराशि
1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़	2015	04	29.40
2.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा	2403	02	22.05
3.	जिला अधिकारी, रुद्रप्रयाग	2515	01	2.00
4.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, रुद्रप्रयाग	2015	01	0.20
5.	आहरण वितरण अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, पिथौरागढ़	2015	01	0.50
6.	जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीयरक्षक दल अधिकारी, रुद्रप्रयाग	2515	01	2.25
<b>योग</b>			<b>10</b>	<b>56.40</b>

## परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.1; पृष्ठ 77)

बकाए उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अलग से प्रत्येक वर्ष के लिये मुख्य शीर्ष एवं विभागवार विवरण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	डी डी ओ का नाम	वर्ष जिसमें अनुदान जारी किया गया	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	3604	जिला पंचायती राज अधिकारी (01)	2016-17	01	0.93
2.	3604	जिला पंचायती राज अधिकारी (10)	2017-18	24	36.73
		अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद (04)			
		अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत (02)			
		प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून (01)			
		वरि. वित्त अधिकारी, नगर निगम, रुड़की (02)			
		प्रशासक, नगर निगम (01)			
		अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय शहरी विकास (01)			
		प्रभारी अधिकारी वित्त-जिला मजिस्ट्रेट (03)			
3.	3604	जिला पंचायती राज अधिकारी (70)	2018-19	94	315.68
		मुख्य विकास अधिकारी (05)			
		अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत (06)			
		वरि. वित्त अधिकारी, नगर निगम, रुड़की (01)			
		अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद (04)			
		प्रशासक, नगर निगम (01)			
		नगर आयुक्त, नगर निगम (04)			
		अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय शहरी विकास (03)			
<b>योग (दिनांक 31.03.2019 को)</b>				<b>119</b>	<b>353.34</b>



परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: प्रस्तर-3.3; पृष्ठ 79)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं की अवधि	अन्तिम रूप दिए गए पिछले लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु अभ्युक्ति/कारण
<b>सिंचाई विभाग</b>				
1.	सिंचाई कार्यशाला, खण्ड, रुड़की	2011-12	1.92	अनुपलब्ध
<b>खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग</b>				
2.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2006-07	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2006-07	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

## परिशिष्ट-4.1

## शब्दावली

क्र.सं.	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या स्थिर कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की तन्यता अथवा प्रभावनीयता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशतता बिन्दु तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत (रा ल ब) निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था को लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की कामना रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों के पोषण के समर्थन हेतु मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर खाद्य सामग्री का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकासपरक और अविकासपरक व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।

7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके ऋण को चुकाने की क्षमता के बारे में चिन्ता को मूर्त रूप देती है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।
8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्त बताती है कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।
9.	ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता है, यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को बताते हुए ऋण प्राप्तियों का प्रयोग ऋण विमोचन में किया जाता है।
11.	ऋणोत्तर प्राप्तियाँ	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।
12.	निवल ऋण की उपलब्धता	लोक ऋण पुनर्भुगतान, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण तथा लोक ऋण पर ब्याज अदायगी के सापेक्ष सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ तथा ऋण एवं अग्रिम प्राप्तियों का आधिक्य।